RIN No.: MPBIL/2001/5256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : भोपाल/म.प्र./581/2021-2023
Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

वर्ष 22 अंक 05 05 जनवरी 2022

जगत विज़न

क्या मजबूरी में टालने पड़े पंचायत चुनाव?

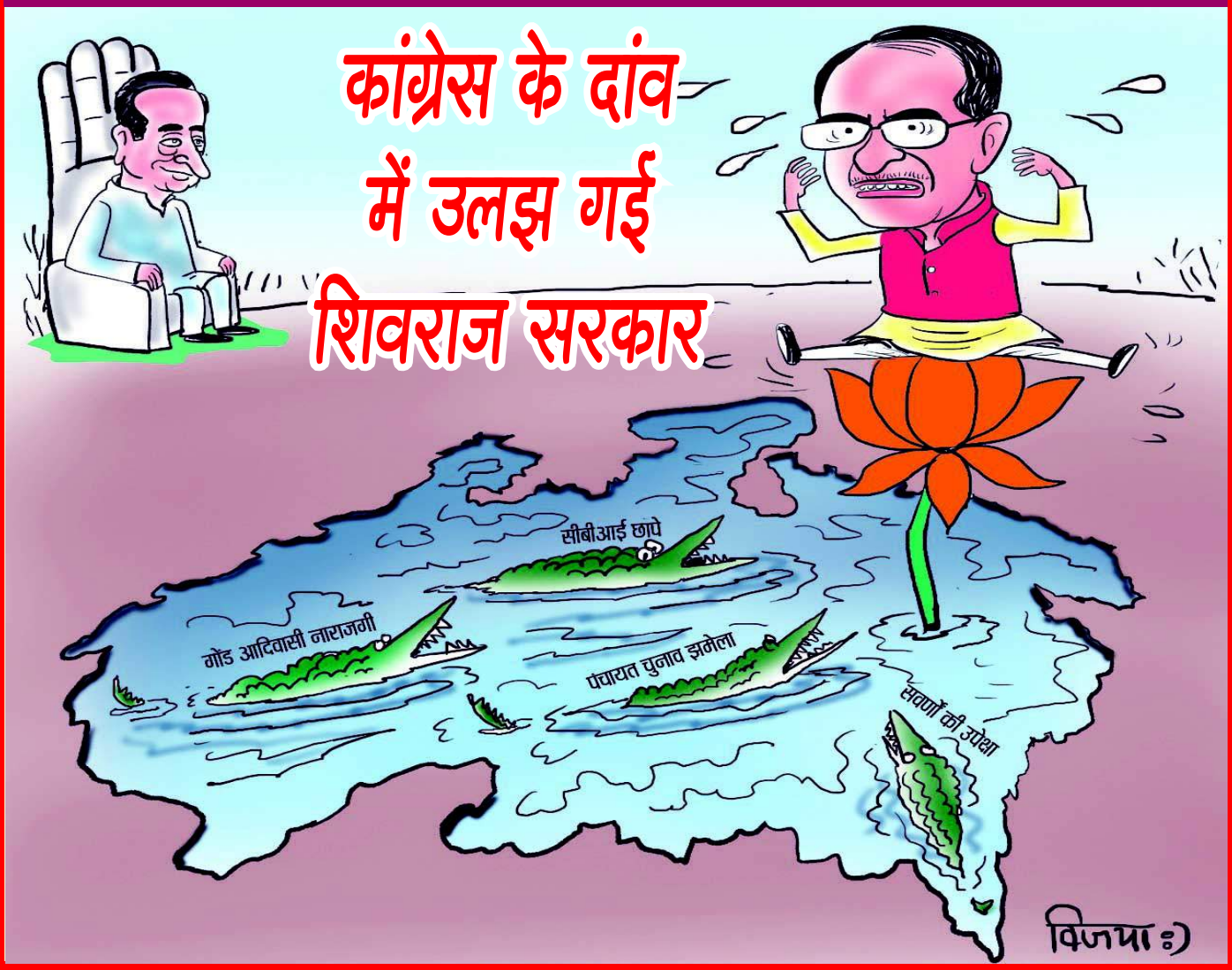

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	समता पाठक
मध्यप्रदेश संवाददाता	अर्चना शर्मा
राजनीतिक संवाददाता	समीर शास्त्री
विशेष संवाददाता	बिन्देश्वरी पटेल
छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ	मणिशंकर पाण्डेय
छत्तीसगढ़ संवाददाता	आनन्द मोहन श्रीवास्तव,
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ	अमित राय
गोवा ब्यूरो चीफ	अजय सिंह
गुजरात ब्यूरो चीफ	गौरव सेठी
दिल्ली ब्यूरो चीफ	विजय वर्मा
पटना संवाददाता	सौरभ कुमार
उत्तरप्रदेश ब्यूरो चीफ	वेद कुमार
बुंदेलखण्ड संवाददाता	रफत खान
विधिक सलाहकार	एडवोकेट राजेश कुंसारिया

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल

मो. 98260-64596, मो. 9893014600

फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,

विजया पाठक द्वारा समता ग्राफिक्स

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. द्वारा कम्पोज एवं जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्लाट नं. 28 सुरभि विहार बीडीए रोड भेल भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com

Website: www.jagatvision.in

क्या मजबूरी में टालने पड़े पंचायत चुनाव?

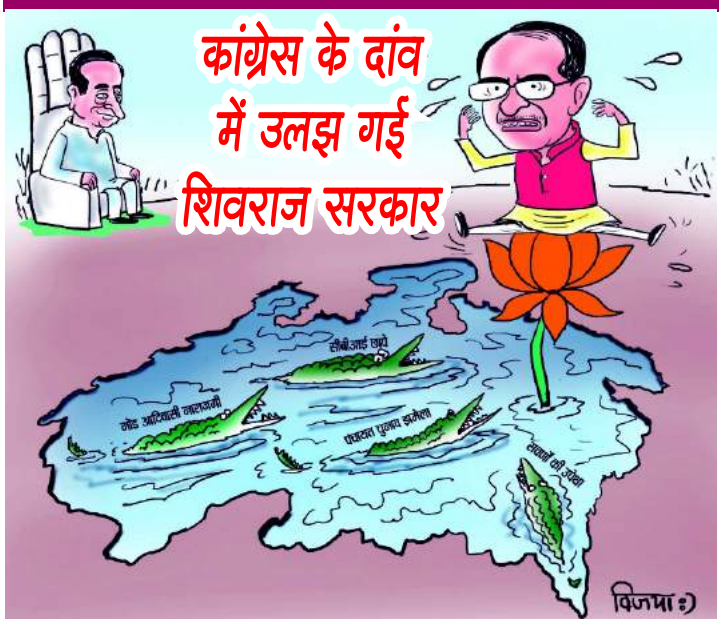

(पृष्ठ क्र.-6)

- ममता का जलवा कायम 31
- पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक 34
- माता के दरबार में मातम 38
- मोदी सरकार ने पिछले पांच सालों में एक करोड़..... 42
- सदियों पुरानी है ग्वालियर की सांगीतिक विरासत 44
- देश की सर्वाधिक गौ-शालाएँ है मध्यप्रदेश में 47
- इत्र कारोबारी : नहीं थमीं काली कमाई 50
- अर्थव्यवस्था देशी-इलाज विदेशी 54
- क्या कट्टरपंथी ताकतें महात्मा गाँधी के विचारों को मार पायेगी 58
- Future of the Newspapers 62

कार्टूनिस्ट की नज़र

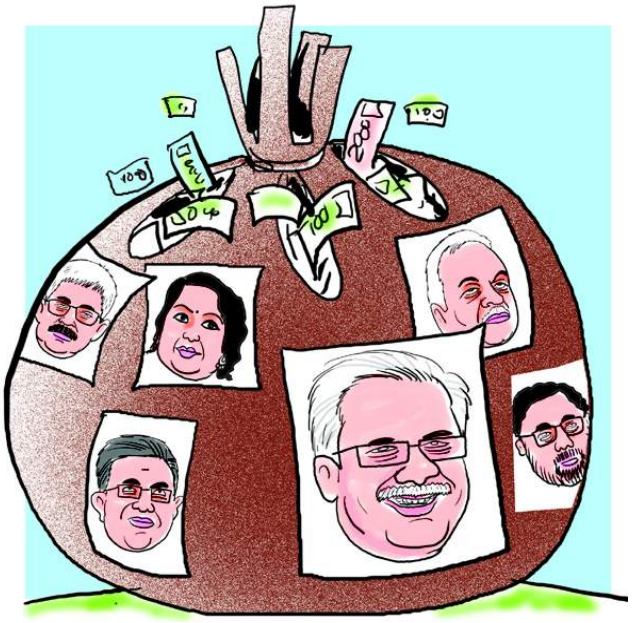

संत कालीचरण की गिरफ्तारी भूपेश सरकार में दोहरी कानून व्यवस्था

धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले संत कालीचरण को छत्तीसगढ़ पुलिस ने धारा 500 के तहत, सौहार्द बिगाड़ने और जनमानस को भड़काने के आरोप में मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया है। इस गिरफ़्तारी के साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। आज की स्थिति में प्रदेश में ऐसे कई संगीन मामले चल रहे हैं जिन पर पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ रख कर बैठी है। कहीं न कहीं भूपेश बघेल नहीं चाहते कि उन पर कोई कार्यवाही हो। अपने खास दागी अफसरों, रिश्तेदार सलाहकारों और सबसे खास महिला अधिकारी पर तो भूपेश बघेल कार्यवाही करते नहीं हैं लेकिन एक संत पर कार्यवाही करने में उन्होंने देर नहीं की। बहुचर्चित नान घोटाले के बारे में सब जानते हैं। इस घोटाले के गुनहगारों आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को भूपेश बघेल ने तिरस्कृत करने के बजाए पुरूस्कृत किया है। आज इसके गुनहगार जमानत पर हैं और मुख्यमंत्री के खास बने हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री की खास सौम्या चौरसिया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय में मामला दर्ज है। सीएम के सलाहकार पत्रकार विनोद वर्मा के खिलाफ विरूद्ध एक मामले में लोकायुक्त में शिकायत की जा चुकी है। अपने बड़बोलेपन और बयानबाजी को लेकर चर्चा में रहने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंदकुमार बघेल ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के खिलाफ अपशब्द कहे हैं। कई बार ब्राम्हण समाज को निशाना बनाया है। उन्होंने ब्राम्हण समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। उनके खिलाफ तो छत्तीसगढ़ सरकार ने एक दिखावटी एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में तुहिन मलिक हत्याकांड में आईएएस किरण कौशल के भाई की फरारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कही रसूख के चलते ही तो पुलिस वरुण कौशल को नहीं पकड़ रही है। वरुण कौशल 2018 से फरारी काट रहा है लेकिन पुलिस नहीं पकड़ पायी है। ऐसे एक नहीं सैकड़ों मामले हैं जो कहीं न कहीं भूपेश बघेल की भेदभावपूर्ण रवैये को दर्शाते हैं। यहां भूपेश बघेल क्यों नहीं तत्परता दिखा रहे हैं।

मैं संत कालीचरण की गिरफ़्तारी की आलोचना नहीं कर रही हूँ। मैं मानती हूँ कि किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि किसी भी व्यक्ति राष्ट्रपिता का अपमान करे, उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करे, शांति और सौहार्द बिगाड़ें। पर एक सवाल यह खड़ा हो रहा है। क्या छत्तीसगढ़ में दोहरी कानून व्यवस्था है और दोहरा भेदभावपूर्ण कानून चल रहा है? क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंदकुमार बघेल ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के खिलाफ अपशब्द नहीं कहे हैं? क्या उन्होंबने सवर्णो के खिलाफ अपशब्द नहीं कहे हैं? और क्या जाति विशेष ब्राम्हणों के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर शांति और सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया है? यहां सवाल उठता है कि जब किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो भूपेश बघेल तुरंत एक्शन लेते हैं। पर यहां उन्होंने अपने पिता के खिलाफ क्यों कुछ खास नहीं किया।

भूपेश बघेल की इन कारगुजारियों पर कांग्रेस हाईकमान को भी ध्यान देने की जरूरत है, जो दिन प्रति दिन बढ़ती ही जा रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस पक्षपातपूर्ण रवैये से प्रदेशवासी भी समझ चुके हैं। कहीं न कहीं आमजनों को भी उनके इस रवैये का शिकार होना पड़ रहा है।

विजया पाठक

क्या मजबूरी में टालने पड़े पंचायत चुनाव?

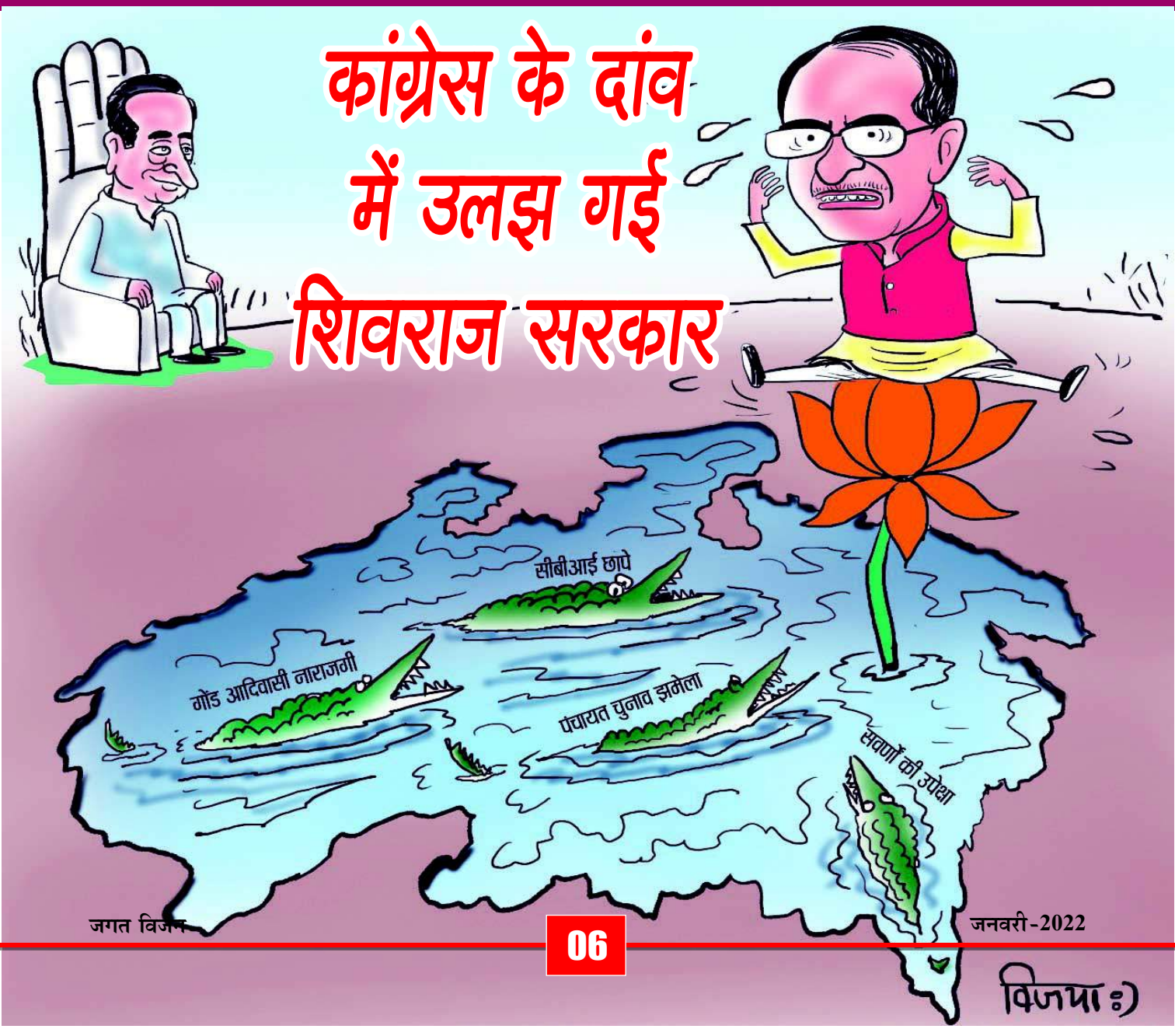

मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निरस्त हो गए हैं। इसी बीच पिछले एक महीने से पंचायत चुनाव को लेकर जो किच-किच मची थी वह भी समाप्त हो गई। शिवराज कैबिनेट ने इस अध्यादेश को वापस ले लिया था, जिसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 दिसंबर को पंचायत चुनावों की घोषणा की थी। अध्यादेश निरस्त होने के बाद कमलनाथ सरकार के समय 2019 में लागू की गई परिसीमन व्यवस्था भी 30 दिसम्बर को शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार का परिसीमन फिर समाप्त कर नया अध्यादेश लागू किया है। अब नए सिरे से जिला-जनपद व ग्राम पंचायतों का सीमांकन होगा। सरकार के यू-टर्न से ओबीसी आरक्षण के मामले में कांग्रेस की भी जीत हो गई और भाजपा भी आशान्वित है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के फेर में फंस गये हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है जहां फैसला होगा कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब और किन परिस्थितियों में होंगे। इस विषय में सुप्रीम कोर्ट में 15 जनवरी को सुनवाई होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस बात पर एक मत हैं कि राज्य में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए। ओबीसी का आरक्षण बढ़ाए जाने की राजनीति कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में शुरू हुई थी। कमलनाथ सरकार के 27 प्रतिशत आरक्षण किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट ने रोक रखा है। ओबीसी आरक्षण को लेकर एमपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश की रोशनी में काम करना होगा और साथ ही पंचायत चुनाव में आरक्षण अनुसूचित जाति-जनजाति के आरक्षण को मिलाकर 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं हो इस बात का भी ध्यान रखना होगा। आपको बता दें कि मध्यप्रदेश में कोरोना की वजह से डेढ़ साल से पंचायत चुनाव टल रहे हैं। आपको बता दें कि मध्यप्रदेश की कुल आबादी 8.74 करोड़ के लगभग है, जिसमें से आदिवासी आबादी 21.3 प्रतिशत के लगभग यानी 1.83 करोड़ आदिवासी मतदाता है, इसमें से 37.7 प्रतिशत भील आदिवासी समाज है। शिवराज सरकार ने इन्हीं भील आदिवासी समाज को टारगेट किया पर वो भूल गई कि प्रदेश में 65 लाख गोंड आदिवासी समाज भी है। भील आदिवासी को तवज्जों मिलने से गोंड आदिवासी समाज काफी नाराज़ है। भील आदिवासी समाज भी सरकार के खिलाफ बटा सा है, इसका मुख्य कारण नीमावर हत्याकांड जिसमें भीलाला आदिवासी समाज के 5 लोगों की हत्या कर इंनके शव को खेत में गाड़ दिया गया था। नीमावर हत्याकांड में परिवार में बची हुई बिटिया ने न्याय यात्रा 1 जनवरी 2022 को निकालना चालू कर दिया है। इस न्याय यात्रा में पीड़िता आरोपियों की फांसी की मांग कर रही हैं।

विजया पाठक

मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के फेर में फंस गये हैं। विवादों के बीच शिवराज कैबिनेट ने पंचायत चुनाव को रद्द करने का फैसला किया और चुनाव आयोग ने इस पर मुहर लगा दी। इसी बीच पिछले एक महीने से पंचायत चुनाव को लेकर जो किच-किच मची थी वह भी समाप्त हो गई। इसके साथ ही मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निरस्त हो गए हैं। शिवराज कैबिनेट ने उस अध्यादेश को वापस ले लिया था, जिसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 दिसंबर को पंचायत चुनावों की घोषणा की थी। इसके बाद से ही यह तय था कि नई परिस्थितियों में पंचायत चुनाव नहीं हो सकेंगे। इससे पहले 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए आरक्षित पदों पर निर्वाचन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इस फैसले को राज्य और केंद्र सरकार ने चुनौती दी। इन याचिकाओं पर तय होगा कि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव किन परिस्थितियों में और किस व्यवस्था के तहत होते हैं। अध्यादेश निरस्त होने के बाद कमलनाथ सरकार के समय 2019 में लागू की गई परिसीमन व्यवस्था भी 30 दिसम्बर को शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार का

परिसीमन फिर समाप्त कर नया अध्यादेश लागू किया है। अब नए सिरे से जिला-जनपद व ग्राम पंचायतों का सीमांकन होगा। सरकार के यू-टर्न से ओबीसी आरक्षण के मामले में कांग्रेस की भी जीत हो गई और भाजपा भी आशान्वित है। परिसीमन निरस्त करने से लेकर बहाल करने तक की

पहल- इस तरह का प्रस्ताव लाने का प्रस्ताव पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का था। चुनाव से जुड़े पूरे घटनाक्रम में दिलचस्प यह है कि सरकार ने वर्ष 2019 के परिसीमन को समाप्त करने का जो अध्यादेश जारी किया था, उसे ही कानूनी मान्यता दिलाने के लिए विधानसभा में पेश

सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस बात पर एक मत हैं कि राय में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए। राज्य में अभी ओबीसी को चौदह प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति और जनजाति को कुल 36 प्रतिशत आरक्षण है। इस तरह से कुल आरक्षण

इस पूरी प्रक्रिया में चुनाव आयोग जैसी स्वायत्त संस्था के सामने कई तरह की कानूनी अड़चन आ खड़ी हुई थी। मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को रोकने के लिए हाईकोर्ट में कई याचिकाएं पिछले एक माह से लगी थी।

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की थी

नहीं किया गया। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 24 दिसंबर को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र स्थगित होते ही अध्यादेश का प्रभाव समाप्त हो गया। अब सरकार ने अध्यादेश निरस्त किए जाने के लिए नया अध्यादेश जारी किया है।

पचास प्रतिशत की सीमा में है। ओबीसी का आरक्षण बढ़ाए जाने की राजनीति कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में शुरू हुई थी। कमलनाथ सरकार के 27 प्रतिशत आरक्षण किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट ने रोक रखा है। हाईकोर्ट में इस पर बहस हुई लेकिन, आरक्षण की सीमा बढ़ाए

सरकार की हठधर्मिता हारी- कमलनाथ, पूर्व सीएम

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देने का काम कांग्रेस ने किया था। इस सच को कोई झुठला नहीं सकता है। कांग्रेस ने हमेशा इस वर्ग के हित की लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया था, तब भी कांग्रेस ने चिंता जताते हुए विधायक दल में प्रस्ताव पारित किया और सरकार से पुनर्विचार याचिका लगाने की मांग की थी। आज सरकार ने उस बात को मान लिया। यह विषय राजनीति का नहीं बल्कि ओबीसी के हक का है। सच की जीत हुई है। 2018 में कमलनाथ के नेतृत्व में बनी कांग्रेस की सरकार ने 2019 में केबिनेट में एक प्रस्ताव पारित कर राज्य में ओबीसी का आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने का फैसला किया था। बाद में राज्य विधानसभा ने इसे सर्वानुमति से मंजूरी भी दे दी थी। वह मामला आगे बढ़ता उससे पहले ही मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग की परीक्षा में बैठने वाले कुछ छात्रों ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी और कोर्ट ने मामले पर स्टे दे दिया। तब से ही मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

प्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द होने पर पूर्व सीएम कमलनाथ का कहना है कि अब हम उम्मीद करते हैं कि ओबीसी वर्ग के साथ न्याय होगा और उनको उनका हक मिलेगा। परिसीमन हो लेकिन शिवराज सरकार ने अड़यिल रवैया अपनाए रखा, इसको लेकर हमने पुरजोर ढंग से सड़क से लेकर सदन तक अपनी बात रखी, सरकार के इस निर्णय का विरोध किया और आखिर आज सत्य की जीत हुई। देर आए, दुरुस्त आए, हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि सरकार असंवैधानिक तरीके से मध्यप्रदेश में पंचायत के चुनाव कराने जा रही है। हम सरकार पंचायत चुनाव अधिनियम के तहत जारी अध्यादेश को तत्काल वापस लेने की मांग पहले दिन से कर रहे थे। आखिरकार सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा और हमारी सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर जो फैसला किया था वही आज सत्य साबित हुआ। अब परिसीमन भी होगा और सीमांकन भी होगा। इससे प्रदेशवासियों को निश्चित रूप से लाभ होगा। सरकार इसी आधार पर पंचायत चुनाव कराये हम उनके साथ हैं।

जाने पर लगी रोक को नहीं हटाया। कांग्रेस और कमलनाथ दोनों ही आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 27 प्रतिशत बहाल कराने के पक्ष में है।

ओबीसी आरक्षण पर घिरी शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव पर लिया यू-टर्न- मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश वापस ले लिया गया। शिवराज सरकार ओबीसी आरक्षण पर पंचायत चुनाव में फंस गई है और अपने ही बुनेजाल में घिरी सरकार ने यू-टर्न ले लिया है।

पंचायत चुनावः ऐलान से लेकर, रोक तक की पूरी कहानी

मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर खासा विवाद देखने को मिला। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी सीटों पर चुनाव को स्टे कर दिया। हालांकि इसके बाद भी चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही कि चुनाव पर रोक लगेगी या नहीं! बहरहाल अब पंचायत चुनाव पर रोक लग गई है।

पंचायत चुनाव में सबसे बड़े विवाद की शुरुआत- 21 नवंबर 2021 को मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संसोधन) अध्यादेश 2021 लाकर शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार के समय 2019 में हुए पंचायत के परिसीमन और आरक्षण को समाप्त कर दिया था। भाजपा सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया था कि यदि परिसीमन एक साल के भीतर लागू न हो तो एमपी पंचायत एक्ट के अनुसार वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 213 क्लॉज 1 की शक्तियों (राज्यपाल को शक्ति प्रदान करता है) का प्रयोग करते हुए शिवराज सरकार ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संसोधन) अध्यादेश 2021 लाकर मध्यप्रदेश पंचायती राज अधिनियम की मूल धारा 9 में नई धारा 9 जोड़ दी है, जिसमें दो बिंदुओं को जोड़ा गया है। 2019 के परिसीमन को समाप्त करना और रोटेशन प्रकिया का ज़रूरी नहीं होना। भाजपा सरकार के इस फैसले पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने एतराज जताया और फैसले को संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ बताया।

पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान- 04 दिसंबर को मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश में तीन चरणों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण के संबंध में दिए गए आदेश के मुताबिक शिवराज सरकार को अब आरक्षण की प्रक्रिया अपनानी होगी। इसके लिए पहले पिछड़ा वर्ग की गणना करनी होगी और उसके आधार पर आरक्षण का निर्धारण

पंचायत चुनाव कराने का एलान कर देता है। जिसके बाद ग्राम पंचायतों में आचार संहिता लागू हो जाती है और चुनाव का माहौल शुरू हो जाता है। दिसबंर से शुरु हुई प्रदेश में पंचायत की चुनाव प्रक्रिया 23 फरवरी तक पूरी होगी। पंचायत चुनाव में पहले चरण का मतदान 6 जनवरी को, दूसरे चरण का 28 जनवरी और तीसरी चरण का 16 फरवरी को मतदान होगा।

हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला- परीसीमन और रोटेशन के शिवराज सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने जबलपुर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 9 दिसंबर को जबलपुर हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला आता है, इस फैसले में कोर्ट ने पंचायत चुनाव में रोक लगाने से इंकार कर दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और पूरे मामले की पैरवी करने वाले वकील विवेक तनखा सुप्रीम कोर्ट का रूख करते है। इस बीच जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले से पहले ही 7 दिसंबर को कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर और जया ठाकुर ने पंचायत चुनाव में रोटेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते है। इस बीच जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस को झटका लगता है और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार करते हुए पूरा मामला फिर जबलपुर हाईकोर्ट को भेज दिया। वहीं जबलपुर हाईकोर्ट ने पूरे मामले की अर्जेट हियरिंग से मना कर दिया था और अगली सुनवाई के लिए कोर्ट की शीतकालीन अवकाश के बाद की तारीख दी। इस बीच याचिकाकर्ताओं को जब राहत नहीं मिलती है तो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है जिसकी सुनवाई 17 दिसंबर को होती है और सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग से पूछता है कि क्या ओबीसी को 27प्रतिशत आरक्षण देकर पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं, राज्य सरकार के पास कोई ऐसा पुख्ता डेटा नहीं है तो फिर सरकार पंचायत चुनाव में ओबीसी को 27प्रतिशत आरक्षण देकर पंचायत चुनाव क्यों करा रही है।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश- राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ठोस जवाब न मिलने के कारण सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र फैसले (महाराष्ट्र निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराए जाएं) के संदर्भ में ही एमपी पंचायत चुनाव पर अहम फैसला सुनाया था और मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश दिया था कि आप चुनाव जारी रखें, लेकिन जहां ओबीसी आरक्षित पदों पर चुनाव होने हैं उनको सामान्य सीट करके चुनाव कराए जाएं, नहीं तो हम चुनाव रद्द भी कर सकते हैं।

ओबीसी सीटों पर चुनाव प्रक्रिया रोकी गई- सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद निर्वाचन आयोग 17 दिसंबर की शाम को ही एक

होगा। सूबे में पंचायतों का नए सिरे से परिसीमन कराकर रोटेशन के आधार पर आरक्षण प्रक्रिया करनी होगी। ओबीसी आरक्षण को लेकर एमपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश की रोशनी में काम करना होगा और साथ ही पंचायत

नोटिफिकेशन जारी करता है। जिसमें ओबीसी आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव पर रोक लगा दी जाती है। मीडिया से बातचीत में निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया था कि एससी-एसटी व सामान्य सीट पर चुनाव जारी रहेंगे। सरकार को 07 दिन में जवाब देना है ताकि ओबीसी सीटों को सामान्य सीट करके नया रिनोटिफिकेशन जारी कर सकें और चुनाव आयोग कोर्ट की अवमानना से भी बच सके।

पंचायत में ओबीसी आरक्षण पर राजनीति- पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग के लिए पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के करीब 70 हजार पद आरक्षित हैं और यहीं कारण है कि पंचायत चुनाव में ओबीसी सीटों पर निर्वाचन प्रक्रिया रोके जाने के निर्वाचन आयोग के फैसले के साथ ही सियासत की एंट्री हो जाती है। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर पिछड़ा वर्ग विरोधी होने का आरोप लगाते है।

विधानसभा में ओबीसी आरक्षण की गूंज- पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी उठा। विधानसभा में कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए स्थगन प्रस्ताव पेश किया। जिस पर बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। सदन में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। तो वहीं प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा है कि पंचायत चुनाव में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराना प्रदेश की 70प्रतिश आबादी के साथ अन्याय करने जैसा है, ये चिंता का विषय है। ओबीसी आरक्षण को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि हम बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव में नहीं जाएंगे। ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

गांव से लेकर शहर तक भ्रम- मध्यप्रदेश में पिछले 2 साल से भी अधिक समय से अधर में लटके पंचायत चुनाव पर हर नए दिन के साथ सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट और सरकार से लेकर निर्वाचन आयोग के बीच झूलते पंचायत चुनाव का पूरा मामला इस वक्त मध्यप्रदेश की सियासत में सबसे बड़ी सुर्खियों में थे। पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत अजमाने के इंतजार में बैठे लाखों प्रत्याशियों को अपना भविष्य भी अंधकार में नजर आ रहा था। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव में दो चरणों की चुनाव प्रक्रिया जारी थी और नामांकन भी हो गए थे। 23 दिसंबर को सभी प्रत्याशियों की चुनाव चिन्ह भी वितरित कर दिए गए थे।

चुनाव में आरक्षण अनुसूचित जाति-जनजाति के आरक्षण को मिलाकर 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं हो इस बात का भी ध्यान रखना होगा।

शिवराज सरकार ने कमलनाथ के आदेश को पलटा- बता दें कि मध्यप्रदेश में

सरकार से प्रत्याशी मांग रहे मुआवजा

मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव ऐन वक्त पर निरस्त के एलान के बाद चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने सरकार से मांग की है कि चुनाव प्रचार पर खर्च किए गए पैसे का मुआवजा मिलना चाहिए। एमपी पंचायत चुनाव एन वक्त पर निरस्त करने से प्रत्याशियों को बड़ा झटका लगा है। इसके बाद प्रत्याशियों की सरकार से मांग है कि इस दौरान प्रचार सामग्री और गाड़ी पेट्रोल में हुए खर्च का सरकार मुआवजा दें। इसमें सभी प्रत्याशियों को कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है। सरकार ने आखिरी समय यानि पहले फेस के मतदान से ठीक 10 दिन पहले चुनाव स्थगित किये, उससे प्रत्याशियों के पैसे बेकार चले गए, इसलिए सरकार को खर्चे का मुआवजा देना चाहिए।

कांग्रेस का भी समर्थन - पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की खर्चे के मुआवजे की डिमांड को कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है। इसे लेकर सरकार के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश भर में पोल खोल अभियान चलाएगी। पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो पोलखोल अभियान चलाएगी, जिसके लिए हर गांव, शहर और कस्बों तक जाएगी। इसे लेकर जल्द मंडल सेक्टर जिला अध्यक्ष के साथ बैठक की तैयारी की जा रही है।

सिक्योरिटी मनी भी होगा रिफंड- मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव में पहले और दूसरे चरण के नामांकन की प्रकिया शुरु हो गई थी। ऐसे में जिन लोगों ने नामांकन फॉर्म जमा कर दिए थे। ऐसे में उनकी जमानत राशि का क्या होगा? इस पर निर्वाचन आयोग ने स्थिति साफ कर दी है। पंचायत चुनाव स्थगित होने के बाद निर्वाचन आयोग ने पहले ही कह दिया कि पंचायत चुनाव में जिन प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म के साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था, उन्हें परेशान होने की जरुरत नहीं है, क्योंकि जिस प्रत्याशी ने जहां नामांकन फॉर्म भरा था, वहीं से सिक्योरिटी मनी रिफंड की जाएगी।

तत्कालीन कमलनाथ की सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान 102 ग्राम पंचायतें खत्म कर 1200 नई ग्राम पंचायतें बनाई थीं। कमलनाथ सरकार ने सिंतबर 2019 में यह किया था। इसके साथ प्रदेश में 23,835 ग्राम पंचायतें हो गई गई थी। 904 जिला पंचायत सदस्य और 6035 जनपद सदस्य त्रि-स्तरीय पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जनपद अध्यक्ष के लिए आरक्षण भी हो गया था। जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए आरक्षण बाकी था। कमलनाथ सरकार के

ओबीसी आरक्षण की राजनीति से गांवों पर असर

चुनाव को लेकर हुई अदालती लडाई अपनी जगह है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने ग्रामीण अंचलों के सामाजिक ताने बाने में नई तरह की हलचल पैदा कर दी है। दरअसल, जब चुनाव की घोषणा हुई थी, तो उस समय नई आरक्षण व्यवस्था को देखते हुए पिछड़ा वर्ग के कई उम्मीदवार अपने लिए संभावनाएं खोजने में लग गए थे लेकिन, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब जब उनके लिए संभावनाओं के दरवाजे अचानक बंद हो गए हैं तो उनका निराश होना स्वाभाविक है। भविष्य में क्या होगा यह तो नहीं कहा जा सकता लेकिन इस घटनाक्रम को लेकर गांवों में पिछड़ा वर्ग के लोगों के बीच नया असंतोष पनपा है। यह असंतोष अपना राजनीतिक असर तो दिखाएगा ही लेकिन पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के बीच नई खटास पैदा करेगा। नई परिस्थिति के चलते सामाजिक ताने बाने को पहुंचने वाले नुकसान का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोर्ट के आदेश को राज्य के दो प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस ने अपने-अपने हिसाब से भुनाना शुरू भी कर दिया है। भाजपा ने कहा कि पिछड़ा वर्ग विरोधी कांग्रेस ने पंचायतों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण खत्म करवा ही दिया। पीएम नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान मध्यप्रदेश की 54 फीसदी आबादी को आगे लाने का प्रयास कर रहे थे, जिस पर कमलनाथ ने पानी फेर दिया। भाजपा ने आरोप लगाया तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपाई, कांग्रेस पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। मामला यहीं नहीं थमा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को लेकर कांग्रेस को घेरने और उसे ओबीसी विरोधी बताने के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी पीछे नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई एक याचिका के लिए पैरवी चूंकि कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा कर रहे थे इसलिए उन्हें भी निशाना बना लिया गया। विवेक तन्खा की ओर से इस पर तीखा कानूनी जवाब दिया गया। उन्होंने अपने वकील के जरिये शिवराज सिंह चौहान, वी.डी.शर्मा और भूपेंद्र सिंह को दस करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई उसमें और उस पर हुई सुनवाई के दौरान ओबीसी आरक्षण का जिक्र तक नहीं किया गया। पूरा मामला संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार पंचायतों के नए सिरे से परिसीमन और आरक्षण से जुड़ा है, जिसका इस सरकार ने पालन नहीं किया। हमने कोर्ट से इसी मामले में राहत की मांग की थी।

अब हालत यह है कि पंचायतों की यह लड़ाई एक तरफ सत्ता और विपक्ष के गलियारों तक पहुंच गई है, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के बीच दूरियां पैदा कर रही है। इस बीच सरकार पर भी ओबीसी समुदाय का दबाव बढ़ने लगा है। हाल ही में पड़ोसी राज्य उत्तरप्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव और दो साल बाद मध्यप्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए सरकार ओबीसी समुदाय को किसी भी सूरत में नाराज नहीं करना चाहती। जाहिर है ओबीसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरने वाली भाजपा इस मुद्दे पर अब अपने ही घर में घिर रही है। यह दबाव क्या रंग लाएगा उसी पर प्रदेश की पंचायतों के चुनाव से लेकर ग्रामीण सामाजिक परिवेश के ताने बाने का भविष्य तय होगा।

दौरान पंचायतों को परिसीमन और रोटेशन को खत्म करने के लिए शिवराज सरकार पिछले महीने ही अध्यादेश लेकर आई थी। इसके तहत पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सरकार ने ऐसी पंचायतों के परिसीमन को निरस्त कर दिया है, जहां बीते एक साल

ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होगा – शिवराज सिंह चौहान, सीएम

मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ सबको मिले यह हमारा प्रयास है। पिछड़े वर्ग के कल्याण में कोई कसर न छोड़ी गई है ना छोड़ी जाएगी। पंचायती राज अधिनियम में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। हम प्रतिबद्ध हैं कि पंचायत के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ ही हों। हम पिछड़ों के या किसी भी वर्ग के अधिकार के साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। ओबीसी के कल्याण के लिए कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हमने फिर से कमलनाथ सरकार के समय हुआ परिसीमन समाप्त कर दिया है। इसके लिए मध्यप्रदेश में नया अध्यदेश लागू हुआ है। प्रदेश में पंचायत एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश लागू किया है। अब नये सिरे से पंचायत के चुनाव होंगे और किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नही होगा।

से चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसी सभी जिला, जनपद या ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था ही लागू कर दी गई थी। जो पद, जिस वर्ग के लिए आरक्षित है, वही रखा गया था।

एमपी पंचायत चुनाव में कहां फंसा पेच- पंचायत आरक्षण के रोटेशन प्रणाली को न अपनाए जाने के चलते लेकर पेंच फंस गया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने मप्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि ट्रिपल टेस्ट का पालन किए बिना पंचायत चुनाव में आरक्षण के फैसले को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया सकता। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से कहा कि कानून के दायरे में ही रहकर ही चुनाव

कुर्सी की खींचतान और सरकार की मंशा पर सवाल

करवाए जाएं। हालांकि, सरकार को ट्रिपल टेस्ट के तहत ओबीसी के लोगों की गिनती करनी होगी। ये करने में सरकार को चार महीने का समय लग सकता है।

महाराष्ट्र के फैसले का एमपी में असर- दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर को महाराष्ट्र में स्थानीय चुनावों में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण देने वाले अध्यादेश को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने अपने 6 दिसंबर के आदेश में भी किसी तरह की तब्दीली से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले का असर मध्यप्रदेश के पंचायत चुनाव पर पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग से पिछली अधिसूचना में बदलाव करते हुए हफ्ते भर में नई अधिसूचना जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट

प्रदेश की आधी से ज्यादा आबादी ओबीसी, फिर भी मिलता है केवल 14 फीसदी आरक्षण

मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीति चरम पर है। राज्य विधानसभा में इस मुद्दे पर कांग्रेस के हंगामे को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पाखंड कहा तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर चालाकी की राजनीति करने का आरोप मढ़ दिया। इस मुद्दे पर दोनों पार्टियों की राजनीतिक बयानबाजी के बीच सच्चाई यह है कि एमपी में ओबीसी समुदाय की आबादी करीब 50 फीसदी है। इसके बावजूद इस समुदाय को केवल 14 फीसदी आरक्षण मिलता है। आबादी के अनुपात में तो यह कम है ही, ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने की मंडल कमीशन की सिफारिशों से भी काफी कम है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में खुद ही माना है कि राज्य की करीब आधी आबादी ओबीसी है और उन्हें 14 फीसदी आरक्षण मिलता है। 2019 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने इसे बढ़ाकर 27 फीसदी किया तो अदालत ने तत्काल इस पर रोक लगा दिया। इसी मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को यह जानकारी दी। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में ओबीसी की आबादी 50.09 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति (एसटी) की 21.1 प्रतिशत, अनुसूचित जाति (एससी) की 16.6 प्रतिशत और आरक्षण न पाने वाले लोगों की आबादी 13.27 प्रतिशत है। एमपी में 50.09 प्रतिशत आबादी वाले ओबीसी को 14 प्रतिशत, 21.1 प्रतिशत एसटी को 20 प्रतिशत और 16.6 प्रतिशत ओबीसी को 16 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है। कांग्रेस पर पाखंड का आरोप लगाने वाली बीजेपी की सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान खुद ओबीसी समुदाय से हैं। पिछले 15 वर्षो में बीच के 15 महीने छोड़कर प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार रही है और शिवराज ही मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके बावजूद ओबीसी आरक्षण का मुद्दा बैकग्राउंड में ही रहा है। लोकसभा में ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पास होने का नतीजा यह है कि राज्यों को ओबीसी कैटेगरी में जातियों को शामिल करने का अधिकार मिल जाएगा। यह तय है कि राज्य सरकारें इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिशें भी करेंगी।

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देने का काम कांग्रेस ने किया था। इस सच को कोई झुठला नहीं सकता है। कांग्रेस ने हमेशा इस वर्ग के हित की लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया था, तब भी कांग्रेस ने चिंता जताते हुए विधायक दल में प्रस्ताव पारित किया और सरकार से पुनर्विचार याचिका लगाने की मांग की थी। आज सरकार ने उस बात को मान लिया। यह विषय राजनीति का नहीं बल्कि ओबीसी के हक का है। सच की जीत हुई है।

किया कि अधिसूचना में पिछड़े वर्गो के लिए 27 फीसदी आरक्षण के प्रावधान को रद्द कर दिया है। इसके बाद अदालत ने बाकी बची 73 फीसदी सीटें सामान्य श्रेणी के लिए रखे जाने की नई अधिसूचना जारी करने का आदेश राज्य निर्वाचन आयोग को

इनका कहना है

अब हम उम्मीद करते हैं कि ओबीसी वर्ग के साथ न्याय होगा और उनको उनका हक मिलेगा। परिसीमन हो लेकिन शिवराज सरकार ने अड़ियल रवैया अपनाए रखा, इसको लेकर हमने पुरजोर ढंग से सड़क से लेकर सदन तक अपनी बात रखी, सरकार के इस निर्णय का विरोध किया और आखिर आज सत्य की जीत हुई। अब हम उम्मीद करते हैं कि ओबीसी वर्ग के साथ न्याय होगा और उनको उनका हक मिलेगा।

कमलनाथ, पूर्व सीएम, मप्र

भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर जनता के सामने उजागर हो गया है। भाजपा-आरएसएस हमेशा से ही दलित, आदिवासी, ओबीसी के आरक्षण के विरोधी रहे हैं। चाहे मप्र के ओबीसी वर्ग को 27प्रतिशत आरक्षण देने का मामला हो या पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण समाप्त करने का मामला हो। मप्र सरकार ने कोर्ट को ओबीसी का प्रमाणित डेटा ही उपलब्ध नहीं कराया, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

अरुण यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस

पिछले 17 सालों में बीजेपी ने अधिकार छीनने का काम किया। अर्जुन सिंह सरकार ने महाजन आयोग का गठन किया था, जिसके चलते 1985 में चुनाव में इसको कांग्रेस की ही सरकार ने लागू किया था, न कि बीजेपी की सरकार ने। कांग्रेस की सरकर ने ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिए काम किया। 2006 में भी कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने केंद्र सरकार के सभी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण देने का काम किया। ओबीसी आरक्षण को लेकर कमलनाथ जी ने 27 प्रतिशत आरक्षण के पक्ष में अपना पक्ष रखा। चुनाव में रोटेशन और परिसीमन का पालन नही किया गया। बीजेपी डरे सहमे हैं, जनता के वोट को लूटना चाहते हैं, लेकिन जनता सब समझ चुकी है।

कमलेश्वर पटेल, पूर्व मंत्री

कांग्रेस हमेशा से ओबीसी विरोधी मानसिकता वाली पार्टी रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा ने पंचायत चुनावों में 27प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का विरोध किया है। विवेक तनखा ने अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए और मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार के अध्यादेश का विरोध किया। इसे संविधान के अनुच्छेद 243 (सी) एवं (डी) का उल्लंघन बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की। कांग्रेस यह बताने की पुरजोर कोशिश करती है कि वह ओबीसी की पक्षधर है।

भूपेंद्र सिंह, नगरीय विकास और आवास मंत्री, मप्र

दिया था। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार ओबीसी के लिए निर्धारित सीटों को सामान्य सीटों में तब्दील करने की अधिसूचना जारी करे। इसके बाद मामला और उलझ गया। विरोधियों के साथ-साथ पार्टी के अंदर से ओबीसी के बड़े नेताओं की उठती आवाज ने शिवराज सरकार को बेचैन कर दिया था। इसके बाद सरकार बैकफुट पर थी। ओबीसी पंचायत पर बुरी

परिसीमन समाप्त, होगा जिला,

पंचायत चुनाव में आरक्षण और परिसीमन को लेकर बैकफुट पर आई शिवराज सरकार ने अब नया दांव खेला है। सरकार ने कमलनाथ सरकार में हुए परिसीमन को एक बार फिर समाप्त कर दिया है। इसके लिए नया अध्यादेश लागू किया गया है। इसकी अधिसूचना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जारी की गई है। अब जिला पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत तक का परिसीमन नए सिरे से किया जाएगा। पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2021 की अधिसूचना में कहा गया है कि चुनाव की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी कारण से ऐसे परिसीमन के प्रकाशन की तारीख से 18 माह की अवधि के भीतर जारी नहीं की जाती है, तो प्रकाशित परिसीमन व विभाजन निरस्त माना जाएगा।

पंचायत विभाग द्वारा जारी नया अध्यादेश- इससे पहले सरकार ने एक महीने पहले कमलनाथ सरकार के दौरान 2019 को लागू परिसीमन और आरक्षण को समाप्त करने के लिए अध्यादेश लागू किया था, जिसे 26 दिसंबर को वापस ले लिया गया था। कमलनाथ सरकार ने सिंतबर 2019 में प्रदेश में जिले से लेकर ग्राम पंचायतों तक नया परिसीमन कर करीब 1200 नई पंचायतें बनाई थी, जबकि 102 ग्राम पंचायतों को समाप्त कर दिया गया था। इसी तरह, 1950 की सीमा में बदलाव भी किया गया था। शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच 22 नंवबर को ऐसी पंचायतों के परिसीमन को निरस्त कर दिया था, जहां बीते एक साल से चुनाव नहीं हुए थे। ऐसी सभी जिला, जनपद या ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया गया था। यानी 2014 में हुए चुनाव के दौरान थे। सरकार के इस फैसले को कांग्रेस ने कोर्ट में चुनौती दी थी। इस बीच पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का नया पेंच आने के बाद सरकार ने इस अध्यादेश को वापस ले लिया था। इसके लिए

तरह से घिरी शिवराज सरकार इन चीजों के लिए कांग्रेस के सिर पर ठिकरा फोड़कर अपने बचाव में जुटी थी। ऐसे में एक महीने पहले अध्यादेश पास कर शिवराज सरकार ने राज्य में पंचायत चुनाव कराने का फैसला किया था और अब उसी अध्यादेश को वापस ले लिया।

सीएम शिवराज के लिए चुनौती है आरक्षण- शिवराज सिंह चौहान के लिए ओबीसी का आरक्षण 27 प्रतिशत बरकरार रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। उनकी सरकार में आरक्षण कम होता है तो नुकसान पार्टी को भी होगा। लिहाजा वे पंचायत चुनाव के आरक्षण के जरिए अपनी साख बचाने में लगे हुए थे। पिछले महीने राज्य की भाजपा सरकार कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली सरकार द्वारा 2019 में तय परिसीमन और आरक्षण रोटेशन की प्रयिा को रद्द करने के लिए यह अध्यादेश लाई थी। इस अध्यादेश के आधार पर 2014 के परिसीमन और आरक्षण रोटेशन के अनुसार पंचायत चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई थी।

उल्लेखनीय है कि राज्य की त्रि-स्तरीय पंचायत के चुनाव के लिए इस साल 06 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी को मतदान तीन चरणों में होने थे, लेकिन 17 दिसंबर को उच्चतम न्यायालय ने मध्यप्रदेश निर्वाचन आयाग को स्थानीय निकाय में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया रोकने और उन सीटों को सामान्य वर्ग के लिए फिर से अधिसूचित करने का निर्देश दिया और राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव ही निरस्त कर दिए। शिवराज सरकार पंचायत चुनाव में 2014 के आरक्षण को ही लागू करने के खिलाफ कांग्रेस ने सरकार पर पहले हमला बोला। क्योंकि शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार द्वारा राज्य में पंचायतों के 2019 में किए गए परिसीमन को भी निरस्त कर दिया गया, क्योंकि पंचायती

जनपद, पंचायतों का सीमांकन

26 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। इसी दिन राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई।

पंचायत चुनाव निरस्त होने की यही वजह बनी- विधि विशेषज्ञों ने अभिमत दिया कि जिस अध्यादेश के आधार पर चुनाव प्रक्रिया संचालित की जा रही थी, जब वो ही समाप्त हो गया तो फिर चुनाव कराने का औचित्य ही नहीं बचा था। दरअसल, अध्यादेश वापस लेने से वह परिसीमन पुनः लागू हो गया, जिसे निरस्त किया गया था। 1200 से ज्यादा पंचायतें फिर अस्तित्व में आ गईं। ऐसे में चुनाव कराया जाना संभव नहीं था। आयोग ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 42 में दी गई शक्ति और मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 18 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनाव कार्यम और इससे संबंधित सभी कार्यवाहियों को निरस्त कर दिया।

विधानसभा में खूब हुआ बवाल- 20 दिसंबर से एमपी में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। सत्र के दौरान ओबीसी आरक्षण को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रही थी। मामला बढ़ता देख शिवराज सिंह चौहान ने सदन में खुद सफाई दी। सदन में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस की वजह से ओबीसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। कांग्रेस सिर्फ दिखावा कर रही है। हमारी सरकार लगातार ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने के लिए प्रयास कर रही है। अगले दिन फिर इसे लेकर सदन में बवाल हुआ तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया कि अब राज्य में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना नहीं होंगे। वहीं, कांग्रेस ने भी कहा कि ओबीसी को आरक्षण दिलाने के लिए कोर्ट में हम भी सरकार के साथ लड़ाई लड़ेंगे। ओबीसी आरक्षण विवाद को लेकर शिवराज असहज हो गई थी। उमा भारती ने इसे लेकर सवाल उठाया था। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल ने भी शिवराज पर इशारों-इशारों में निशाना साधा। प्रह्लाद पटेल ने कहा है कि पिछड़ों को आग में ना झोकें तो अच्छा होगा। साथ ही जरूरी कदम नहीं उठाए जाने को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। ऐसे में शिवराज सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। प्रदेश में सबसे ज्यादा ओबीसी की आबादी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद इसी वर्ग से आते हैं। आरक्षण के मुद्दे पर शिवराज सरकार किसी भी कीमत पर इस वर्ग को नाराज नहीं करना चाहता है। अंत में सरकार ने कैबिनेट की बैठक में पंचायत चुनाव को टालने का फैसला लिया है। सरकार की तरफ से कहा गया कि कैबिनेट ने प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 9 (क) के अंतर्गत होने वाले पंचायत चुनाव के अध्यादेश को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर रायपाल को भेजने का निर्णय लिया था।

राज अधिनियम के मुताबिक नया परिसीमन होने के एक साल में चुनाव आवश्यक हैं, मगर ऐसा नहीं हो पाया था। वहीं आरक्षण की व्यवस्था जो वर्ष 2014 में थी उसे ही लागू रखा गया है, कांग्रेस ने इसे पंचायती राज नियम के खिलाफ बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

मध्यप्रदेश में कोरोना की वजह से डेढ़ साल से पंचायत चुनाव टल रहे थे। कोर्ट की फटकार के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने बीते दिनों तीन चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया था। पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन भी हो गए थे। ओबीसी आरक्षण में रोटेशन प्रणाली और सीमांकन को लेकर पेंच फंस गया। कई लोगों ने कोर्ट में याचिका लगाकर चुनाव रद्द करने की मांग की थी। एमपी हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने से इनकार दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने को कहा था। हाईकोर्ट ने अर्जेट सुनवाई से इनकार कर दिया था। इसके बाद अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार लगाई। साथ ही कहा कि आग से मत खेलिए। कानून के दायरे में रहकर चुनाव करवाइए। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी के लिए रिजर्व सीटों को सामान्य कर दिया। अगले दिन इन सीटों पर चुनाव स्थगित करने का फैसला किया। कोर्ट के फैसले के बाद ही चुनाव को लेकर कोई फैसला होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के फैसला के बाद सरकार ने कांग्रेस के मत्थे ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया। बीजेपी की तरफ से कहा जाने लगा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि ओबीसी को आरक्षण मिले। कांग्रेस की वजह से ही ओबीसी का हक मारा गया है। इसके बाद

अपने ही मकड़जाल में उलझ गई शिवराज सरकार

भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को सिंधिया को तव्वजो देना सुहा नहीं रहा

22 मार्च 2020 से पहले शिवराज और भाजपा के लिए सब ठीक चल रहा था। भले ही वो विपक्ष में थे, पर जनता पर उनकी गहरा छाप थी। पर मार्च 2020 के बाद मानो सारे ग्रह–नक्षत्र पलट गए। सबसे पहले सिंधिया और उनके ठेठ कांग्रेसी समर्थकों को भाजपा में जबरदस्ती समायोजित कर दिया गया। आम भाजपा कार्यकर्ता को ये बे–मेल विवाह पसंद नहीं आया। आगे इनमें जो चुनाव जीत गए वो मंत्री बन गए, जो हार गए वो निगम मंडल में एडजस्ट कर दिए गए। मध्यप्रदेश भाजपा में मानो सिर्फ सिंधिया की चल रही है। उन्होंने अपने सभी चेलों को संगठन में भी एडजस्ट करा दिया। अब कुशाभाऊ ठाकरे वाली मध्यप्रदेश भाजपा के बेचारे कार्यकर्ता तो ठगे से रह गए। जिस कार्यकर्ता ने हर एक सीट को अपने खून पसीने से सिंचित कर कमल का फूल उगाया। जिस चंबल क्षेत्र के छत्रपों ने बरसों महल से लोहा लेकर कमल उगाया उनको हाशिए पर बिठा दिया गया। चाहे प्रभात झा, जयभान सिंह पवैया, लाल सिंह आर्य और ना जाने चंबल के कितने ही छत्रपों को घर बिठा दिया गया। इन नेताओं ने महल का विरोध करके ही इस क्षेत्र में भाजपा को बढ़ाया है। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि भाजपा के चंबल क्षेत्र के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी भी इस बार निगम मंडल और संगठन में नहीं चली। ऊपर से नीचे तक भाजपा कैडर को सिंधिया को इतनी ज्यादा तव्वजो देना सुहा नहीं रहा। 2023 में इसकी बानगी अवश्य देखने को मिलेगी। चंबल को छोड़ पूरे प्रदेश में भी अपने छत्रप का तिरस्कार भाजपा कर रही है। कैलाश विजयवर्गीय हो या नरेंद्र सिंह तोमर, गौरीशंकर शेजवार, जयंत मलैया और ना जाने कितने छत्रपों की उपेक्षा भाजपा में पहली बार देखने को मिली है। मध्यप्रदेश में भाजपा ने अपनी ही पार्टी और संगठन को छार–छार करके रख दिया, वो भी सिंधिया के लिए जिनके ऊपर गद्दारी का तमगा लगा है। 2023 भाजपा कांग्रेस से नहीं भाजपा से ही लड़ते दिखाई देगा। इसका एक उदाहरण दमोह उपचुनाव है। मध्यप्रदेश भाजपा में शिवराज सिंह से बड़े नेता कोई नहीं है और पूरे मध्यप्रदेश में की नब्ज भी उनको मालूम है, पर उसके बाद भी वो कैसे अपने बनाए हुए मकड़जाल में फंस गए। भाजपा उनके बगैर चुनाव नहीं जीत पाएगा पर अपनी बनाई समस्या में फंसी भाजपा के लिए 2023 चुनाव मुश्किल दिखते हैं।

कांग्रेस ने कहा कि हमने रोटेशन प्रणाली पर सवाल उठाया था। ओबीसी आरक्षण के पक्ष में राज्य सरकार अपना पक्ष सही से नहीं रख पाई है। यह विवाद पंचायतों में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से जुडा है। वर्तमान शिवराज

आदिवासी कार्ड उल्टा पड़ा

भाजपा का मध्यप्रदेश मे आदिवासी कार्ड भी उल्टा पड़ते नजर आ रहा है। वैसे भी पारंपरिक तौर पर कास्ट पॉलिटिक्स से भाजपा को कभी फायदा नहीं हुआ, भाजपा को हमेशा फायदा पोलराइजेशन से रहा है। पर तब भी भाजपा ने 2023 में जातिगत कार्ड से उतरने का फैसला किया। सबसे पहले आदिवासी कार्ड खेला गया। प्रधानमंत्री मोदी जी आए ढेर सारी सरकारी योजनाएं खोली गई ताकि जयस आदि कि अभी बनी आदिवासियों पर पकड़ कमजोर हो। इसी तारतमय में टंट्या भील का मंदिर आदि इत्यादि की घोषणा कर दी गयी। भाजपा के मंत्री तो दो कदम और आगे बढ़ गए, पर्यटन मंत्री ने तो टंट्या भील का ताबीज पहनने से सभी बीमारी से छुटकारे की बात की तो कमल पटेल ने शिवराज सिंह को टंट्या भील (मामा) का अवतार घोषित कर दिया। बस बात में यहीं से रार आ गई। मध्यप्रदेश की कुल आबादी 8.74 करोड़ के लगभग है, जिसमें से आदिवासी आबादी 21.3 प्रतिशत के लगभग यानी 1.83 करोड़ आदिवासी मतदाता है, इसमें से 37.7 प्रतिशत भील आदिवासी समाज है। शिवराज सरकार ने इन्हीं भील आदिवासी समाज को टारगेट किया पर वो भूल गई कि प्रदेश में 65 लाख गोंड आदिवासी समाज भी है। भील आदिवासी को तवज्जों मिलने से गोंड आदिवासी समाज काफी नाराज़ है। वैसे गोंड आदिवासी अपने आप को आदिवासियों में श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे में टंट्या भील मंदिर और ऐसी ही घोषणाएं उन्हें नहीं भाई हैं। आदिवासी समाज वैसे भी अपने परंपरा से काफी जुड़ा हुआ रहता है और यह सब बातों से वो काफी आहत है। गोंड आदिवासी सरकार से काफी नाराज़ है। भील आदिवासी समाज भी सरकार के खिलाफ बटा सा है, उसका मुख्य कारण निमावर हत्याकांड जिसमें भीलाला आदिवासी समाज के 5 लोगों की हत्या कर उंनके शव को खेत में गाड़ दिया गया था। नीमावर हत्याकांड में परिवार में बची हुई बिटिया ने न्याय यात्रा 1 जनवरी 2022 को निकालना चालू कर दिया है। इस न्याय यात्रा में पीड़िता आरोपियों की फांसी की मांग कर रही हैं। भील आदिवासी समाज इन दोनों मामलों में सरकार से अलग हो रहा है। नीमच में हुआ कनैया भील हत्याकांड से भी भील समाज में काफी रोष है।

सरकार ने तो ये चुनाव 2014 की स्थिति के अनुसार ही कराने का फैसला किया और साथ ही पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का दायरा नए सिरे से तय कर दिया।

एमपी में ये है आरक्षण की मौजूदा स्थिति

मध्यप्रदेश में एसटी वर्ग के लिए 20 फीसदी, एससी वर्ग के लिए 16 फीसदी और ओबीसी वर्ग के लिए 14 फीसदी सीटें आरक्षित हैं लेकिन प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग के लिए 27 फीसदी सीटें आरक्षित कर दी थीं। जिस कारण कुल आरक्षण की सीमा 50 फीसदी के पार चली गई थी। यही वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी सीटों पर चुनाव पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में महाराष्ट्र मामले में दिए अपने आदेश का जिक्र किया। जिसके तहत आरक्षण देने से पहले ट्रिपल टेस्ट की तीनों शर्तो का पूरा होना जरूरी है। इन शर्तो के तहत राज्य में एक ओबीसी आयोग का गठन किया जाना चाहिए। आयोग राज्य में पिछड़े वर्ग की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करे और उसके आधार पर आरक्षण की सीमा तय करे। साथ ही कुल आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सरकार और विपक्ष ने विधानसभा में संकल्प प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव कराने की बात कही गई और सर्वसम्मति से इसे पास भी कर दिया गया। इसी बीच प्रदेश में ओमिक्रॉन की दस्तक और कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ ही चुनाव पर रोक की मांग होने लगी। जिसके बाद सरकार ने कैबिनेट की बैठक में पंचायत चुनाव पर रोक का प्रस्ताव पास कर दिया। इस प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा गया। राज्यपाल ने भी प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी और अब निर्वाचन आयोग चुनाव पर रोक का आधिकारिक ऐलान कर दिया।

मध्यप्रदेश में निर्धारित समय से करीब दो साल बाद होने जा रहे पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, संपन्न होने से पहले ही गहरे विवाद में उलझ गए। यह विवाद चुनाव प्रक्रिया तक सीमित रहता तो भी ठीक था, लेकिन राजनीतिक कारणों से शुरू होकर यह दूरगामी सामाजिक दुष्परिणामों तक पहुंच गया है। इन दिनों चुनाव प्रक्रिया से लेकर चुनाव परिणामों तक को प्रभावित करने वाले आरक्षण के मुद्दे ने राज्य में पंचायत चुनाव के बहाने ग्रामीण अंचल के सामाजिक ताने बाने को

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का कहना है कि प्रदेश में आरक्षित और कमजोर वर्गो के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। इसी के साथ कमलनाथ ने प्रदेश की शिवराज सरकार से ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का मसला जल्दी हल करवाने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि सरकार पिछड़े वर्ग को उसके हक से वंचित कर रही है।

खतरा पैदा कर दिया है। एक तो पहले ही राज्य में पंचायत चुनावों की प्रक्रिया बहुत देर से शुरू हुई थी। ये चुनाव वैसे तो 2019 में ही हो जाने थे, लेकिन पहले कमलनाथ सरकार के दौरान पंचायतों के नए सिरे से परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया के कारण और बाद में कोरोना महामारी के चलते ये टलते गए। आखिरकार इनकी घोषणा हुई तो पंचायतों में आरक्षण को लेकर मामला बुरी तरह उलझ गया और ऐसा उलझा कि सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देकर राज्य के चुनाव आयोग को चेतावनी देनी पडी कि यदि उसने आरक्षण की प्रक्रिया तय करते समय सर्वोच्च अदालत के दिशानिर्देशों की अनदेखी की तो अदालत को पूरी चुनाव प्रक्रिया ही रद्द कर देनी पड़ेगी। विवाद यहीं से शुरू हुआ। कुछ लोगों ने संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार परिसीमन और आरक्षण का रोटेशन नए सिरे से तय किये बिना ये चुनाव कराए जाने को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी। अदालत में तर्क दिया गया कि सरकार ने 2019 में हुए पंचायतों के परिसीमन और आरक्षण के ढांचे को दरकिनार करते हुए नया ढांचा प्रस्तावित किया है जो ठीक नहीं है क्योंकि इससे 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा वाले सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का भी उल्लंघन होता है। हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

मध्यप्रदेश की राजनीति में ओबीसी के आरक्षण के मुद्दे की आग तो कई सालों से सुलग रही है, लेकिन उसमें ज्यादातर लपटें तभी उठती हैं, जब इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक दलों को कोई चुनावी फायदा नजर आता हो।

इस बार भी यही हुआ है। असलियत में यह 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों

की तैयारी से जुड़ा मामला भी है और यही कारण है कि सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस मुद्दे पर एक दूसरे को राजनीतिक लाभ न लेने देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट पिछले करीब दो साल से राज्य में ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के मामले की सुनवाई कर रहा है। सरकार ने हाल ही में कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया उसमें कहा गया है मध्यप्रदेश में ओबीसी की आबादी 50.09 प्रतिशत है। ओबीसी की आबादी के ये जिलेवार आंकड़े आधिकारिक रूप से पहली बार ऑन रिकार्ड सामने लाए गए हैं। जैसे ही इस हलफनामे की बात बाहर आई कांग्रेस को इस मामले को हवा देने का मौका मिल गया।

यह विवाद चुनाव प्रक्रिया तक सीमित रहता तो भी ठीक था, लेकिन राजनीतिक कारणों से शुरू होकर यह दूरगामी सामाजिक दुष्परिणामों तक पहुंच गया है।

कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर किया था 27 फीसदी- कांग्रेस इस मामले में क्यों कूदी

इनका कहना है

उम्मीदवारों के खर्चे की भरपाई कौन करेगा

इस चुनाव में मैं भी तमाम उम्मीदवारों की तरह उठापटक कर जनसंपर्क कर निर्वाचन प्रक्रियाओं की पूर्ति की और तमाम शासकीय प्रक्रियाओं को पूरा करती रही। भोपाल जिला पंचायत के 06 जनवरी को प्रथम चरण के चुनाव होने थे। तभी 27 दिसम्बर को निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव निरस्त करने की घोषणा कर दी। जब बार-बार कोर्ट में याचिकाएं दायर हो रही थी। सुनवाई जारी थी तो निर्वाचन आयोग को पहले ही चुनावों को निरस्त कर देना चाहिए था। उम्मीदवारों को इतना खर्च करने का समय क्यों दिया गया। चुनावों में उम्मीदवारों का काफी खर्च हुआ है। चुनाव प्रचार-प्रसार में लोगों ने लाखों रूपये खर्च कर दिये हैं। हमारी मांग है कि सरकार उम्मीदवारों का जो खर्च हुआ है उसकी भरपाई करे। इतिहास में पहली बार देखने को मिला कि चुनाव चिंह मिलने के बाद चुनाव निरस्त हुए हैं।

उमा भार्गव, जिला पंचायत सदस्य पद हेतु उम्मीदवार थी

काफी पैसा खर्च हुआ

हम पूरी तैयारी के साथ हम चुनाव लड़ रहे थे। पर्चा दाखिल करने के बाद हमने काफी मेहनत कर चुनाव में जीतने का माहौल तैयार किया। स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार भी किया। कुछ पैसा भी खर्च किया। अब जब चुनाव ही निरस्त हो गये हैं तो सरकार को उम्मीदवारों के जो पैसा खर्च हुआ है उसकी भरपायी करनी चाहिए। हमारी तो मेहनत पर ही पानी फिर गया है। अब नये परिसीमन में पता नहीं वर्तमान पंचायत यथावत रहेगी भी की नहीं।

प्रभुराम अहिरवार, सरपंच पद हेतु उम्मीदवार थे,
ग्राम पंचायत खुखरिया, तह. बैरसिया

इसके पीछे भी कारण हैं। 2018 में कमलनाथ के नेतृत्व में बनी कांग्रेस की सरकार ने 2019 में केबिनेट में एक प्रस्ताव पारित कर राज्य में ओबीसी का आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने का फैसला किया था। बाद में राज्य विधानसभा ने इसे सर्वानुमति से मंजूरी भी दे दी थी। वह मामला आगे बढ़ता उससे पहले ही मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग की परीक्षा में बैठने वाले कुछ छात्रों ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी और कोर्ट ने मामले पर स्टे दे दिया। तब से ही मामला न्यायालय के विचाराधीन है। हाईकोर्ट से फैसला कब आएगा और फैसला आने के बाद क्या वह सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक भी जाएगा यह सब भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल प्रदेश के दोनों ही दलों खासकर कांग्रेस को इस मामले पर राजनीति करने का अच्छा अवसर मिल गया है और उसने इसे लपकने में कोई कसर छोड़ी भी नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का कहना है कि प्रदेश में आरक्षित और कमजोर वर्गो के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। इसी के साथ कमलनाथ ने प्रदेश की शिवराज सरकार से ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का मसला जल्दी हल करवाने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि सरकार पिछड़े वर्ग को उसके

अदालत मे तर्क दिया गया कि सरकार ने 2019 मे हुए पंचायतो के परिसीमन और आरक्षण के ढांचे को दरकिनार करते हुए नया ढांचा प्रस्तावित किया है जो ठीक नहीं है क्योंकि इससे 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा वाले सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का भी उल्लंघन होता है। हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मध्यप्रदेश की राजनीति मे ओबीसी के आरक्षण के मुद्दे की आग तो कई सालो से सुलग रही है, लेकिन उसमे ज्यादातर लपटे तभी उठती हैं, जब इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक दलो को कोई चुनावी फायदा नजर आता हो।

आरक्षण और राजनीति का तालमेल

भारत भी बड़ा अजीब देश है। भारत में राजनैतिक पार्टियां कभी किसी मुद्दे पर एक नहीं होतीं। चाहे कोरोना वायरस का मुद्दा हो, पाकिस्तान और चीन से मुकाबले की बात हो देश की सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर श्रमिकों के पलायन का विषय। किसी भी मुद्दे पर देश की राजनैतिक पार्टियां कभी एकजुट नहीं होतीं लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जिस पर सारी पार्टियां एक साथ आ जाती हैं और वो है आरक्षण का मुद्दा। आजादी के बाद जब हमारे संविधान निर्माताओं ने आरक्षण लागू किया था, तो उस समय ये कहा गया था कि आरक्षण सिर्फ 10 वर्ष के लिए होगा और अगर जरूरत पड़ी तो इसे आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन आरक्षण को ऐसी जरूरत बना दिया गया कि 70 वर्ष बाद भी इसका कोई अंत नहीं है। आरक्षण किसी पिछड़े व्यक्ति के अधिकार से यादा राजनीति का हथियार बन चुका है। आरक्षण से जुड़े एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में ने सुनवाई में एक बड़ी बात कही है कि आरक्षण किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात तमिलनाडु में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पर कही है। तमिलनाडु की कई राजनैतिक पार्टियां इकट्ठा होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं और ये मांग करने लगीं कि जिस तरह से तमिलनाडु अपने राय में 50 प्रतिशत ह्क्चष्ट आरक्षण देता है। उसी तरह ऑल इंडिया कोटा के तहत मेडिकल और डेंटल कोर्स की सीटों पर भी 50 प्रतिशत ह्क्चष्ट आरक्षण होना चाहिए। अब जरा सोचिए कि हमारे देश में कौन सा ऐसा मुद्दा है, जिस पर सभी पार्टियां एक हो जाती हैं। आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी में इस सवाल का जवाब छिपा है कि इस देश में आरक्षण खत्म क्यों नहीं होता। जब तक देश के राजनैतिक दल आरक्षण का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए करते रहेंगे और इसके विरोध या समर्थन में अपना फायदा-नुकसान देखेंगे तब तक यही चलता रहेगा। इस पर कोई बात भी नहीं कर सकता। जो इस पर बात करता है या सवाल उठाता है उसे दलितों और पिछड़ों का विरोधी बता दिया जाता है।

हक से वंचित कर रही है। कमलनाथ का बयान सामने आते ही राजनीति गरमाई और भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ यदि अपनी सरकार के समय इस मामले को ठीक से हैंडल करते और कोर्ट में पुख्ता तरीके से दलील देते तो यह नौबत नहीं आती। भाजपा के इस आरोप का जवाब देते हुए कांग्रेस ने कहा कि अब तो वह सरकार में नहीं है, भाजपा ही कोर्ट में इस मामले पर पूरी ताकत से अपना पक्ष रख दे और ओबीसी को उसका वाजिब हक दिलाए। निश्चित रूप से ताजा हालात में इस मामले में कांग्रेस के बजाय भाजपा पर दबाव ज्यादा है।

भारत में इस वक्त केंद्रीय स्तर पर 59.50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। जिसमें दलितों को 15 प्रतिशत, आदिवासियों को 7.5 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। इसके अलावा आर्थिक तौर पर कमजोर सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलता है।

राज्य में पंचायती राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के सरपंच पद के लिए रोटेशन पद्धति से आरक्षण करने की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत अधिनियम लागू होने से अभी तक लगभग पांच बार पंचायती राज के चुनाव हो चुके हैं, जिसमें हर बार रोस्टर पद्धति का पालन करते हुए आरक्षण किया गया है। इस व्यवस्था का आशय यह है कि जो पंचायत बीते चुनाव में जिस वर्ग के लिए आरक्षित थी, उस वर्ग के लिए अगले चुनाव में आरक्षित न हो, मगर इस बार पूर्व के आरक्षण के आधार पर ही चुनाव हो रहे थे, इसको लेकर कांग्रेस लगातार विरोध दर्ज

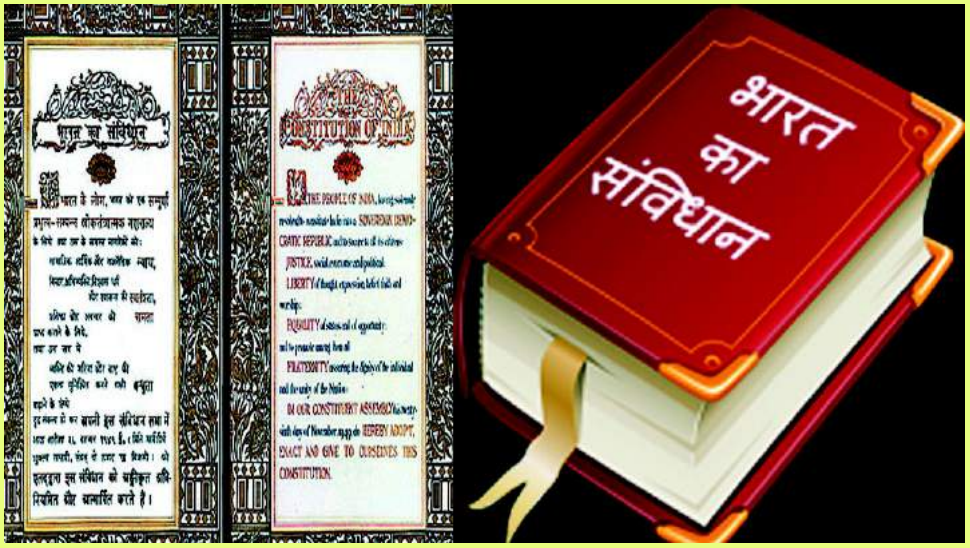

संविधान में आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जा सके और उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। संविधान का निर्माण करने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीम राव आंबेडकर भी चाहते थे कि आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ शुरुआती 10 वर्षो के लिए हो। यानी भारत में आरक्षण की व्यवस्था को 1960 तक खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि राजनीतिक दलों ने आरक्षण को चुनाव में जीत हासिल करने का हथियार बना लिया और आज भी हमारे देश के राजनीतिक दल हर चुनाव में आरक्षण के इस हथियार पर धार देना नहीं भूलते।

लेकिन इन लोगों से ये सवाल आज जरूर पूछा जाना चाहिए कि जब बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान बनाते वक्त ही कह दिया था कि आरक्षण कुछ ही वर्षो के लिए होना चाहिए तब क्यों इतने वर्षो बाद भी इस देश में आरक्षण की व्यवस्था जीवित है? क्यों जिस आरक्षण को धीरे-धीरे खत्म किया जाना चाहिए उस आरक्षण को लगातार बढ़ावा दिया जाता है। यानी जिस आरक्षण का दायरा आजादी के बाद धीरे-धीरे कम होना चाहिए था उसका दायरा कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। भारत के

धीरे-धीरे भारत में ऐसी स्थिति बन गई कि जाति के आधार पर आरक्षण मांगना एक फैशन बन गया और नेता के लिए वोट हासिल करने का अचूक फॉर्मूला बन गया है। आपको याद होगा करा रही थी। कांग्रेस के आरोपों का भाजपा ने जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस को पंचायतों के चुनाव में हार नजर आ रही है, इसलिए तरह-तरह के तरीके आजमा रही है। गौरतलब है कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जिला पंचायत सदस्य के 155, जनपद पंचायत सदस्य के 1273, सरपंच के 4058 और पंच के 64 हजार 353 पद आरक्षित किए गए थे। प्रदेश में ओबीसी की आबादी 50 फीसदी से अधिक है। इस वर्ग को राज्य में फिलहाल 14 प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ था जो मंडल कमीशन की सिफारिशों से भी कम है। ऐसे में दोनों ही दल चाहते हैं कि इस वर्ग को 17 फीसदी आरक्षण मिल जाए। कमलनाथ की सरकार ने 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 फीसदी आरक्षण लागू कर दिया था, लेकिन कोर्ट में स्टे मिल गया। इसके बाद शिवराज के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार भी ओबीसी वर्ग का आरक्षण 27 फीसदी

प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जिला पंचायत सदस्य के 155, जनपद पंचायत सदस्य के 1273, सरपंच के 4058 और पंच के 64 हजार 353 पद आरक्षित किए गए थे। प्रदेश में ओबीसी की आबादी 50 फीसदी से अधिक है। इस वर्ग को राज्य में फिलहाल 14 प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ था जो मंडल कमीशन की सिफारिशों से भी कम है। ऐसे में दोनों ही दल चाहते हैं कि इस वर्ग को 17 फीसदी आरक्षण मिल जाए।

कि किस तरह से पिछले कई वर्षो में जाति के आधार पर आरक्षण के लिए देश के अलग-अलग राज्यों में कई हिंसक प्रदर्शन हुए, लेकिन क्या आपको कभी ऐसा प्रदर्शन याद है जिसमें ये कहा गया हो कि इस देश में आरक्षण की नहीं योग्यता की बात की जानी चाहिए। क्या कभी ऐसा प्रदर्शन आपने देखा है जिसमें ये कहा गया हो कि देश में जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। यानी अगर कोई अधिकार दिया जाना है तो वो अधिकार सबसे पहले देश के जरूरतमंद गरीब को मिले फिर चाहे वो गरीब किसी भी जाति का हो।

भारत में इस वक्त केंद्रीय स्तर पर 59.50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। जिसमें दलितों को 15प्रतिशत, आदिवासियों को 7.5प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27प्रतिशत आरक्षण मिलता है। इसके अलावा आर्थिक तौर पर कमजोर सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। अनुमान के मुताबिक देश की 70 से 75 प्रतिशत आबादी आरक्षण के दायरे में आती है। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं लेकिन आरक्षण का फायदा उठाना नहीं भूलते हैं। लेकिन इससे उन योग्य लोगों का हक छीन लिया जाता है जो असल में किसी नौकरी या फिर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए योग्य होते हैं। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हमारा देश विकसित क्यों नहीं है, हमारा देश सुपरपावर क्यों नहीं है। हमें ये बात समझनी होगी

कराने के प्रयास कर रही है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने भी हाल ही में 27 फीसदी आरक्षण ओबोसी को देने वाला प्रस्ताव पास कर दिया था, जिस पर राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर कर दिए थे।

क्या है सच्चाई

सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया को आगे बढाने के लिए जो रणनीति बनायी उससे ये मामला बिगड़ा है। कमलनाथ की कांग्रेस सरकार के पंचायतों के परिसीमन की सिफारिशों को रद्द कर शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव कराने की सोची जिसका विरोध कांग्रेस ने किया और पहले

मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया को आगे बढाने के लिए जो रणनीति बनायी उससे ये मामला बिगड़ा है।

जबलपुर हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक गयी। कांग्रेस ने परिसीमन को चुनाव में जोड़ने के लिए याचिका लगायी थी। मगर कोर्ट ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव की सुनवाई के साथ मध्यप्रदेश का मामला जोड़कर फैसला सुना दिया कि पंचायत चुनाव में सिर्फ एससी, एसटी का आरक्षण ही लागू किया जाए किसी और वर्ग का आरक्षण इसमें जोड़ना कोर्ट की अवमानना होगी। इस फैसले के बाद तो अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों के होश उड़ गए। अब कांग्रेस बीजेपी को इस किए धरे के लिए जिम्मेदार बता रही है।

एमपी के ओबीसी आरक्षण का यूपी

कि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए आरक्षण की नहीं काबिलियत की जरूरत होती है और शायद इसीलिए ये भी कहा जाता है कि हमारे देश में लोगों के पास डिग्रियां तो हैं लेकिन नौकरिया नहीं है।

हमारे देश के नेताओं को लगता है कि वो आरक्षण के जितने बीज बोएंगे उतनी ही वोटों की फसल काट पाएंगे। आरक्षण को जातियों वाली राजनीति का औजार बनाकर हमारे नेताओं ने पिछले 72 वर्षो में आपके वोट लूटे हैं और देश को भी लूटा है। हमारे देश में गरीबी हटाओ के नारे लगाए गए लेकिन आज भी हमारे देश से गरीबी हटी नहीं है। सियासत के खिलाड़ियों ने अपनी इच्छा और राजनीतिक स्वाद के अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल किया। उनपर अपना कॉपीराइट हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उनके मूल विचारों को किसी ने नहीं समझा। आज भी हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां हर चुनाव में आरक्षण के औजार को धार देना नहीं भूलतीं। इसलिए आज आरक्षण के चैंपियन्स को पहचानना जरूरी है।

26 जनवरी 1950 को जब देश में संविधान लागू हुआ तो ये व्यवस्था की गई थी कि हर 10 वर्ष के बाद सरकार इस बात की समीक्षा करेगी कि आरक्षण की जरूरत है या नहीं। कहा ये भी जाता है कि बाबा साहब आंबेडकर ने शुरुआत में ये भी सुझाव दिया था कि हर 10 वर्ष की जगह पर आरक्षण को 30 या 40 वर्षो के लिए निश्चित कर दिया जाना चाहिए और इसमें विस्तार करने की किसी भी संभावना को खत्म कर दिया जाए। लेकिन एक बार जो आरक्षण व्यवस्था लागू हो गई वो व्यवस्था ना सिर्फ अब तक कायम है। बल्कि इसमें एक के बाद एक जातियां जुड़ती गईं और आरक्षण बढ़ता गया। जैसे 1989 में मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके बाद ऐसी स्थिति आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ा फैसला देना पड़ा कि आरक्षण किसी भी सूरत में 50प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जो आरक्षण समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करेगा, उसे लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन कई राज्यों ने अपने अपने यहां आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत से भी अधिक कर दिया। जैसे तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में अपने एक आदेश में कहा कि अलग-अलग राज्य 50प्रतिशत की इस सीमा से ज्यादा आरक्षण दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए उनके पास मजबूत सामाजिक और वैज्ञानिक आधार होना चाहिए।

में असर

ओबीसी का मामला एक और दृष्टि से भाजपा के लिए विचार का विषय है, क्योंकि इस साल उत्तरप्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। मध्यप्रदेश की जो सीमा उत्तरप्रदेश से लगती है वहां ओबीसी की जनसंख्या काफी है। चंबल से लेकर बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र तक फैली इस पट्टी में 13 जिले मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोक नगर, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली आते हैं। इन जिलों के लोगों का न सिर्फ उत्तरप्रदेश में लगातार आना जाना होता है बल्कि वहां उनके पारिवारिक रिश्ते

वाले भी बहुत से लोग हैं। ऐसे में चुनाव के समय इन लोगों की भूमिका अहम हो जाती है और भाजपा नहीं चाहेगी कि उत्तचप्रदेश जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील और अहम रायों के चुनाव के वक्त वह ऐसा कोई जोखिम मोल ले जिससे उसे चुनावी खमियाजा उठाना पड़े। यही कारण है कि मध्यप्रदेश भाजपा ने ओबीसी के मामले में कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया है कि उसने इस वर्ग के लिए सिर्फ जबानी जमा खर्च किया है। मैदानी स्तर पर ओबीसी की हालत सुधारने वाला कोई काम नहीं किया। भाजपा अपने तर्क के समर्थन में इस बात को भी बता रही है कि उसके शासनकाल में ओबीसी वर्ग से तीन मुख्यमंत्री हुए। इनमें दो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर और उमा भारती के अलावा वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह शामिल हैं। जबकि कांग्रेस के कई दशक के शासनकाल में ओबीसी के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने का अवसर नहीं मिला। मध्यप्रदेश की राजनीति से वाकिफ लोग जानते हैं कि एक समय कांग्रेस के राज में सहकारिता क्षेत्र के दिग्गज नेता सुभाष यादव का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए बहुत तेजी से चला था लेकिन उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से ही संतोष करना पड़ा था। अब हालत यह है कि भाजपा के आरोपों के जवाब में कांग्रेस तर्क दे रही है कि उसने अरुण यादव को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया। इस पर भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि यदि कमलनाथ को ओबीसी के प्रति इतना ही प्रेम है तो वे खुद जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों पदों पर जमे हुए हैं उनमें से एक पद किसी ओबीसी नेता को क्यों नहीं सौंप देते। जाहिर है ओबीसी को लेकर होने वाली यह राजनीति थमने वाली नहीं है, कोर्ट का फैसला आने के बाद भी नहीं थम रही है।

भाजपा नहीं चाहेगी कि उत्तचप्रदेश जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील और अहम रायों के चुनाव के वक्त वह ऐसा कोई जोखिम मोल ले जिससे उसे चुनावी खमियाजा उठाना पड़े। यही कारण है कि मध्यप्रदेश भाजपा ने ओबीसी के मामले में कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया है कि उसने इस वर्ग के लिए सिर्फ जबानी जमा खर्च किया है।

ममता का जलवा कायम, कोलकाता चुनाव में 134 सीटें जीती टीएमसी, भाजपा 3 पर ही सिमटी

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जलवा अब भी कायम है। कोलकाता नगर निगम की 144 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे यही कहते हैं। नगर निकाय में क्लीन स्वीप करते हुए तृणमूल कांग्रेस ने 134 सीटों पर कब्जा जमाया है। कोलकाता निकाय चुनाव में भाजपा बढ़ने की बजाय और सिमट गई है। 05 साल पहले उसने यहां 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार दो और गंवा दीं।

अमित राय

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जलवा अब भी कायम है। कोलकाता नगर निगम की 144 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे यही कहते हैं। नगर निकाय में क्लीन स्वीप करते हुए तृणमूल कांग्रेस ने 134 सीटों पर कब्जा जमाया है। यही नहीं तीन वॉर्डो में जीत हासिल करने वाले निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी टीएमसी से जुड़ने की इच्छा जताई है। इस तरह कोलकाता निकाय चुनाव की 137 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का परचम लहराने वाला है। ये नतीजे भाजपा के लिए बड़ा झटका है, जिसे महज तीन सीटों पर ही जीत मिल सकी है। इसके अलावा कांग्रेस और सीपीएम का हाल तो निर्दलीय उम्मीदवारों से भी बुरा रहा है। दोनों दलों को 02-02 सीटों पर ही जीत मिल सकी है। कोलकाता निकाय चुनाव में भाजपा बढ़ने की बजाय और सिमट गई है। 05 साल पहले उसने यहां 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार दो और गंवा दीं। इस जीत के बाद ममता के भतीजे और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया कि

कोलकाता के लोगों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बंगाल में नफरत और हिंसा की राजनीति का कोई स्थान नहीं है।

टीएमसी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, अकेले बटोर लिए 92.36 प्रतिशत वोट- वोट शेयर पर नजर डालें तो टीएमसी की जोरदार सफलता का पता चलता है। निकाय चुनाव में टीएमसी को अकेले 92.36 प्रतिशत वोट मिले हैं। वहीं भाजपा को 02 फीसदी और कांग्रेस एवं लेफ्ट को 1.39 फीसदी वोटों से ही संतोष करना पड़ा है। भाजपा को वॉर्ड नंबर 22, 23 और 50 में ही जीत मिली है। इसके अलावा कांग्रेस को वॉर्ड 45 और 137 में विजय हासिल हुई है। लेफ्ट पार्टियों को 92 और 103 नंबर वॉर्ड में विजय प्राप्त हुई है।

114 सीटें टीएमसी ने जीती थीं- पिछली बार के मुकाबले के नतीजे अगर हम देखें तो 2015 में कोलकाता नगर निगम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 144 में से 114 वार्ड पर जीत मिली थी। दूसरा स्थान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को मिला था। जहां सीपीएम को 2010 की 33 सीटों के मुकाबले 2015 में केवल 15 सीटों पर ही सफलता हासिल हुई थी।

भाजपा के लिए इन नतीजों के क्या मायने हैं?

भाजपा कोलकाता को अपना शहर मानती थी। उसे उम्मीद थी कि यहां का वोटर भाजपा का समर्थन करेगा, लेकिन इन चुनावों में ऐसा नहीं हुआ। भाजपा का ये प्रदर्शन उसकी उम्मीद से भी कम है। विधानसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभरी भाजपा हारी ही नहीं, बल्कि

बंगाल की राजनीति में संघर्ष, हिंसा, मारपीट आम है, लेकिन जो हिंसा का माहौल बताया जाता है, वैसा नहीं है। कुछ इलाके हैं जहां हिंसा होती है। हर जगह ऐसा नहीं होता। ये कहना कि बंगाल में सिर्फ डर का फैक्टर ही चुनाव नतीजे तय करता है। ये गलत होगा।

अधिकतर वार्ड में तीसरे नंबर या उससे भी नीचे खिसक गई। बंगाल की राजनीति में संघर्ष, हिंसा, मारपीट आम है, लेकिन जो हिंसा का माहौल बताया जाता है, वैसा नहीं है। कुछ इलाके हैं जहां हिंसा होती है। हर जगह ऐसा नहीं होता। ये कहना कि बंगाल में सिर्फ डर का फैक्टर ही चुनाव नतीजे तय करता है। ये गलत होगा।

क्या इन चुनावों को भाजपा ने पूरी ताकत से नहीं लड़ा?

विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा ने बंगाल से एक तरह से मुंह फेर लिया है। भाजपा के बारे में कहा जाता है कि वो हर चुनाव को बहुत अहम मानती है। यही वजह है कि नगर निकाय चुनाव में भी उसके बड़े-बड़े नेता प्रचार करने पहुंचते हैं। जैसे- हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन कोलकाता नगर निगम चुनाव में कोई बड़ा नेता प्रचार करने नहीं पहुंचा। सिर्फ एक बार जेपी नड्डा यहां आए थे। इन चुनावों में भाजपा शुरू से ही बहुत कमजोर लग रही थी। नतीजे भी उसी तरह के आए हैं।

ममता के लिए इन नतीजों के क्या मायने हैं?

हमारे देश की राजनीति में जो जीतता है वही सिकंदर होता है। ममता जीत रही हैं तो उनका कद भी लगातार बढ़ रहा है। ममता खुद को विपक्ष के चेहरे के तौर पर स्थापित करना चाह रही हैं। इस जीत के साथ ही ममता ने एक बार फिर साबित किया है कि अभी बंगाल की राजनीति में उनका कोई विकल्प नहीं है।

लेफ्ट के लिए इन नतीजों के क्या मायने हैं?

लेफ्ट खासतौर पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ये नतीजे काफी उम्मीद जगाते हैं। पार्टी को भले ही ज्यादा सीटें नहीं मिलीं हैं, लेकिन अधिकतर जगहों पर वो दूसरे नंबर पर रही है। भले जीत-हार का अंतर बहुत यादा है, पर लेफ्ट ने जो जमीन खो दी थी उसे वो फिर से हासिल होती हुई दिख रही है।

पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक इत्तेफाक, साजिश या पॉलिटिकल स्टंट

चूक ने कई अहम सवाल खड़े कर दिये हैं। यह सवाल सिर्फ पंजाब सरकार के लिए नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्रालय, एसपीजी के तैनात अफसरों और पीएम की सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। इस पूरे घटनाम पर पंजाब सरकार की तरफ से भी जांच का ऐलान हुआ है। पंजाब सरकार ने दो सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी एक तीन सदस्यीय कमेटी बना दी है।

विजया पाठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान हुई सुरक्षा में चूक के मामले ने अपना राजनीतिक रूख अपना लिया है। एक तरफ जहां भाजपा नेता और कार्यकर्ता पंजाब की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को इस पूरे मामले का दोषी बता रहे है, वहीं कुछ लोगों ने इसे गांधी परिवार की साजिश करार दिया है। हालांकि यह तो वक्त ही बताएगा कि इस पूरे मामले के पीछे असल सच्चाई क्या है। कही ये वाकये में पीएम मोदी की सुरक्षा के साथ चूक हुई है या फिर यह महज एक इत्तेफाक है, साजिश है या फिर पॉलिटिकल स्टंट। दरअसल पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई इस

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा प्रधानमंत्री पूरे देश के है उनकी सुरक्षा सर्वोपरि

प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक के मामले में कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी से विस्तृत जानकारी ली है। सोनिया गांधी ने सीएम चन्नी से बात की और कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मामले में पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। जो भी जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे तरीके से बंदोबस्त किया जाना चाहिए था। सोनिया के कहने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने जांच कमिटी बना दी है।

चूक ने कई अहम सवाल खड़े कर दिये हैं। यह सवाल सिर्फ पंजाब सरकार के लिए नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्रालय, एसपीजी के तैनात अफसरों और पीएम की सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। इस पूरे घटनाम पर पंजाब सरकार की तरफ से भी जांच का ऐलान हुआ है। पंजाब सरकार ने दो सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी एक तीन सदस्यीय कमेटी बना दी है। यही एक तरीका है और इस जांच से निकल कर आने का ही इंतज़ार किया जाना चाहिए ताकि इस गंभीर मसले के तथ्यात्मक जवाब सामने आ सकें और जवाबदेही तय हो। जिस तरह से जांच में तेज़ी दिख रही है उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ दिनों के बाद सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। गृह मंत्रालय की तीन सदस्यों की कमेटी में पंजाब पुलिस के 13 अफसरों को तलब किया है। क्या पंजाब पुलिस के प्रमुख की जानकारी या हरी झंडी से कुछ अलग थी? उम्मीद है उस अधिकारी का भी पता लगाया जाएगा जिससे प्रधानमंत्री ने कहा था कि अपने सीएम को थैक्स कहना, मैं बठिंडा से जिंदा लौट आया। इनका इसलिए पता लगाया जाना चाहिए कि क्या इन्होंने पंजाब सीएम को इसकी जानकारी दी थी?

इस तरह की व्यवस्था कैसे हो सकती है कि काफिला सड़क जाम में जाकर फंस गया हो। सामने किसानों का प्रदर्शन हो रहा है और बगल से बीजेपी के कार्यकर्ता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जा रहे हैं। यह सवाल तब भी पूछा जाना चाहिए जब प्रधानमंत्री का काफिला नहीं रोका गया होता और वे हुसैनीवाला पहुंच जाते, तब भी यह सवाल महत्वपूर्ण है कि 140 किलोमीटर की सड़क यात्रा का फैसला क्या अपने आप में जोखिम भरा नहीं था? उम्मीद की जानी चाहिए कि जांच के बाद इस सवाल का जवाब मिलेगा कि 140 किलोमीटर की सड़क यात्रा से प्रधानमंत्री को ले जाने का फैसला किसका था? प्रधानमंत्री की सुरक्षा

कुछ अहम सवाल जिनके जवाब कौन देगा?

अंतिम समय तक नहीं थी कोई जानकारी- पीएम के पंजाब दौरे की जानकारी पीआईबी द्वारा यात्रा के दो दिन पहले जारी की गई थी। इसमें हुसैनीवाला स्थित राष्ट्रीय स्मारक जाने का कोई प्लान नहीं था। यही नहीं पीएम ने खुद यात्रा के दिन ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी कि वो पंजाब में फिरोजपुर रैली के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी उन्होंने हुसैनीवाला स्थित राष्ट्रीय स्मारक जाने का कोई जिक्र नहीं किया। ऐसे में जब पीएम मोदी बठिंडा एयरपोर्ट उतरे और उसके बाद वहां से फिरोजपुर के लिए रवाना हुए तो अचानक हुसैनीवाला जाने का कार्यक्रम कैसे तय हुआ।

एसपीजी ने सारे क्लीयरेंस क्यों नहीं लिये- बताया जा रहा है कि जैसे ही फिरोजपुर सड़क मार्ग से जाना तय हुआ एसपीजी ने पंजाब के डीजीपी को इस बारे में तुरंत सूचना दी। सूचना मिलते ही डीजीपी ने 140 किमी लंबे रूट की बाधा रहित यात्रा की हरी झंडी दे दी। बावजूद उसके एसपीजी ने उस पूरी रूट के क्लीयरेंस की जांच खुद क्यों नहीं की। पीएम की सुरक्षा के लिए तैनात एसपीजी कमांडों पर करोड़ों रूपए खर्च करने वाली भारत सरकार के प्रधान की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक एसपीजी की मुस्तैदी पर सवालिया निशान खड़ी करती है।

भाजपा कार्यकर्ता, झंडा कहां से आया- सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जिस फ्लाईओवर में पीएम मोदी का काफिला रूका हुआ था। मोदी की गाड़ी से कुछ दूरी पर ही भाजपा कार्यकर्ता भाजपा का झंडा लेकर पहुंच गए। ऐसे समय में एसपीजी कमांडों क्या कर रहे थे। यही नहीं उसी सड़क पर मोदी की कारण से कुछ मीटर दूर पंजाब भाजपा के एक कार्यकर्ता अपनी गाड़ी में

में चूक हुई है। इस सवाल को रैली में कितने लोग आए, कितने नहीं आए इसे लेकर ज़्यादा बहस की ज़रूरत नहीं। सुरक्षा इंतज़ामों में पंजाब सरकार की भूमिका हो सकती है लेकिन यह एसपीजी के अधीन होती है। प्रधानमंत्री कहां जाएंगे और उनके बगल में कौन बैठेगा यह सब एसपीजी तय करती है। इसलिए सबसे पहले कार्रवाई केंद्र सरकार की तरफ से होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर भाजपा की प्रतिक्रिया और मीडिया के डिबेट दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा लगता है कि सुरक्षा में चूक का मुद्दा दोनों के लिए इवेंट के लिए और फिर इवेंट के जरिये डिबेट के लिए कटेंट बन कर आया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी किया है कि वहां के प्रदर्शनकारी किसानों को इसकी पुख्ता सूचना नहीं थी

बैठकर वीडियो बनाते हुए मोदी की सुरक्षा में चूक की कमेंट्री कर रहे थे। इस व्यक्ति को एसपीजी ने वीडियो बनाने से क्यों नहीं रोका। एक अहम सवाल इस पूरे मामले का वीडियो किसने बनाया। जबकि पीएम की सुरक्षा के प्रोटोकॉल अनुसार पीएमओ से अप्वाइंट फोटोग्राफर के अलावा मोदी की तस्वीर या वीडियो इतने करीब से कोई नहीं ले सकता। तो क्या यह फोटोग्राफर मोदी खुद साथ लेकर चलते हैं। अगर ऐसा है तो यह एसपीजी कमांडों की कार्यशैली पर सवालियां निशान खड़ा करता है। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम के फुटैज जिस तरह से बाहर आए है उन्हें देख निश्चित ही यह समझ आता है कि कहीं यह प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं। यही नहीं इस पूरी घटना के बाद जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता, राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम की लंबी उम्र के लिए पूजा–पाठ कर रहे हैं। यह भी पॉलिटिकल स्टंट की ओर इशारा करता है। अगर ये रूट प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षित किया गया था तो बीजेपी का झंडा कहां से आया और कार्यकर्ता काफिले के इतने करीब कैसे आ गए? यह वीडियो बताता है कि भले किसान रास्ता रोक कर धरना दे रहे थे लेकिन काफिले के करीब किसान नहीं गए थे। बीजेपी के कार्यकर्ता गए थे। एक और वीडियो आया है जिसमें आप इस तरह की अराजक स्थिति देख सकते हैं। सामने प्रदर्शनकारी भी दूर दिख रहे हैं। उनके झंडे दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का काफिला फंसा था। प्रधानमंत्री के बगल में बिल्कुल नज़दीक कार्यकर्ताओं की भीड़ है। यह सवाल भी उठता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पंजाब पुलिस ने क्यों नहीं हटाया?

140 किमी सड़क यात्रा का फैसला क्यों- पीएम नरेंद्र मोदी खुद सुरक्षा कारणों के चलते सड़क मार्ग से लंबी यात्रा करना पसंद नहीं करते। इसका उदाहरण हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि हाल ही में मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होने के लिए पीएम मोदी भोपाल आए थे। ऐसे में भोपाल के एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल की दूरी महज 20 किमी थी। बावजूद उसके पीएम मोदी ने एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल जाने का फैसला हैलीकॉप्टर के माध्यम से तय किया। तो फिर बठिंडा से फिरोजपुर तक 140 किमी सड़क यात्रा के माध्यम से जाने का फैसला मोदी ने क्यों लिया। जबकि इस यात्रा में लगभग दो घंटे का समय लगता।

कि प्रधानमंत्री का काफिला वहां से गुज़रने वाला है। उन्हें तो प्रधानमंत्री के वापस जाने के बाद मीडिया से पता चला। संयुक्त मोर्चा ने यह भी कहा कि काफिले के नज़दीक प्रदर्शनकारी नहीं गए थे। मगर भाजपा के समर्थक भाजपा का झंडा लेकर कैसे चले गए? आपकी नियति नौटंकियों से तय नहीं होनी चाहिए। ठोस सवालों और जवाबों से होनी चाहिए। प्रधानमंत्री का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वे खुद को मुद्दा बना देते हैं। नोटबंदी के दौरान जब जनता भूखे मर रही थी तो प्रधानमंत्री ने पहले विदेश में मज़ाक उड़ाया लेकिन भारत आकर रोने लगे। इस तरह का रिकॉर्ड रहा है। इस बार ऐसा नहीं हुआ है इसलिए सवालों का जवाब गंभीरता से दिया जाना चाहिए। आधिकारिक रूप से दिया जाना चाहिए।

माता के दरबार में मातम

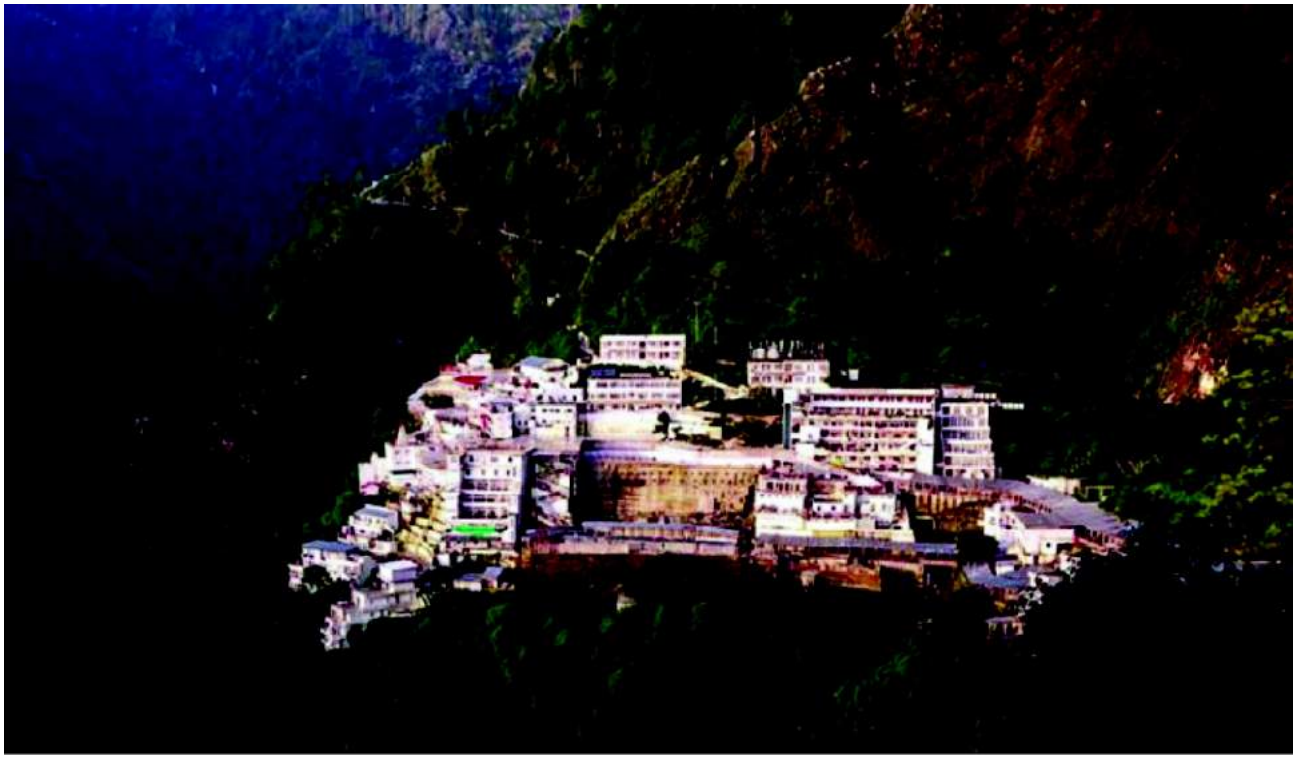

प्रमोद भार्गव

माता वैश्णव देवी तीर्थ क्षेत्र में मची भगदड़ में 12 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। यह घटना आदि रात के बाद गर्भग्रह के द्वार नंबर-3 के पास घटी। नए साल का समय होने के कारण भीड़ तो ज्यादा थी ही, इंतजाम भी पुख्ता नहीं थे। कटरा स्थित आधार शिविर से भीड़ अधिक होने पर दर्शनार्थियों को रोक-रोक कर छोड़ा जाता है, किंतु इस बार ऐसा कोई प्रबंध सुरक्षाकर्मियों द्वारा नहीं किया गया है। नतीजतन कुछ दशनार्थियों के बीच मुंहवाद हुआ और भगदड़ मच गई। जिसके चलते 12 लोग घटनास्थल पर ही दम घुटने और कुचलने से काल के गाल में समा गए। ऐसा भी कहा जा रहा है कि किसी व्हीआईपी को माता के दर्शन कराने के लिए रास्ता खाली करवाने के चलते यह हादसा हुआ। जंच से पता चलेगा कि वास्तविकता क्या थी? हालांकि ऐसे हादसों की अकसर लीपा-पोती करके इतिश्री कर ली जाती है। मंदिरों में इस तरह की घटनाएं घटना कोई नई बात नहीं है, बावजूद बद्इंतजामियां और लापरवाहियां अपनी जगह कायम हैं। शासन-प्रशासन मौत का मुआवजा देकर अपने कर्त्तव्य की भरपाई कर लेते हैं।

भारत में पिछले डेढ़ दशक के दौरान मंदिरों और अन्य धार्मिक आयोजनों में उम्मीद से कई गुना ज्यादा भीड़ उमड़ रही है।

भारत में पिछले डेढ़ दशक के दौरान मंदिरों और अन्य धार्मिक आयोजनों में उम्मीद से कई गुना ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। जिसके चलते दर्शन-लाभ की जल्दबाजी व कुप्रबंधन से उपजने वाली भगदड़ व आगजनी का सिलसिला हर साल देखने में आ रहा है। धर्म स्थल हमें इस बात

के लिए प्रेरित करते हैं कि हम कम से कम शालीनता और आत्मानुशासन का परिचय दें। किंतु इस बात की परवाह आयोजकों और प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं होती। इसलिए उनकी जो सजगता घटना के पूर्व सामने आनी चाहिए, वह अकसर देखने में नहीं आती। लिहाजा आजादी के बाद से ही राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र उस अनियंत्रित स्थिति को काबू करने की कोशिश में लगा रहता है, जिसे वह समय पर नियंत्रित करने की कोशिश करता तो हालात कमोबेश बेकाबू ही नहीं हुए होते ?

हमारे धार्मिक-आध्यात्मिक आयोजन विराट रुप लेते जा रहे हैं। कुंभ मेलों में तो विशेष पर्वो के अवसर पर एक साथ तीन-तीन करोड़ तक लोग एक निश्चित समय के बीच स्नान करते हैं। दरअसल भीड़ के अनुपात में यातायात और सुरक्षा के इंतजाम देखने में नहीं आते। जबकि शासन-प्रशासन के पास पिछले पर्वो के आंकड़े और अनुभव होते है। बावजूद लपरवाही बरतना हैरान करने वाली बात है। दरअसल, कुंभ या अन्य मेलों में जितनी भीड़ पहुंचती है और उसके प्रबंधन के लिए जिस प्रबंध कौशल की जरुरत होती है, उसकी दूसरे देशों के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते? इसलिए हमारे यहां लगने वाले

हमारे धार्मिक-आध्यात्मिक आयोजन विराट रुप लेते जा रहे हैं। कुंभ मेलों में तो विशेष पर्वो के अवसर पर एक साथ तीन-तीन करोड़ तक लोग एक निश्चित समय के बीच स्नान करते हैं। दरअसल भीड़ के अनुपात में यातायात और सुरक्षा के इंतजाम देखने में नहीं आते। जबकि शासन-प्रशासन के पास पिछले पर्वो के आंकड़े और अनुभव होते है।

मेलों के प्रबंधन की सीख हम विदेशी साहित्य और प्रशिक्षण से नहीं ले सकते? क्योंकि दुनिया के किसी अन्य देश में किसी एक दिन और विशेष मुहूर्त के समय लाखों-करोड़ों की भीड़ जुटने की उम्मीद ही नहीं की जा सकती? बावजूद हमारे नौकरशाह भीड़ प्रबंधन का प्रशिक्षण, लेने खासतौर से यूरोपीय देशों में जाते हैं। प्रबंधन के ऐसे प्रशिक्षण विदेशी सैर-सपाटे के बहाने हैं, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। ऐसे प्रबंधनों के पाठ हमें खुद अपने देशज ज्ञान और अनुभव से लिखने होंगे।

हमारे यहां लगने वाले मेलों के प्रबंधन की सीख हम विदेशी साहित्य और प्रशिक्षण से नहीं ले सकते? क्योंकि दुनिया के किसी अन्य देश में किसी एक दिन और विशेष मुहूर्त के समय लाखों-करोड़ों की भीड़ जुटने की उम्मीद ही नहीं की जा सकती? बावजूद हमारे नौकरशाह भीड़ प्रबंधन का प्रशिक्षण, लेने खासतौर से यूरोपीय देशों में जाते हैं। प्रबंधन के ऐसे प्रशिक्षण विदेशी सैर-सपाटे के बहाने हैं, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। ऐसे प्रबंधनों के पाठ हमें खुद अपने देशज ज्ञान और अनुभव से लिखने होंगे।

प्रशासन के साथ हमारे राजनेता, उद्योगपति, फिल्मी सितारे और आला अधिकारी भी धार्मिक लाभ लेने की होड़ में व्यवस्था को भंग करने का काम करते हैं। इनकी वीआईपी व्यवस्था और यज्ञ कुण्ड अथवा मंदिरों में मूर्तिस्थल तक ही हर हाल में पहुंचने की रुढ़ मनोदशा, मौजूदा प्रबंधन को लाचार बनाने का काम करती है। नतीजतन भीड़ साहस के हालात में आ जाती है। ऐसे में कोई महिला या बच्चा गिरकर अनजाने में भीड़ के पैरों तले रौंद दिया जाता है और भगदड़ मच जाती है। कुछ साल पहले आंध्रप्रदेश में गोदावरी तट पर घटी घटना एक साथ दो मुख्यमंत्रियों के स्नान के लिए रोक दी गई भीड़ का परिणाम थी। दरअसल दर्शन-लाभ और पूजापाठ जैसे अनुष्ठान अशक्त और अपंग मनुष्य की वैशाखी हैं। जब इंसान सत्य और ईश्वर की खोज करते-करते थक जाता है और किसी परिणाम पर भी नहीं पहुंचता है तो वह पूजापाठों के प्रतीक गढ़कर उसी को सत्य या ईश्वर मानने लगता है। यह आदमी की स्वाभाविक कमजोरी है। यथार्थवाद से पलायन अंधविश्वास की जड़ता उत्पन्न करता है। भारतीय समाज में यह कमजोरी बहुत व्यापक और दीर्घकालीक रही है। जब चिंतन मनन की धारा सूख जाती है तो सत्य

की खोज मूर्ति पूजा में बदल जाती है। जब अध्ययन के बाद मौलिक चिंतन का मन-मस्तिष्क में ह्रास हो गया तो आदमी भजन-कीर्तन में लग गया। यही हश्र हमारे पथ-प्रदर्शकों का हो गया है। नतीजतन पिछले कुछ समय से सबसे यादा मौतें भगदड़ की घटनाओं और सड़क दुर्घटनाओं में उन श्रद्धालुओं की हो रही हैं, जो ईश्वर से खुशहाल जीवन की प्रार्थना करने धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं।

धार्मिक स्थलों पर भीड़ बढ़ाने का काम मीडिया भी कर रहा है। इलेक्ट्रोनिक मीडिया टीआरपी के लालच में इसमें अहम् भूमिका निभाता है। वह हरेक छोटे बड़े मंदिर के दर्शन को चमात्कारिक लाभ से जोड़कर देश के भोले-भाले भक्तगणों से एक तरह का छल कर रहा है। इस मीडिया के अस्तित्व में आने के बाद धर्म के क्षेत्र में कर्मकाण्ड और पाखण्ड का आंडबर जितना बड़ा है, उतना पहले कभी देखने में नहीं आया। इसकी पृष्ठभूमि में बाजारवाद की भूमिका भी रहती है। निर्मल बाबा, कृपालू महाराज और आशाराम बापू, रामपाल जैसे संतों का महिमामंडन इसी मीडिया ने किया था। हालांकि यही मीडिया पाखण्ड के सार्वजनिक खुलासे के बाद मूर्तिभंजक की भूमिका में भी खड़ा हो जाता है। निर्मल बाबा और आशाराम के साथ यही किया गया। मीडिया का यही नाट्य रुपांतरण अलौकिक कलावाद, धार्मिक आस्था के बहाने व्यक्ति को निष्यि व अंधविश्वासी बनाता है। यही भावना मानवीय मसलों को यथास्थिति में बनाए रखने का काम करती है और हम ईश्वरीय अथवा भाग्य आधारित अवधारणा को प्रतिफल व नियति का कारक मानने लग जाते हैं। दरअसल मीडिया, राजनेता और बुद्धिजीवियों का काम लोगों को जागरूक बनाने का है, लेकिन निजी लाभ का लालची मीडिया, लोगों को धर्मभीरू बना रहा है। राजनेता और धर्म की आंतरिक आध्यात्मिकता से अज्ञान बुद्धिजीवी भी धर्म के छद्म का शिकार होते दिखाई देते हैं। यही वजह है कि पिछले एक-डेढ़ दशक के भीतर मंदिर हादसों में लगभग 3500 से भी यादा भक्त मारे जा चुके हैं। बावजूद श्रद्धालु हैं कि दर्शन, आस्था, पूजा और भक्ति से यह अर्थ निकालने में लगे हैं कि इनको संपन्न करने से इस जन्म में किए पाप धुल जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। गोया, पुनर्जन्म हुआ भी तो श्रेष्ठ वर्ण में होने के साथ समृद्ध व वैभवशाली भी होगा। जाहिर है, धार्मिक हादसों से छुटकारा पाने की कोई उम्मीद निकट भविष्य में दिखाई नहीं दे रही है ?

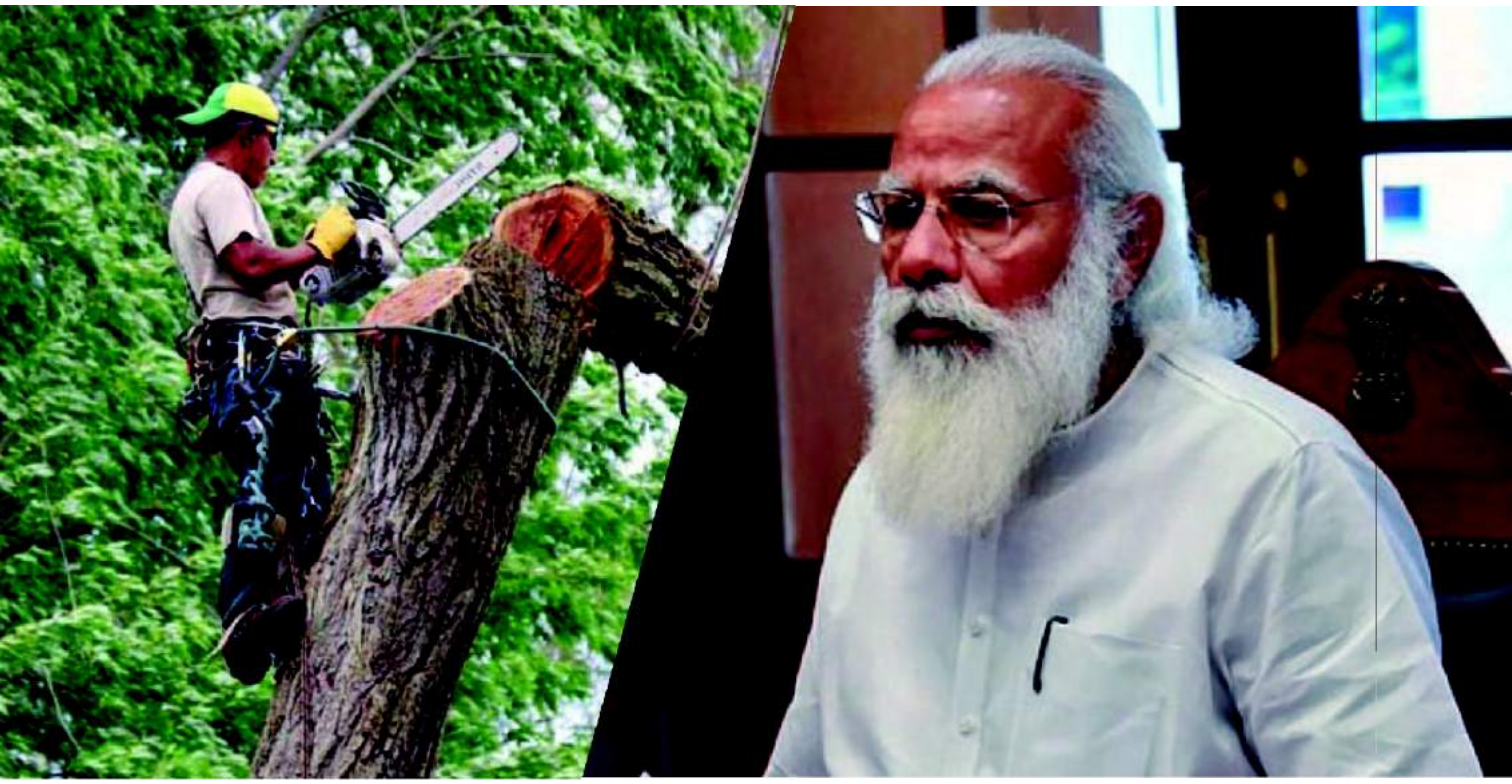

मोदी सरकार ने पिछले पांच सालों में एक करोड़ से ज्यादा पेड़ काटने की अनुमति दी

हम जानते है कि पेड़-पौधे आक्सीजन के प्रमुख प्रदाता है। इनकी कमीं हमारे जीवन के लिए संकट पैदा करेगा। कोरोनाकाल में हम सबने देखा है कि आक्सीजन के लिए कैसे लोग दर-दर के लिए भटकते रहे। बावजूद इसके भी यदि सरकारें नहीं चेतती है तो यह गंभीर बात है। समय रहते हमारी सरकारों को विचार करना होगा।

विजया पाठक

लोकसभा में पर्यावरण राज्यमंत्री ने बीते दिनों बताया था कि साल 2014 से 2019 के बीच पर्यावरण मंत्रालय ने विकास कार्यो के लिए 1.09 करोड़ पेड़ काटने की अनुमति दी। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार पेड़ कटवा कर देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।

पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले पांच सालों में एक करोड़ से ज्यादा पेड़ों को काटने की अनुमति दी। इसमें से सबसे ज्यादा साल 2018-19 में 26.91 लाख पेड़ काटने की इजाजत दी गई थी। सरकार द्वारा सदन में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2014-15 में 23.30 लाख, साल 2015-16 में 16.90 लाख, साल 2016-17 में 17.01 लाख और साल 2017-18 में 25.50 लाख पेड़ों को काटने की अनुमति पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई थी। पिछले चार साल में 12 राज्यों को ग्रीन इंडिया मिशन के तहत 87113.86 हेक्टेयर भूमि पर वनीकरण के लिए 237.07 करोड़ रुपये जारी किए गए। इसके अलावा राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के तहत, पिछले चार वर्षो (2015-16 से

2018-19) के दौरान राज्यों को 94,828 हेक्टेयर के नए क्षेत्र पर पौधे लगाने के लिए 328.90 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। हम जानते हैं कि पेड़ जीवन है। पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। पेड़ पर्यावरण के रक्षक हैं। परंतु मोदी सरकार ने 5 साल में 1,09,75,844 पेड़ कटवा डाले।

क्या मोदी सरकार भविष्य से खिलवाड़ कर रही है ?

इस ग्रह पर जीवन आपस में जुड़ा हुआ है। कुछ भी अलग नहीं है और हर चीज का हर चीज पर असर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के बारे में चिंताओं के साथ बढ़ती गर्मी और व्यापक प्रभाव से बचने के लिए, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारा पर्यावरण और स्वास्थ्य कैसे जुड़ा हुआ है। मानव स्वास्थ्य को मानव स्थिति के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक पहलुओं के संबंध में कल्याण की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। बीमारी की अनुपस्थिति के कारण किसी व्यक्ति को केवल स्वस्थ नहीं कहा जा सकता है; वह या वह वास्तव में स्वस्थ होने के लिए सभी तरह से अच्छा करने की जरूरत है। कई कारक हमारे स्वास्थ्य का निर्धारण करने में भूमिका निभाते हैं। जैविक, पोषण, मनोवैज्ञानिक और रासायनिक। ये कारक आंतरिक और बाहरी स्थितियों से प्रभावित हो सकते हैं। बाह्य रूप से, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक हमारा पर्यावरण है।

हमारा पर्यावरण केवल उस हवा में नहीं है जिसे हम सांस लेते हैं, हालांकि यह एक प्रमुख घटक है। यह उस पानी से होता है जिसे हम पीते हैं, यह उस मिट्टी में होता है जिसे हम अपने आसपास पाते हैं एवं उस भोजन में होता है जिसे हम खाते है। प्रत्येक भाग हमें प्रभावित करता है और इस प्रकार हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। वाहनों, कारखानों और आग से उत्सर्जन के

साथ, हमारी वायु आपूर्ति विषाक्त रसायनों से भरी हुई है जो फेफड़ों के कैंसर, हृदय रोग और अस्थमा का खतरा पेश करती है। हम जो भोजन करते हैं, वह कीटनाशकों में शामिल होता है जो मिट्टी को कम उपजाऊ बनाता है और हमारे लिए कैंसरकारी हो सकता है। मानव शरीर को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है लेकिन हमारे जल स्रोत मानव और औद्योगिक कचरे से भरे होते हैं जो गंभीर स्वास्थ्य मुद्दों को पैदा करते हैं। हमें यह याद रखने की जरूरत है कि हमें अपने पर्यावरण के साथ तालमेल में रहना होगा। हम इसमें जो डालेंगे वह हमारे पास वापस आ जाएगा। जब तक हम कुछ नहीं करेंगे, पृथ्वी बहुत जल्द एक रहने के लिए योग्य हो जायेगी।

डब्ल्यूएचओ द्वारा परिभाषा के अनुसार, मानव स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है और न केवल बीमारी और दुर्बलता की अनुपस्थिति। यह आंतरिक के साथ-साथ बाहरी कारकों से प्रभावित होता है। आंतरिक कारकों में मानव शरीर के अंदर की समस्याएं जैसे कि प्रतिरक्षा की कमी, हार्मोनल असंतुलन और आनुवंशिक या जन्मजात विकार शामिल हैं।

पर्यावरण मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है

चूंकि हम जीवित रहने के लिए पर्यावरण पर पूरी तरह से निर्भर हैं, इसलिए यह कहना सुरक्षित है कि पर्यावरण में कोई भी परिवर्तन मानव कल्याण को प्रभावित करेगा। हालाँकि, इन दोनों के बीच वास्तविक संबंध हमारे विश्वास से अधिक जटिल है और इसका आकलन करना हमेशा आसान नहीं होता है। सबसे स्पष्ट प्रभाव जो हमने देखा है वह बिगड़ते पानी की गुणवत्ता, वायु प्रदूषण और विषम परिस्थितियों से हैं। विकिरण विषाक्तता भी मानव स्वास्थ्य के लिए घातक परिणाम है।

विश्व भर में स्वास्थ्य पर पर्यावरणीय प्रभाव के उदाहरण- दुर्भाग्य से, दुनिया का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो पर्यावरणीय क्षति से मुक्त हो, यहां तक कि ध्रुवीय क्षेत्र भी नहीं। यदि कोई देख रहा है, तो एक लगभग हमेशा उन पर्यावरण संबंधी मुद्दों से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का पता लगाएगा। यह मदद नहीं करता है कि चीन और भारत जैसे देश बहुत तेज़ी से विकसित हो रहे हैं। उनकी गति ऐसी है कि पर्यावरण संबंधी चिंताएँ विकास को बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं।

सदियों पुरानी है ग्वालियर की सांगीतिक विरासत

भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में ग्वालियर की सांगीतिक विरासत सदियों पुरानी हैं। कलाप्रिय राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल या संभवतः उससे पहले ही आरंभ हुए ग्वालियर घराने ने देश को ब्रम्हनाद के एक से एक बड़े साधक दिए हैं। संगीत मनीषी बैजू बावरा, कर्ण और महमूद जैसे ग्वालियर के महान संगीताचार्यो से राजा मानसिंह की राजसभा सुशोभित रहती थी। वहीं मुगल बादशाह अकबर के दरबार में भी राजा मानसिंह की संगीत टकसाल से निकले संगीत शिरोमणि तानसेन सहित अन्य मूर्धन्य गान मनीषियों के संगीत का जादू छाया रहता था। ग्वालियर की सांगीतिक परंपरा के तमाम प्रमाणों से ऐतिहासिक ग्रंथ भरे पड़े हैं।

आइन-ए-अकबरी में अबुल फज़ल ने लिखा है कि मुगल बादशाह अकबर की छत्तीसी में जो 36 महान संगीतकार शामिल थे, उनमें तानसेन सहित 16 संगीतकार ग्वालियर के थे। अबुल फज़ल लिखते हैं कि कंठ संगीत में अद्वितीय तानसेन अकबर दरबार में संगीत विभाग के प्रमुख थे। उनके जैसा गायक हिन्दुस्तान में पिछले हजार वर्षो में कोई दूसरा नहीं हुआ। अकबर की छत्तीसी में तानसेन के अलावा ग्वालियर के जो संगीतकार सुशोभित थे उनमें बाबा रामदास, सुभान खाँ, मियाँ चाँद (तानसेन का शिष्य), विचित्र खाँ, वीर मण्डल खाँ, शिहाब खाँ, सरोद खाँ, मियाँ

लाल, तानतरंग (तानसेन का पुत्र), नायब चर्चू, प्रवीण खाँ, सूरदास, चाँद खाँ एवं रंग सेन शामिल हैं।

ग्वालियर के सांगीतिक वैभव के बारे में तमाम इतिहासकारों ने शिद्दत के साथ लिखा है। उर्दू इतिहासकार फरिस्ता ने ग्रंथ तारीख-ए-फरिस्ता में लिखा है कि ग्वालियर में संगीत का प्रादुर्भाव मालचंद द्वारा भी किया गया। मालचंद के बारे में किवदन्तियाँ प्रचलित हैं, कि वह दक्षिण भारत के शास्त्रीय संगीत को ग्वालियर लाया। मालचंद ने लंबे समय तक ग्वालियर में साधना की। उसके साथ ग्वालियर आए तलिंगी संगीतकारों के वंशज पूरे उत्तर भारत में फैल गए। राजा मानसिंह तोमर के राज्यकाल में ग्वालियर का सांगीतिक वैभव अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया।

तोमर राजवंश द्वारा संगीत की विकास यात्रा में दिए गए योगदान के ऐतिहासिक प्रमाण ख्वाजा नजीमुद्दीन अहमद द्वारा लिखित तबाकात-ए-अकबरी में भी मिलते हैं। इस किताब में उल्लेख है कि तोमर वंशी राजा डूंगर सिंह और कश्मीर के शासक जैन-उल-आबेदीन के बीच संगीत संबंधी ग्रंथों का आदान-प्रदान हुआ था। पन्द्रहवीं शताब्दी में राजा मानसिंह के प्रोत्साहन से ग्वालियर संगीत कला का विख्यात केन्द्र बना। राजा मानसिंह स्वयं भी संगीत के महान पारखी थे। उन्हें संगीत साधना में अपनी प्रेयसी रानी मृगनयनी से भी बहुत सहायता मिलती थी। मृगनयनी की यादगार के रूप में चार रागों का सृजन भी हुआ। इन रागों को मृगनयनी के नाम के आधार पर गूजरी, बहुल गूजरी, माल गूजरी और मंगल गूजरी कहा गया।

राजा मानसिंह ने मानकुतूहल नामक एक संगीत ग्रंथ की रचना भी की। इस ग्रंथ में राजा मानसिंह द्वारा एक विशाल संगीत सम्मेलन कराए जाने का उल्लेख भी मिलता है। अबुल फजल द्वारा लिखी गई

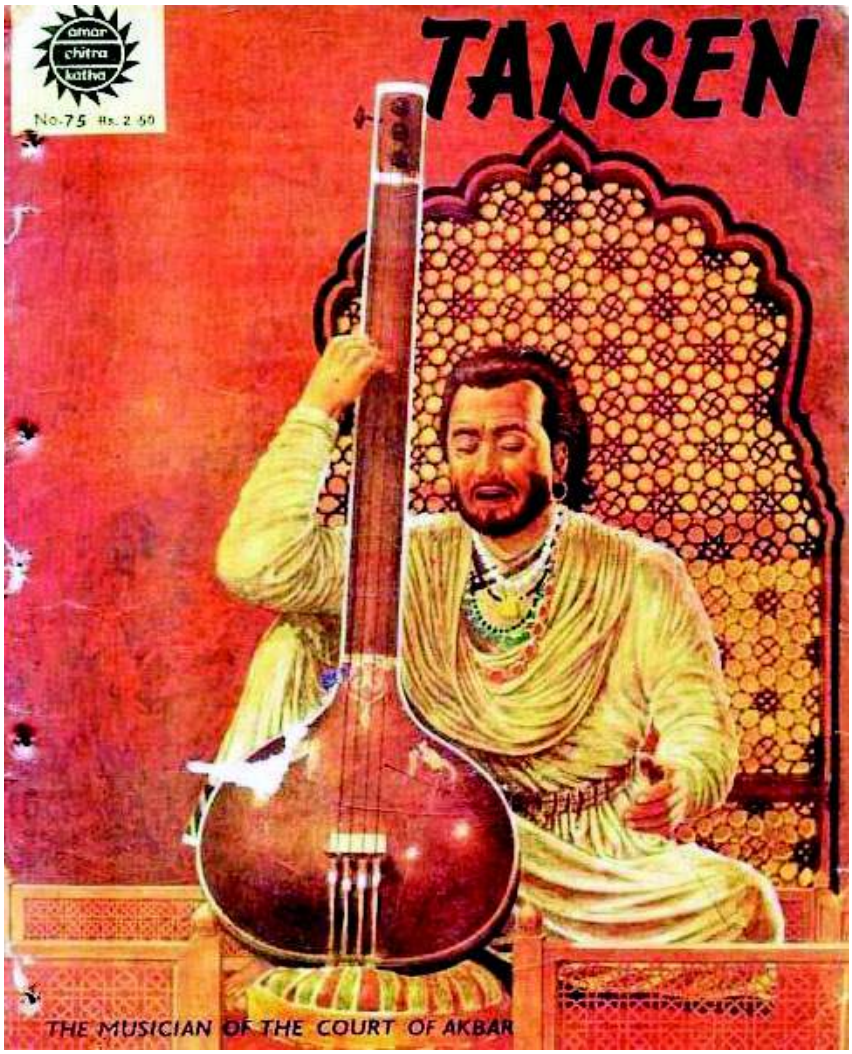

प्रसिद्ध पुस्तक आइन-ए-अकबरी में जिक्र है कि राजा मानसिंह द्वारा आयोजित सम्मेलन में राजदरबार के कलाकारों अर्थात नायक, बख्शू, मच्चू और भानु ने ऐसे गीतों का संकलन किया जो भारतीय संस्कृति की गंगा-जमुनी तहजीब के परिचायक थे।

राजा मानसिंह तोमर ने अपने राजदरबार के महान संगीताचार्यो बैजू बावरा, कर्ण और महमूद आदि के सहयोग से संगीत की ध्रुपद गायकी का आविष्कार और प्रचार किया था। राजदरबार में बख्शु, घोन्डी और चरजू के नामों का भी उल्लेख मिलता है। एम सी गांगुली द्वारा रचित रागज एण्ड रागनीज पुस्तक में उल्लेख है कि इन्हीं तीनों कलाकारों द्वारा रागों के भण्डार में एक नए प्रकार के मल्हार का प्रणयन किया, जो बख्शु की मल्हार, धोन्डिया की मल्हार और चाजू की मल्हार के नाम से मशहूर हुई।

ध्रुपद, धमार, ख्याल, टप्पा, ठुमरी, दादरा, लेदा, गजल, तराना, त्रिपट और चतुरंग आदि संगीत शैलियाँ ग्वालियर घराने की प्रमुख विशेषताएँ हैं। राजा मानसिंह द्वारा पोषित संगीत घराने की विशेषता यह थी कि उसने उत्तर भारत के

लोकप्रिय लोक संगीत को अंगीकार किया और उसे उच्च कोटि के वैविध्यपूर्ण संगीत के रूप में सजाया। इससे लोक रागों, शास्त्रीय रागों और संगीत की पारंपरिक विविधता को एक नई और ओजस्वी अभिव्यक्ति मिली। इस घराने ने संगीत की ध्रुपद नामक एक नई शैली की आधारशिला रखी, जो तानसेन का जादू भरा स्पर्श पाकर लोकप्रियता के उच्च शिखर तक पहुँची।

संगीत सम्राट तानसेन ने जहाँ मियाँ की तोड़ी जैसे राग का आविष्कार किया वहीं पुराने रागों में परिवर्तन कर कई नई - नई सुमधुर रागनियों को जन्म दिया। तानसेन द्वारा रचे हुए संगीत सारक और राग मालाक ग्रंथ भी उनके संगीत सिद्धांत विषयक ज्ञान के परिचायक हैं।

सिंधिया शासकों के समय भी ग्वालियर में संगीत कला खूब फली-फूली। उनके आश्रय में ख्याल शैली के प्रथम शास्त्रीय घराने का भी जन्म हुआ। ग्वालियर शैली जिसे लश्करी गायकी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना का श्रेय हद्दू खाँ, हस्सू खाँ और नत्थू खाँ को जाता है। इन्हीं तीनों भाइयों को द्रुत गति वाली ख्याल गायकी की शैली के आविष्कार का श्रेय है। इस शैली में कलावंत और कब्बाली का मिश्रण देखने को मिलता है। हद्दू खाँ और हस्सू खाँ के वंशजों और शिष्यों में रहमत खाँ और हुसैन खाँ ने भी संगीत के क्षेत्र में काफी ख्याति प्राप्त की।

संगीत परंपरा की इसी कडी में शंकर पंडित जी ने आधुनिक काल में लोकप्रियता का परचम लहराया। उनके सुपुत्र श्री कृष्ण राव पंडित भी उच्च कोटि के संगीत कलाकार थे। इसी कड़ी में पं. लक्ष्मण कृष्णराव पण्डित ने ग्वालियर घराने की परंपरा को आगे बढ़ाया। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोद वादक जनाब अमजद अली खाँ साहब एवं अन्य युवा संगीत कलाकार ग्वालियर के संगीत का परचम दुनियाभर में लहरा रहे हैं।

वेबसाईट www.mpinfo.org

देश की सर्वाधिक गौ-शालाएँ हैं मध्यप्रदेश में

सुनीता दुबे

वर्तमान में मध्यप्रदेश देश का सर्वाधिक गौवंश और गौशालाओं वाला प्रदेश है। यहाँ गौवंश के विकास, गौ-पालन, गौ-संरक्षण, गौ-संवर्धन और गौ आधारित उत्पादों के संवर्धन के लिये सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गौ-सेवा योजना और अशासकीय स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित 1768 गौ-शालाओं में ढाई लाख से ज्यादा गौ-वंश की देखभाल की जा रही है। शासन द्वारा प्रति गौवंश प्रति दिवस के मान से 20 रुपये का अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री गौ-सेवा योजना में अब तक पूर्ण 1141 गौ-शालाओं में 76 हजार 941 गौ-वंश का पालन किया जा रहा है। स्वयंसेवी संस्थाओं की पंजीकृत 627 गौ-शालाओं में भी करीब एक लाख 74 हजार गौ-वंश की देखभाल की जा रही है।

विकसित होंगे गौवंश वन्य विहार

गौ-वंश को जंगल से आहार और वन को गोबर से खाद मिलने की व्यवस्था प्राकृतिक है। गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड द्वारा जंगलों के पास गौ-वंश वन्य विहार विकसित किये जा रहे हैं। रीवा जिले के बसावन मामा क्षेत्र में 51 एकड़ क्षेत्र में गौ-वंश वन्य विहार विकसित किया गया है, जिसमें 4 हजार गौ-वंश हैं। जबलपुर जिले के गंगईवीर में 10 हजार और दमोह जिले में 4 हजार गौ-वंश की क्षमता वाला वन्य विहार विकसित किया जा रहा है। आगर-

मालवा के सुसनेर में 400 एकड़ में कामधेनु अभयारण्य विकसित किया गया है, जिसमें वर्तमान में 3400 बेसहारा, वृद्ध और बीमार गायों की देखभाल की जा रही है। इसी माह सागर विश्वविद्यालय में कामधेनु पीठ की स्थापना भी की गई है।

मध्यप्रदेश में गौ हत्या संज्ञेय अपराध

मध्यप्रदेश में गौ हत्या संज्ञेय अपराध है। यहाँ आरोप सिद्ध होने पर सजा का प्रावधान है। मध्यप्रदेश में चार प्रजाति का देशी गौ-वंश पाया जाता है, जिनका दूध गिर गाय की तरह ही स्वर्णयुक्त एवं उच्च गुणवत्ता वाला है। देशी गाय के दूध में मानव स्वास्थ्य के लिये आवश्यक सभी पोषक तत्व पाये जाते हैं।

प्रतिदिन 9.13 लाख किलो लीटर दूध का संकलन

प्रदेश में लगभग सवा 7 हजार दुग्ध सहकारी समितियाँ कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से पिछले वित्त वर्ष में प्रतिदिन औसतन 9 लाख 13 हजार किलो लीटर दुग्ध संकलन और औसत 6 लाख 38 हजार लीटर पैकेट दुग्ध विक्रय हुआ है। लॉकडाउन के दौरान दुग्ध संघों द्वारा 2 करोड़ 54 लाख लीटर दूध अतिरिक्त रूप से खरीदा गया। उल्लेखनीय यह भी है कि कोरोना लॉकडाउन के कारण जहाँ कई व्यवसाइयों को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा, वहीं दुग्ध उत्पादक किसानों को 94 करोड़ रुपये राशि का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

आइसक्रीम, पनीर आदि संयंत्रों का निर्माण

पिछले एक साल में इंदौर में 4 करोड़ रुपये की लागत से आइसक्रीम संयंत्र और खण्डवा में 25 हजार लीटर क्षमता के संयंत्र निर्माण का कार्य पूरा हुआ। जबलपुर में पौने 10 करोड़ रुपये की लागत से 10 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के स्वचलित पनीर निर्माण संयंत्र की स्थापना का काम भी पूरा हो चुका है। सागर में भी एक लाख लीटर क्षमता के संयंत्र की स्थापना की गई।

सौर ऊर्जा को बढ़ावा

दुग्ध संयंत्रों को ऊर्जा में आत्म-निर्भर बनाने के लिये सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना की कार्यवाही को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश के 5 संयंत्रों में 4 करोड़ 13 लाख रुपये की लागत से सौर ऊर्जा आधारित गर्म पानी के संयंत्रों की स्थापना की जा रही है।

अतिरिक्त दूध का उपयोग मिल्क पावडर बनाने में

दुग्ध संघों द्वारा वितरण से बचे हुए दूध का मिल्क पावडर बनाकर महिला-बाल विकास विभाग की टेक होम राशन योजना के लिये प्रदाय किया जाता है। आँगनवाड़ियों के लिये सुगंधित मीठा दुग्ध

चूर्ण भी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से प्रदाय किया जा रहा है।

देश की दूसरी सीमन प्रयोगशाला भोपाल में

केन्द्रीय वीर्य संस्थान द्वारा साढ़े 47 करोड़ रुपये की लागत से देश की दूसरी सेक्स सार्टेड सीमन प्रयोगशाला भोपाल में स्थापित की गई है। प्रयोगशाला में अब तक 21 हजार 580 सीमन का उत्पादन किया जा चुका है। सागर जिले के रतौना में राष्ट्रीय गोकुल मिशन में गोकुल ग्राम और कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। बुंदेलखण्ड क्षेत्र विकास योजना में दतिया जिले के नौनेर में आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के तहत प्रदेश का दूसरा वीर्य उत्पादन संस्थान स्थापित किया गया है। पिछले साल राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 1500 और गोकुल मिशन में 850 मैत्री को प्रशिक्षण दिया गया।

स्वास्थ्य सुरक्षा के लिये टीकाकरण

प्रदेश के सभी गौ-भैंस वंशीय पशुओं को नेशनल एनीमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में एफएमडी और ब्रूसेल्ला का टीका लगाया गया। समस्त पशुओं को यूआईडी टेग लगाकर इनाफ पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में ढाई करोड़ से अधिक पशुओं का एफएमडी रोग के विरुद्ध टीकाकरण किया गया है। उद्देश्य वर्ष 2025 तक मुँहपका, खुरपका (एफएमडी) और ब्रूसेल्ला रोग पर नियंत्रण पाना और वर्ष 2030 तक इनका उन्मूलन करना है। दुधारु पशुओं के निरोगी होने से दूध, पशुधन और उत्पादों में वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि सुनिश्चित होगी। टीकाकरण का प्रथम चरण 31 जनवरी, 2021 को पूरा हो चुका है।

राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम

कार्यक्रम के प्रथम चरण में 7 लाख 65 हजार गौ-भैंस वंशीय पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान, 5 लाख 91 हजार गर्भधारण परीक्षण और एक लाख 62 हजार वत्सोत्पादन किया गया। द्वितीय चरण में 19 लाख 15 हजार गौ-भैंस वंशीय पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान, 9 लाख 29 हजार का गर्भधारण परीक्षण और 38 हजार 365 वत्सोत्पादन हुआ। तीसरा चरण एक अगस्त, 2021 से प्रारंभ होकर 31 मई, 2022 तक चलेगा। इसमें अब तक डेढ़ लाख कृत्रिम गर्भाधान और 3 हजार से अधिक गर्भ परीक्षण किये जा चुके हैं। इनकी प्रविष्टि भी इनाफ पोर्टल पर की जा रही है।

बकरी दूध विक्रय आरंभ

जनजातीय गौरव दिवस 15 नवम्बर से प्रदेश में ग्राहकों को बकरी का दूध भी मिलना आरंभ हो गया है। बकरी दूध विक्रय की शुरूआत जनजातीय बहुल जिलों सिवनी, बालाघाट और धार, झाबुआ और बड़वानी जिलों में उत्पादित 50 से 70 रूपये प्रतिकिलो की दर से खरीदे गये दूध से की गई है। उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक बकरी का दूध फिलहाल जबलपुर और इंदौर संघ के पार्लर पर उपलब्ध है।

इत्र कारोबारी: नहीं थमी काली कमाई

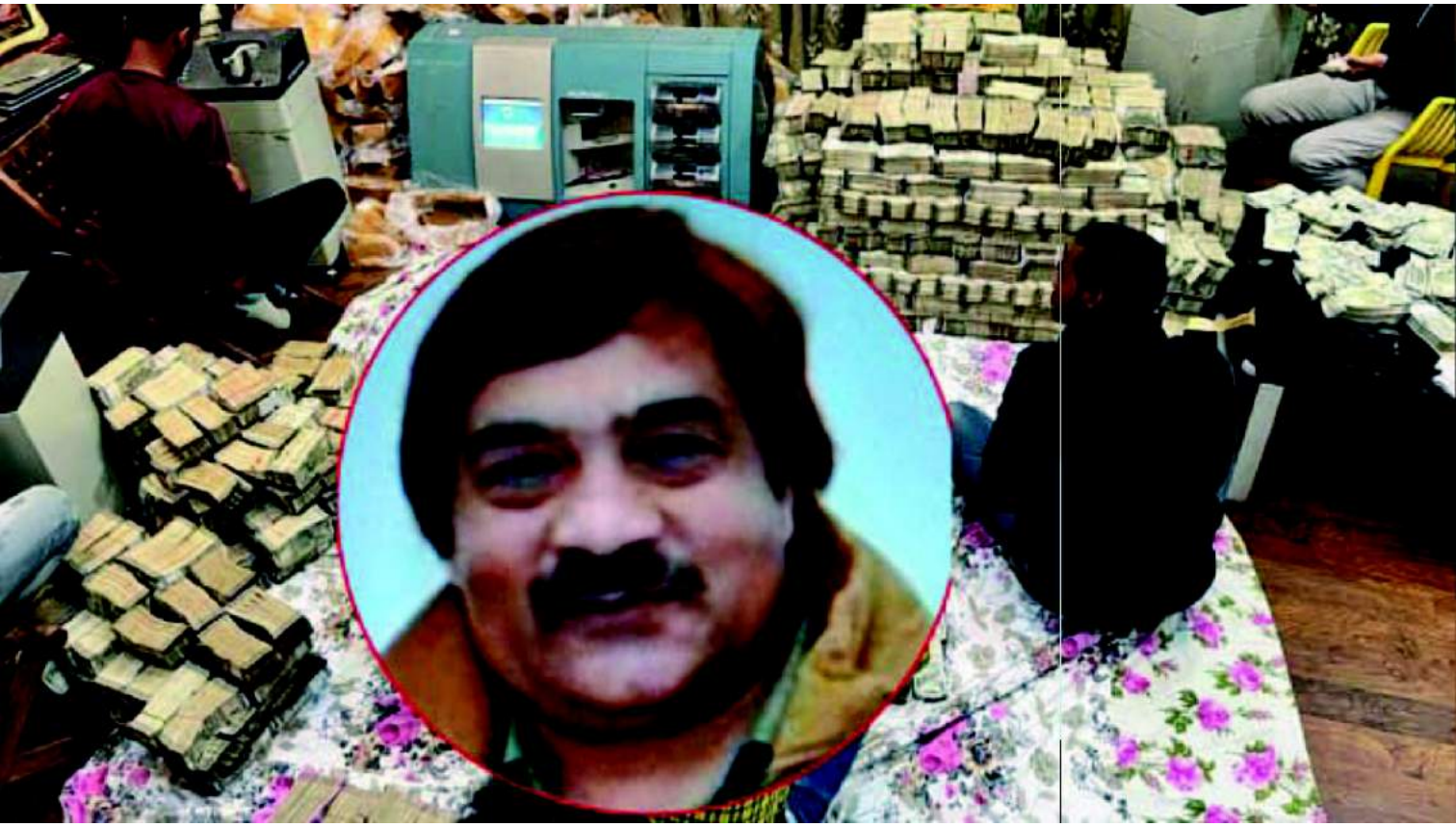

प्रमोद भार्गव

कानपुर के इत्र कारोबारी पियूष जैन के ठिकानों से अरबों की काली कमाई मिली है। सादगी पसंद इस व्यापारी के पास से 280 करोड़ रुपए नकद, 250 किलो चांदी, 23 किलो सोने की ईंटें। 6 करोड़ का 600 किलो चंदन और 400 करोड़ की अचल संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। विभिन्न बैंकों के 18 लॉकर, 500 चाबियां और 109 ताले भी मिले हैं। 40 कंपनियां हैं, जिनके मुख्यालय मुंबई में हैं। दो कंपनियां मिडिल ईस्ट में भी हैं। जाहिर है अभी स्याह तिलिस्म के कई ताले खुलने बांकी हैं। पियूष के की इत्र की महक देश से लेकर विदेश तक तो फैली ही हुई है, साथ ही वह तंबाकू व गुटखा बनाने का काम भी करता है। काले धन का कुबेर बनने और इतना बड़ा साम्राय खड़ा करने का यही उसका प्रमुख आधार है। अहमदाबाद में चार ट्रक तंबाकू और पान-मसाला पकड़े जाने के बाद ही उसके तिलिस्म का रहस्य उजागर हुआ है। इस पर्दाफाश को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी पर कुछ इस लिहाज से कटाक्ष कसा है कि पियूष जैन के अखिलेश यादव सरंक्षक रहे हैं। अलबत्ता सवाल उठता है कि नोटबंदी, जीएसटी और काली कमाई सृजित ही न हो, इस पर नियंत्रण के अनेक कानून वजूद में लाए जाने के बावजूद इसका सृजन हो कैसे रहा है ? मसलन कानूनों में झोल हैं और सरकारी अमला भ्रष्टाचार में लिप्त है। नतीजतन बक्शों में भरा कालाधन निकल रहा है।

कालेधन की महिमा अपरंपार है। इसे देश में ही रोकने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने कई नए कानून बनाए लेकिन नतीजा शून्य रहा। उल्लू पर सवार लक्ष्मी के विदेश में ठिकाने आखिरकार बने हुए हैं। पियूष जैन की कंपनियां मिडिल ईस्ट में भी हैं, जाहिर है उसका कालाधन सेल कंपनियों के

माध्यम से जमा हो सकता है ? मुंबई में जिन 40 कंपनियों और एक आलीशान बंगला पियूष के होने का पता चला है, वह कंपनियां काला-सफेद करने के ही काम में लगी हों। यह देश की कानून और अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का सबब है। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी सालाना रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक भारतीयों का निजी एवं कंपनियों का धन स्विस बैंकों में साल 2020 में बढ़कर करीब 20,700 करोड़ रुपए हो गया है। यह धन स्विस बैंकों की भारतीय शाखाओं और अन्य वित्तीय संस्थानों के जरिए पहुंचाया गया। स्विस नेशनल बैंक के अनुसार यह धन 2019 की तुलना में 3.12 गुना ज्यादा है। जब देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा था, तब भारतीय अवैध धन के जमाखोर बेशर्मी से स्विस बैंकों में धन जमा करने में लगे थे।

राजग सरकार सत्ता में आई है तब से लगातार यह दावा करती रही है कि विदेशों में जमा काला धन देश में वापस लाने और देश के भीतर कालाधन पैदा न हो इस मकसद पूर्ति के लिए ठोस व कारगर कोशिशें की गई हैं। बावजूद न तो कालाधन वापस आया और न ही नया कालाधन बनने से रुक पाया।

भारतीय ग्राहकों का सकल कोष 2019 में 6,625 करोड़ रुपए था, जो एक वर्ष में बढ़कर 14,075 करोड़ रुपए हो गया। 13 वर्ष में यह सर्वाधिक बढ़ोत्तरी है। साफ है, नए कानूनों का कोई असर नहीं पड़ा।

राजग सरकार सत्ता में आई है तब से लगातार यह दावा करती रही है कि विदेशों में जमा काला धन देश में वापस लाने और देश के भीतर कालाधन पैदा न हो इस मकसद पूर्ति के लिए ठोस व कारगर कोशिशें की गई हैं। बावजूद न तो कालाधन वापस आया और न ही नया कालाधन बनने से रुक पाया। स्विस नेशनल बैंक की ताजा रिपोर्ट ने यह खुलासा कर दिया है। हालांकि राजग सरकार ने कालाधन पर अंकुश लगे, इस दृष्टि से ऐसे कानूनी उपाय जरूर किए

हैं, जो कालेधन के उत्सर्जन पर अंकुश लगाने वाले हैं। लेकिन स्विस बैंक द्वारा जारी आंकड़ों और पियूष जैन के ठिकानों से मिले कालाधन ने साफ कर दिया है कि ये उपाय महज हाथी के दांत हैं। यही नहीं रतलाम-झाबुआ से भाजपा सांसद गुमान सिंह डामोर भी 600 करोड़ रुपए के घोटाले में फंसे हुए हैं। इस मामले में अलीराजपुर के न्यायायिक मजिस्ट्रेड अमित जैन के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये कथित घोटाला उस समय का है, जब डामोर राजनीति में नहीं थे और पीएचई द्वारा संचालित लोरोसिस नियंत्रण परियोजना में कार्यपालन यंत्री थे।

अघोषित संपत्ति देश में लाने के दो उपाय सुझाए गए हैं। वे संपत्ति की घोषणा करें और फिर 30 फीसदी कर व 30 फीसदी जुर्माना भर कर शेष राशि का वैध धन के रूप में इस्तेमाल करें। इस कानून में प्रावधान है कि विदेशी आय में कर चोरी प्रमाणित हाती है तो 3 से 10 साल की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसी प्रकृति का अपराध दोबारा करने पर तीन से 10 साल की कैद के साथ 25 लाख से लेकर एक करोड़ रुपए तक का अर्थ-दण्ड लगाया जा सकता है।

सेवानिवृत्त होने के बाद वे भाजपा में शामिल हुए और सांसद भी बन गए।

हालांकि मोदी सरकार ने कालेधन पर अंकुश के लिए कालाधन अघोषित विदेशी आय एवं जायदाद और आस्ति विधेयक-2015 और कालाधन उत्सर्जित ही न हो, इस हेतु बेनामी लेनदेन (निषेधद्ध विधेयक अस्तित्व में ला दिए हैं। ये दोनों विधेयक इसलिए एक दूसरे के पूरक माने जा रहे थे, क्योंकि एक तो आय से अधिक काली कमाई देश में पैदा करने के स्रोत उपलब्ध हैं, दूसरे इस कमाई को सुरक्षित रखने की सुविधा विदेशी बैंकों में हासिल है। लिहाजा कालाधन फल फूल रहा है। दोनों कानून एक साथ वजूद में आने से यह उ मीद जगी थी कि कालेधन पर कालांतर में लगाम लगेगी, लेकिन नतीजा ढांक के तीन पात रहा। सरकार ने कालाधन अघोषित विदेशी आय एवं जायदाद और कर आरोपण-2015 कानून बनाकर कालाधन रखने के प्रति उदारता दिखाई थी। इसमें विदेशों में जमा अघोषित संपत्ति को सार्वजानिक करने और उसे देश में वापस लाने के कानूनी प्रावधान हैं। दरअसल कालेधन के जो कुबेर राष्ट्र की संपत्ति राष्ट्र में लाकर बेदाग बचे रहना चाहते हैं, उनके लिए अघोषित संपत्ति देश में लाने के दो उपाय सुझाए गए हैं। वे संपत्ति की घोषणा करें और फिर 30 फीसदी कर व 30 फीसदी जुर्माना भर कर शेष राशि का वैध धन के रूप में इस्तेमाल करें। इस कानून में प्रावधान है कि विदेशी आय में कर चोरी प्रमाणित हाती है तो 3 से 10 साल की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसी प्रकृति का अपराध दोबारा करने पर तीन से 10 साल की कैद के साथ 25 लाख से लेकर एक करोड़ रुपए तक का अर्थ-दण्ड लगाया जा सकता है। जाहिर है,कालाधन घोषित करने की यह कोई सरकारी योजना नहीं थी। अलबत्ता अज्ञात विदेशी धन पर कर व जुर्माना लगाने की ऐसी सुविधा थी, जिसे

चुका कर व्यक्ति सफेदपोश बना रह सकता है। ऐसा ही उपाय प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने देशी कालेधन पर 30 प्रतिशत जुर्माना लगाकर सफेद करने की सुविधा दी थी। इस कारण सरकार को करोड़ों रुपए बतौर जुर्माना मिल गए थे अरबों रुपए सफेद धन के रूप में तब्दील होकर देश की अर्थव्यस्था मजबूत करने के काम आए थे। पियूष जैन के मामले में भी उनके आवास से मिली 177.45 करोड़ रुपए की नकदी को डीजीजीआई अहमदाबाद ने टर्नओवर की रकम माना हैं। अर्थात यह कथन जाहिर करता है कि यह मामला 31.50 करोड़ रुपए की कर चोरी का है। साफ है, कर और जुर्माना चुकाकर पियूष जैन बच सकता है। इस प्रयिा के पूरे होने पर आयकर विभाग भी काली कमाई के मामले में हाथ मलता रह जाएगा और पियूष का यह कालाधन सफेद धन में बदल जाएगा। कालाधन उत्सर्जित न हो, इस हेतु दूसरा कानून बेनामी लेनदेन पर लगाम लगाने के लिए लाया गया था। इस संशोधित विधेयक में बेनामी संपत्ति की जब्ती और जुर्माने से लेकर जेल की हवा खाने तक का प्रावधान है। साफ है,यह कानून देश में हो रहे कालेधन के सृजन और संग्रह पर अंकुश लगाने के लिए हैं, लेकिन ठीक से अमल नहीं हो पा रहा है।

अभी तक देश में यह साफ नहीं है, कि आखिरकार कालाधन बनता कैसे है ? अर्थशास्त्र में भी इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा निर्धारित नहीं है। कुछ अर्थशास्त्री इसे समानांतर अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, तो कुछ इसे काली या अवैध कमाई का हिस्सा मानते है। वैसे कालाधन वह राशि होती है, जो लेखे-जोखे और आयकर से बाहर रख ली जाती है। सरकारी अधिकारी, कर्मचारी इसे भ्रष्टाचार के जरिए सृजित करते हैं। इस राशि को स्विस बैंकों में तो जमा किया ही जाता है, अलबत्ता देश में इसे मनोरंजन, भोग-विलास, सट्टेबाजी, चल-अचल संपत्ति की खरीद-फरोक्त, सोने-चांदी की खरीद, चुनावों में वित्त-पोषण और पेड न्यूज में भी खर्च किया जाता है। देशी-विदेशी पर्यटन, महंगी और विदेशी शिक्षा व इलाज में भी इस राशि का खूब इस्तेमाल हो रहा है। गोया, भ्रष्टाचार और अपराध इसी के सह-उत्पादों के रूप में सामने आ रहे हैं। गुलाबी अर्थव्यवस्था के पैरोकार इसे ही समानांतर अर्थव्यवस्था मानते हुए, इसे बने रहने की दलीलें देते रहते हैं, जबकि यह धनराशि कल्याणकारी योजनाओं को पलीता लगाने के साथ नागरिकों के बीच आर्थिक विसंगति बढ़ाने का काम कर रही है। अतएव कालेधन के उत्सर्जन पर प्रतिबंध तो लगना ही चाहिए ?

अर्थव्यवस्था देशी - इलाज विदेशी

रघु ठाकुर

आजकल, भारत सरकार और उनके प्रचारक अर्थशास्त्री देश की अर्थव्यवस्था के प्रति बहुत चिंतित हैं। जब यह चिंता वे करते हैं तो, उनके ध्यान में देश के 95 प्रतिशत लोग नहीं होते हैं, बल्कि मात्र 5 प्रतिशत कारपोरेट व देशी बड़े अमीर उद्योगपति होते हैं। सामंतीकाल की परंपरायें भी हमारे दिमाग में इतनी गहरी हैं कि, हम पहले भी राजा के सुख में सुखी होते थे और राजा के दुख में दुखी होते थे। आज भी हम उसी मानसिकता में जी रहे हैं। राजा और सामंतों का रूपांतरण अवश्य हुआ है। पहले पेट के राजा थे अब पेटी के राजा हैं। और अब इस नयी राजशाही जमात में, पेटी के मालिक भी शामिल हो गये हैं, आज निर्वाचित सत्ताधीश तो केवल मुखौटे बन गये हैं, असली निर्णायक सत्ता तो कारपोरेट व उद्योग जगत के ही हाथ है। तथा सरकारें इन कारपोरेट के अलिखित आदेशों को लिखकर जारी करने वाली एजेंसी बन गये हैं।

कोरोना काल के याने वर्ष 2020 से लेकर अभी तक जो लाकडाऊन के नाम पर देश बंदी हुई उसका सर्वाधिक प्रभाव तो छोटे दुकानदार, गाँव, हाकर्स निम्न वर्ग व मध्यवर्ग पर पड़ा है। जो लगभग बर्बादी की स्थिति में है।

कोरोना काल के याने वर्ष 2020 से लेकर अभी तक जो लाकडाऊन के नाम पर देश बंदी हुई उसका सर्वाधिक प्रभाव तो छोटे दुकानदार, गाँव, हाकर्स निम्न वर्ग व मध्यवर्ग पर पड़ा है। जो लगभग बर्बादी की स्थिति में है। पता नहीं क्यों ईश्वर भी इन गरीबों व मध्यवर्ग पर ही ज्यादा कृपित रहते हैं। जबकि ये बेचारे तो अपनी ईमानदार कमाई का ही अंश उनको चढ़ाते हैं। पूँजीपति अमीर मंदिर को अपनी काली कमाई का एक थोड़ा सा अंश ही दान करते हैं, तो उसे प्रचारित कर दानवीर बन जाते हैं। और कभी-कभी तो बिड़ला मंदिर के समान मंदिर भी अपने नाम कर लेते हैं।

कोरोना महामारी के दौरान जहां एक तरफ अमीरों की संपत्ति में भारी इजाफा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ गरीब या मध्यम वर्गीय व्यक्ति भारी कर्ज में डूबा है, और एक प्रकार से भूखे मरने की स्थिति में पहुंच गया है। इस स्थिति को अप्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार ने भी स्वीकार किया है। अनेकों वैश्विक संस्थाओं ने भी अपने आंकलन में गरीबों के अति गरीब बनने और मध्यम वर्ग के गरीब बनने के तथ्यात्मक आंकड़े भी जारी किये हैं। भारत सरकार को जानकारी है, और इसका प्रमाण इससे मिल जाता है कि भारत सरकार ने अभी अन्न महोत्सव दिवस मनाया तथा प्रधानमंत्री ने कहा की 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रतिमाह की दर से राशन मार्च माह तक दिया जावेगा। इसका यही अर्थ हुआ की सरकार यह मान रही है की 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें मुफ्त राशन नहीं दिया तो वह मौत के शिकार हो सकते हैं। लगभग 2 करोड़ लोग जो पिछले डेढ़ वर्षो में मौत के शिकार हुए हैं तो वे कोरोना की महामारी के खाते में डाल दिये गये हैं। और वैसे भी सरकारी रिकॉर्ड में तो कोरोना से मरने वालों की मौतें मात्र 4 लाख के आस पास हैं। जबकि बाबा रामदेव के आंकलन के अनुसार ग्रमीण क्षेत्रों में ही सवा डेढ़ करोड़ लोग मरे हैं। उनकी मौत तो कोरोना से प्रमाणित नहीं की जा सकती और यहाँ तक की शहरों के अस्पतालों में जो लोग मौत के शिकार हुए उन्हें भी अस्पतालों ने कोरोना से मौत का प्रमाण पत्र नहीं दिया, क्योंकि यह सरकारी आदेश था। विशेषतः सरकारी अस्पतालों में तो जितने भी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं, उनमें मृत्यु के कारण का कॉलम खाली छोड़ा गया है, और उन्हें बाद में कोरोना निगेटिव बताकर हृदय, सांस, लंग्स, टी.बी. आदि जो कोरोना जनित बीमारी ही थी की मौत बता दिया जा सकता है।

कोरोना महामारी के दौरान जहां एक तरफ अमीरों की संपत्ति में भारी इजाफा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ गरीब या मध्यम वर्गीय व्यक्ति भारी कर्ज में डूबा है, और एक प्रकार से भूखे मरने की स्थिति में पहुंच गया है। इस स्थिति को अप्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार ने भी स्वीकार किया है।

अपनी परंपरागत धार्मिक - अंधविश्वासी और दकियानूसी परंपराओं के चलते बड़ी संख्या में मृतकों के परिजनों ने खुद अपने मरने वाले परिजनों का चुप चाप और गोपनीय दाह संस्कार कर दिया था। क्योंकि कोरोना के मृतक को तीन पेक में बंद कर सरकारी कर्मचारी अंतिम क्रिया कराते थे और यातायात साधनों और कारोना के भय से लोग अंतिम क्रिया में शामिल नहीं होते। घरों पर न बैठने को आते न शोक व्यक्त करने आते न तेरहवी न चालीसा खाने को आते। यह अवश्य है कि, जो लोग पहले कोरोना से हुई मौत को छिपाने के लिये जी जान लगा रहे थे अब उनमें से बहुत से लोग कोरोना की मौत के प्रमाणपत्र के लिये आवेदन तो दूर रिश्वत तक दे रहे हैं, ताकि मुआवजे का पैसा मिल सके। यह हमारे भारतीय समाज के अंधविश्वास, लालच और स्वार्थपरता का ही प्रमाण है।

बहरहाल भारत सरकार को इन दो करोड़ मृतकों के परिजनों और 80 करोड़ अन्नदान पर जिंदा लोगों की अर्थव्यवस्था चिंता का विषय नहीं है। उनके सरकार की अर्थव्यवस्था की कसौटी देश के लाख दो लाख घोषित-अघोषित खरबपति, डेढ़ दो करोड़ उच्च मध्य वर्गीय कर्मचारी, बड़े व्यापारी आदि ही निर्णायक है। यह सुविदित तथ्य है कि, मीडिया कारपोरेट घरानों का व्यापारिक हथियार है। इसलिये वह उनकी जरूरत के समाचारों को प्रमुखता से परोसकर अभियान बनाता है। जो केवल उस छोटे से वर्ग के लिये, उपयोगी होते हैं। जेट एयरवेज बंद होता है तो सारा प्रचार तंत्र रोते बिलखते कर्मचारियों के परिजनों के फोटो दिखा दिखाकर जेट के मालिक के सरकारी खजानें से 50 हज़ार करोड़ रूपये का पैकेज दिलाने में मददगार बन जाता है,

और इसके बाद भी जब जेट को स्वस्थ लाभ नहीं होता तो फिर सरकार से जेट का अधिग्रहण करा देते हैं। परन्तु 20 करोड़ गरीबों जिनमें पत्रकार, मजदूर, छोटे दुकानदार, सब्जी ठेले वाले छोटे कर्मचारी यहां तक की पत्रकार भी शामिल हैं, उनके बारे में कोई प्रचार या अभियान नहीं चलता और जैसा की ऊपर लिखा की सामंती मनोवृत्ति से बीमार देश नये पुराने राजाओं के शोक गीत गाने लगता है। क्योंकि मीडिया दुख उनके दुख को राष्ट्रीय शोक में बदल देता है। देश की अर्थव्यवस्था में मंदी का बहुत प्रचार हो रहा है। परंतु दिसम्बर 2020 में अम्बानी की नेट बर्थ संपत्ति 6, 43, 579 लाख करोड़, अडानी की 3,01,626 लाख करोड़, अजीम प्रेमजी की 1,61,679 लाख करोड़ और शिवनाडार एच.सी.एल टेक की 1,50,695 लाख करोड़ हो गयी थी। अर्थात् अम्बानी की संपत्ति में 37.2 प्रतिशत अडाणी 113 प्रतिशत अजीम प्रेमजी 55.4 प्रतिशत और शिव नाडर की संपत्ति में कोरोना काल में 62.7 की वृद्धि दर्ज हुई है।

गौतम अडाणी जिन्हें आम चर्चा में पी.एम. का नजदीक माना जाता है। उनकी संपर्शि में दो सौ प्रतिशत से अधिक का इजाफा हुआ है। यह स्थिति कमोवेश सभी कारपोरेट की है। तो फिर मंदी कहां है?

भारत सरकार ने इस तथाकथित प्रचारित मंदी के हल के लिये बाजार को नई माँगों के निर्माण का रास्ता निकाला है। जाहिर है कि यह प्रधानमंत्री या सरकार के दिमाग से निकला हुआ हल नहीं वरन वैश्विक कारपोरेट जगत की तिजोरी से निकला हुआ हल है।

मुकेश अंबानी की संपत्ति अगस्त 2021 में 100 अरब डॉलर से अधिक याने लगभग 8 लाख करोड़ रूपये के ऊपर चली गई है। यहां तक की अब वे दुनिया के 8 वे नंबर के धनपति है। तथा अमेरिकी उद्योगपति वारेन वफेट से भी आगे निकल चुके हैं। जनवरी 2021 से अगस्त 2021 तक उनकी संपत्ति में डेढ़ लाख करोड़ रूपये की वृद्धि हुई है, तो इन्हें मंदी कहां है? और सरकार की नई माँगों के निर्माण की नीति की आवश्यकता क्या है?

नई माँगों के निर्माण का मतलब क्या है। सरकारों ने 2020 से स्कूल- कॉलेज-वि.वि. बंद कर दिये और डिजिटल शिक्षा फोन पर शुरू कर दी। इसी प्रकार सरकारी दफ्तर और कम्पनियों के दफ्तर बंद कर घर से काम कराना शुरू कर दिया। घर से शिक्षा, घर से काम, घर से खरीददारी इन नीतियों का परिणाम हुआ की फुटकर व्यापारी का स्थान वालमार्ट - फ्लिप कार्ट कंपनी ने ले लिया।

फुटकर व्यापारी उनका हाकर-चाकर बन गया या फिर पाँच किलो अनाज पाने की लाइन में खड़ा हो गया। और दूसरी तरफ मोबाईल कंपनी के लगभग 5 से 6 करोड़ लाखों की संख्या में लेपटाप आईपेड आदि बिक गये। एक मोटे अनुमान के मुताबिक लगभग डेढ़-दो लाख करोड़ रूपये का मुनाफा दुनिया की इंटरनेट की मालिक कम्पनियों ने इस बीच कमाया है। दफ्तरों के बंद होने से निजी क्षेत्र के उद्योग जगत का अरबों रूपया खर्च बच गया। कंपनी में काम करने वालों की संख्या तो घटी ही साथ ही 25 से 50 प्रतिशत तक वेतन में कटौती कर दी गई।

अब इस नई नीति के तहत नई माँग को

निर्माण के लिये सरकार, नई स्क्रेप पॉलिसी लाई है। यद्यपि यह एक बार स्वर्गीय राजीव गाँधी के पी.एम. काल में पारित हुई थी। परंतु बाद में उसे चुनाव में वोटों के कटने के डर के कारण लागू नहीं किया गया था। लगभग वही कानून अब नये रूप में पुर्नजीवित कर लागू कर दिया गया है।

सरकार ने 10-15 वर्ष पुरानी कारों को सड़कों पर नहीं चलने देने व उन्हें स्क्रेप में डलवाने की नीति बनाई है। निसंदेह बहुत पुरानी गाड़ियां जो बहुत धुंआ देकर प्रदूषण करती हैं, उन्हें बंद करना चाहिए। परंतु क्या हर 10 वर्ष पुरानी गाड़ी अनुपयोगी या बेकार हो जाती है? अगर सरकार का उद्देश्य प्रदूषण से बचाना और सड़कों को चलने वालों को सुरक्षित रखना है तो इसके लिये कई और भी कदम उठाना चाहिए थे जो नहीं उठाये गये। आज सरकारी और गैर सरकारी 90 प्रतिशत कारें और वाहन जिसमें बसें ट्रक भी शामिल है, सड़कों पर खड़े रहते हैं तथा 30 से 40 प्रतिशत अन्य प्रकार के वाहन भी। अगर सरकार मात्र यह एक नियम बना दे कि जिसके पास निजी पार्किंग की व्यवस्था होगी या कंपस में कवर्ड पार्किंग की व्यवस्था होगी उसे ही नई या पुरानी गाड़ी खरीदने की पात्रता होगी। केवल उसे ही बैंकों से वाहन खरीदने के लिये ऋण दिया जायेगा तो न केवल वर्तमान की प्रदूषण और यातायात की समस्या का हल निकलेगा साथ ही भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। परन्तु सरकार तो नई माँग का निर्माण कर रही है। याने पुरानी कार को स्क्रेप में बिकवाओ और नयी कारें बाजार में लाओ। कारे सीमित नहीं हो, और कारों की बिक्री असीमित बढ़ जायेगी। यह सब ऐसे ही हैं जैसे कोई कहें की नई पीढ़ी के जन्म के लिये पुरानी पीढ़ी को जहर देकर मारो।

यह सिलसिला केवल कारों तक सीमित नहीं है और न रहेगा। सभी व्यापारों में यह चलने वाला है। जो बुनियादी जरूरतें होती हैं, आबादी की तुलना में सदैव स्थिर रहती है। अनाज-कपड़ा-दवा-चिकित्सा आदि-आदि। परन्तु शिक्षा और चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण विषय कृषि और पानी जैसे जीवनदायी वन और वायु जीवनदायी तत्व उपेक्षित हैं। और उन्हें नष्ट करने को विकास बताया जाता है।

अंत में यही कहूंगा कि सरकारों का काम बाजार में मांग पैदा करना नहीं है, बल्कि देश बुनियादी मानवीय जरूरत के अनुसार रोटी, कपड़ा, दवा, शिक्षा, मकान और रोजगार, बराबरी से उपलब्ध कराना है। कारपोरेट के निर्माण से लूट राजनैतिक भ्रष्टाचार प्रदूषण और पूँजीवाद पनपता है। तथा रोजगार कम होते हैं या समाप्त होते हैं। परन्तु बुनियादी जन सुविधाओं की संरचना की नीति से प्रदूषण घटता है,- जीवन बचता है - और रोजगार बढ़ता है। अब यह सरकारों और देश की जनता को तय करना है। कि वह सरकार की नीतियों से दानव पैदा करना चाहते हैं, या देव?

क्या कट्टरपंथी ताकतें महात्मा गाँधी के विचारों को मार पायेंगी?

रघु ठाकुर

आजादी का 75वाँ वर्ष पूरा होने जा रहा है, और राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की हत्या का भी यह 74वाँ वर्ष है, परन्तु लगभग पौन सदी बीत जाने के बाद भी गाँधी पर हमले जारी हैं। जिनका शरीर 74 वर्ष पूर्व समाप्त हो गया। आज भी उन जमातों के लिये जिन्होंने गाँधी की हत्या की थी गाँधी से खतरा है। डॉ. लोहिया ने कहा था कि साम्प्रदायिकता खतरनाक होती है, और अगर वह सत्ता का संरक्षण पा जाये तो भयावह हो जाती है। जिन कट्टरपंथी ताकतों ने गाँधी की हत्या की थी वे अब भी निरंतर गाँधी पर उनके विचार और कर्म पर हमला कर रहे हैं। गाँधी पहले भी हमलों के शिकार थे परन्तु अब तो वो सारी कायरों की जमात जो गाँधी के विचारों के ताप से भयभीत है, अभी भी गाँधी के विरूद्ध प्रतिदिन झूठे आक्षेप गढ़ रही हैं। और उनके यश को अपमानित कर उनकी यश हत्या के प्रयास कर रही हैं।

धर्म संसदों के नाम पर आजकल देश में अधर्म का प्रचार हो रहा है। धर्म इंसान को अपराधी या दुश्मन बनाने की सीख नहीं देता बल्कि प्रेम व बंधुत्व का मार्ग बताता है। इसलिये कहा गया था कि मजहब नहीं सिखाता इंसां से बैर करना। रायपुर के राजिम में जिस धर्म संसद का आयोजन हुआ उसमें कालीचरण नामक एक भगवा वेश धारी तथाकथित संत पहुंचे थे। पिछले कुछ समय से कर्मकांड का दौर बढ़ा है। और लोगों को कर्मकांड तथा कथाओं को

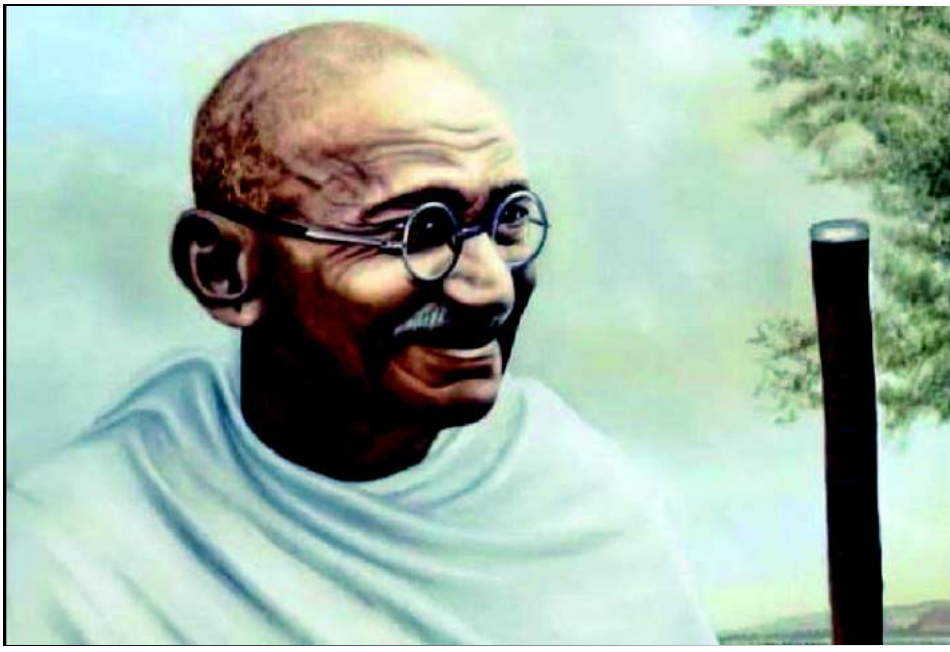

ही धर्म कार्य बताया जा रहा है। राजिम छत्तीसगढ़ को ऐतिहासिक रूप से एक धार्मिक स्थान माना जाता है। और वहां का राजीब लोचन मंदिर छत्तीसगढ़ का एक प्रख्यात मंदिर है, स्व. पवन दीवान जैसे निष्ग्रह व्यक्ति इस मंदिर के साथ जुड़े रहे हैं। धर्म संसद के इस आयोजन में कालीचरण ने जब भाषण शुरू किया तो उन्होंने महात्मा गाँधी की हत्या को सही बताते हुये गोडसे को नमन किया और गाँधी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया। धर्म संसद के आयोजक और वहां के स्थानीय महंत (जिनके स्वतंत्रता संग्राम के संस्कार रहे हैं) उन्हें में बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने साहस के साथ खड़े होकर मंच से ही कालीचरण की बातों का खंडन किया, महात्मा गाँधी के योगदान का जिक्र किया और बहिष्कार का एलान किया। उसके बाद लोगों में भी एक आक्रोश पैदा हुआ और कुछ नागरिकों ने जो धर्म संसद में उपस्थित थे पुलिस में रपट दर्ज कराई। कालीचरण को जैसे ही यह जानकारी मिली कि उनके विरूद्ध पुलिस में रपट दर्ज हुई है वह वहाँ से छिपकर भागे और फरार हो गये। उन्होंने रातों रात गुप चुप तरीके से छत्तीसगढ़ की सीमाओं को पार किया और म.प्र. के खजुराहो पहुंच गये। हालांकि दो दिन में छत्तीसगढ़ पुलिस ने उनका ठिकाना

खोज लिया और देर रात उन्हें खजुराहो से गिरफ्तार किया। कालीचरण अपने स्वभाव से ही एक आपराधिक व्यक्ति लगते हैं क्योंकि उनकी भाषा बोली और उनका आचरण तीनों ही आपराधिक है। वह कितने भयभीत है और भीतर से इतने कायर है कि पुलिस कार्यवाही का पता लगते ही छिप गये व फरार हो गये। महात्मा गाँधी ने करोड़ों लोगों को ब्रिटिश कानूनों

की अवज्ञा व स्वेच्छा से जेल जाना सिखाया था। इन नकली बहादुर कालीचरणों को शायद अब समझ में आये या जानना चाहिये कि जेल जाना कितना कठिन होता है।

कालीचरण के पक्ष में जो लोग खड़े हुये हैं, उससे ही इस घटनाक्रम और इसके पीछे की योजना का अनुमान लगाया जा सकता है। चार प्रकार की प्रतिक्रियायें इस घटनाम पर आई हैं:-

■ भा.ज.पा. व कांग्रेस ने धर्म संसद के लिये एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू किया। भा.ज.पा. ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने यह आयोजन कराया था और कांग्रेस पार्टी ने इस आयोजन के लिये भा.ज.पा. के नेताओं पर आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह इसमें शामिल हुये थे और भा.ज.पा. ने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें शामिल होने वाले थे। दरअसल यह दोनों ही पक्ष मूल प्रश्न से दूर हैं। धर्म संसद के आयोजन का मतलब गाँधी को गाली देना, उनका अपमान करना नहीं होता। मैं मानता हूँ कि, धार्मिक आयोजनों से राजनैतिक नेताओं का सत्ता व प्रतिपक्ष का दूर होना संभव नहीं होता। और खासकर वह लोग जो वोट की राजनीति करते हैं, उन्हें तो धर्म संसद हो या नर्तकी का नृत्य जाने अनजाने चाहे या अनचाहे उनमें शामिल होकर अपनी प्रतीकात्मक हाजिरी दर्ज कराना होती हैं। तथा आमजन के साथ अच्छे या बुरे में समरस होने का प्रयास वे करते हैं।

कितना अच्छा होता कि अगर कांग्रेस व सत्तापक्ष यह कहता कि हमने यह आयोजन किया था। हमारी यह प्राचीन परंपरा रही है और हमें धोखा हुआ कि कालीचरण जैसे अपराधी भगवा वेश में इसमें शामिल हो गये और यह भी कितना अच्छा होता कि प्रतिपक्ष के नेता भी यह स्वीकार करते कि धर्म संसद का आयोजन उनकी सरकार के दौर में होता आया है। उन्हें खेद है कि कालीचरण नाम के व्यक्ति ने इस धर्म संसद को अधर्म संसद बना दिया। परन्तु दोनों के ही मन में राजनैतिक लाभ उठाने का पाप और अपराध बोध छिपा है।

■ बजरंगदल ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा कि अगर संत कालीचरण पर कार्यवाही हुई तो वह सड़कों पर उतरेंगे व ईंट से ईंट बजा देंगे। जन चर्चा यह है कि बजरंगदल के कस्बाई लोग आमतौर पर छुट भय्ये गुंडे व अपराधी होते है जो स्थानीय तौर पर वसूली कर अपना पेट पालते हैं। और भाजपा की बी टीम के रूप में काम करते हैं। वैसे तो मेरी राय में इन कालीचरण के समर्थकों पर भी वैधानिक कार्यवाही होना चाहिये। क्योंकि अपराध का समर्थन करना भी अपराध होता है। जिस प्रकार गाँधी जी की हत्या के समर्थन के लिये श्री कालीचरण अपराधी है उसी प्रकार यह बजरंगदल भी अपराधी है। वैसे तो समाज को भी इसमें आगे आना चाहिये और स्वतः प्रतिकार करना चाहिये। अच्छा होता कि राजिम के सभी धर्म और वर्गो के नागरिक पुरूष व महिलायें घर से निकलकर सड़क पर आते और इन बजरंगदलियों के और कालीचरण के खिलाफ खड़े होते। उनका सामाजिक बहिष्कार करते तो शायद तब समाज एक स्वस्थ समाज बनता।

■ म.प्र. सरकार के गृहमंत्री ने कालीचरण की रात में गिरफ्तारी पर तकलीफ व्यक्त की हैं। उनकी तकलीफ भी राजनैतिक है। वरना एक गृहमंत्री जानते हैं कि जो अपराधी छिपकर भागता है, उसे पकड़ने के लिये दिन या रात नहीं देखा जाता। वह कब पकड़ा जा सकता, कैसे पकड़ा जा सकता है यह पुलिस को तय करना होता है। जब गिरफ्तारी की रात में पुलिस कालीचरण को पकड़ने के लिये गई

और उनके सहायक से पूंछा व कहा कि हमें बाबा जी के दर्शन करना है, तो उनके सचिव ने कहा कि अभी 1 लाख लोगों की प्रतिक्षा सूची दर्शनाथियों की है। और तब पुलिस वालों ने कहा कि हमें अभी गाड़ी पकड़कर बाहर जाना है। तब वह सचिव पुलिस को अंदर ले गये क्योंकि पुलिस सादी वर्दी में थी। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने कौशल व साहस के साथ कालीचरण को गिरफ्तार किया। कालीचरण व उनके सहयोगी किस मानसिकता व कितने घमंड से भरपूर है यह इसी से समझा जा सकता है कि उनका शिष्य कहता है कि 1 लाख की प्रतिक्षा सूची है, जबकि कालीचरण घर में छिपा हुपा था व अकेला था। मप्र शासन को भी इसकी जानकारी अवश्य रही होगी और शायद इसीलिये वह भागकर आकर मप्र में छिपा था कि मप्र में भाजपा सरकार और प्रशासन का संरक्षण उसे मिलेगा। प्रदेश के गृहमंत्री को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि छग के मुख्यमंत्री ने ब्राम्हणों के प्रति अनुचित शब्दों के प्रयोग के कारण जो उन्होंने उप्र में कहे थे अपने ही पिता के खिलाफ न केवल मुकदमा कायम कराया था बल्कि उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाला था। सुशासन व निस्पक्ष प्रशासन के लिये यह एक अनुकरणीय उदाहरण था।

■ अब कुछ कट्टरपंथी दिमाग के लोग कालीचरण के बचाव के लिये नये प्रकार के तर्क खोज रहे हैं, और जिन महात्मा गाँधी की हत्या को कालीचरण सही ठहरा रहे थे उन्हीं बापू के विचार व शब्दों की आड़ में कालीचरण को बचाना चाह रहे हैं। एक भाजपा के नेता ने कहा कि छग की कांग्रेस सरकार महात्मा गाँधी के सिद्धान्तों के खिलाफ काम कर रही है क्योंकि उन्होंने श्री कालीचरण को गिरफ्तार करवाया। यदि गाँधी जी होते तो वह श्री कालीचरण को माफ कर देते और गिरफ्तार करने से रोकते। गाँधी का अर्थ क्या है, भा.ज.पा. को और उनके पीछे की संस्थाओं को इसी से समझ लेना चाहिये, कि उन्हें अपने बचाव के लिये गाँधी जी के नाम का इस्तेमाल करना पड़ रहा जिनकी हत्या को वह उचित ठहराते रहे है।

दूसरा भा.ज.पा. के इन मित्रों को यह समझना चाहिये कि क्षमा का अधिकार नैतिक व सैद्धांतिक रूप से उसी व्यक्ति को होता है जिसके खिलाफ अपराध किया गया हो। इसके अलावा क्षमा का अधिकार संवैधानिक व कानूनी रूप से या तो अदालत को अथवा राष्ट्रपति को होता है। तीसरा यह भी समझना होगा कि भारतीय संविधान के अनुसार देश में कानून का राज्य है। और कानून के राज्य का मतलब यह होता है कि व्यक्ति कितना ही छोटा बड़ा क्यों न हो कानून सबके लिये समान होता है। जो लोग आज कालीचरण को सत्ता के सहारे महिमा मंडित कर रहे हैं वह भूल रहे हैं वह अपने ही कल के भविष्य को दागदार और समस्या ग्रस्त बना रहे हैं।

जिस प्रकार राजिम में धर्म संसद के नाम पर राष्ट्रपिता के खिलाफ अभियान चलाया गया, उसी प्रकार कुछ दिनों पूर्व हरिद्वार में भी महात्मा गाँधी को गंदे शब्दों में गालीयाँ दी गई। इस भाषा का प्रयोग करने वाले कभी भी साधु तो नहीं हो सकते। साधुओं के बारे में कहा गया है कि साधु ऐसा चाहिये जैसा सूप सुभाय - सार-सार को गहि रहै, थोथा देई उड़ाय। अगर यह सच्चे साधु होते तो वह गाँधी की अच्छाईयों को ग्रहण करते और जहाँ असहमति होती उसे छोड़ देते। परन्तु कट्टरपंथ और साम्प्रदायिकता सत्ता के संरक्षण में तेजी से पनप रही है और हिंसा तथा घृणा की अतिरेक पर पहुंच रही है। इस्लामिक देशों में ईश निंदा के नाम पर किसी भी निर्दोष को मार दिया जाता है और भारत में भी गौ हत्या के शक में किसी भी निर्दोष को मारा जा सकता है। हरिद्वार में जिन लोगों ने बापू के नाम को लेकर अपशब्दों व गालियों का प्रयोग किया वह भी अपने आपको संत कहते है। हरिद्वार की इस तथाकथित धर्म संसद के आयोजक यति-नरसिंहानंद जो गाजियाबाद के मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, उन्होंने अपने भाषण में ना केवल बापू को अपशब्द कहे बल्कि यह भी कहा कि मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार से कुछ नहीं होगा कोई भी समाज हथियारों के बगैर जीवित नहीं रह सकता। उन्होंने अपील की अच्छे से अच्छे हथियार लें, वह ही आपकी रक्षा करेंगे। उन्होंने नारा भी दिया कि शस्त्र मेव जयते। एक और वीडियों में नरसिंहानंद

कालीचरण व उनके सहयोगी किस मानसिकता व कितने घमंड से भरपूर है यह इसी से समझा जा सकता है कि उनका शिष्य कहता है कि 1 लाख की प्रतिक्षा सूची है, जबकि कालीचरण घर में छिपा हुपा था व अकेला था। मप्र शासन को भी इसकी जानकारी अवश्य रही होगी और शायद इसीलिये वह भागकर आकर मप्र में छिपा था कि मप्र में भाजपा सरकार और प्रशासन का संरक्षण उसे मिलेगा।

को यह कहते हुये बताया गया कि जो हिन्दू युवक लिट्टे लीडर प्रभाकरण या भिंडरावाने के समान बनने को तैयार हो उसे वह 1 करोड़ रूपया देने को तैयार हैं। पूनम सकुन पाण्डे जो अब अन्नपूर्णामा के नाम से जानी जाती हैं, और हिन्दू महासभा की महासचिव हैं, उन्होंने कहा कि हमें ऐसे 100 सैनिक तैयार करना है जो 20 लाख मुसलमानों को मार दें। मातृ शक्ति के पंजे शेर के समान हैं, जो विरोधियों को फाड़ कर रख देंगे। यह वही पूनम पाण्डे है जिन्होंने कुछ वर्ष पहले गाँधी जी की प्रतिमा पर गोली चलाई थी और मिठाई बाँटी थी।

इस धर्म संसद में हिन्दू यूथ वाहिनी की अहम भूमिका रही है, जिसके संस्थापक उ.प्र. के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं। धर्म संसद के बाद 19 दिसम्बर को हिन्दू वाहिनी के युवकों को शपथ दिलाई गई हम शपथ लेते हैं और प्रस्ताव करते हैं कि अपनी आखिरी सांस तक देश को हिन्दू राष्ट्र बनाने के लिये लड़ते रहेंगे और मरते रहेंगे ऐसी घटनायें पूर्व में भी हुई हैं, जो इन कट्टरपंथियों व हिंसक सोच वाले लोगों और भाजपा तथा उनके मातृ संगठन के बीच के रिश्तों को इंगित करती हैं। सूरजपाल अमू के घृणात्मक बयान के बाद उन्हें भाजपा की राज्य शाखा का प्रवक्ता बनाया गया था। लिचिंग के मामले में न्यायालय के आदेश से गिरफ्तार एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद एक केन्द्रीय मंत्री महेश शर्मा उसकी अंत्येष्ठि में गये थे और उसके शरीर पर तिरंगा डाला था। लिचिंग के 8 अपराधियों को जमानत मिलने के बाद केन्द्रीय मंत्री जयंत सिन्हा उन्हें माला पहनाने गये थे।

यह सब घटनायें यही संकेत देती है कि महात्मा गाँधी के खिलाफ यह अभियान समूचे देश में एक योजना के तहत चलाया जा रहा है। केन्द्र की सत्ता पाने के बाद अब महात्मा गाँधी को झूठे आरोपों से बदनाम करके उनकी विशाल प्रतिमा को खंडित करने का षड़यंत्र चल रहा है। और जिस प्रकार गाँधी की हत्या का अपराधी और उसका चेहरा एक व्यक्ति के रूप में सामने था, परन्तु पीछे वह संगठित षड़यंत्रकारी जमातें सक्रिय थी जो गोडसे के बयानों को मैंने गाँधी को क्यों मारा प्रचारित कर रही थी गोडसे को महिमा मंडित कर रही थी और अपने लक्ष्य को गोडसे के कंधे पर बंदूक रखकर पूरा करना चाह रही थी। अब वही ताकतें पुनः सत्ता हथिया कर गाँधी की विशाल प्रतिमा को खण्डित करने के प्रयास कर रही है। ताकि वैश्विक पूँजीवाद-कारपोरेट, निरंकुश सत्ता और हिंसा को तर्क मिल जाये।

यह दुखद है कि अपने आपको गाँधीवादी कहने वाले लोग इस गंभीर षड़यंत्र पर लगभग मौन धारण किये हैं या फिर औपचारिक प्रस्ताव कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर रहे हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि मुहल्ले, गाँव गाँव जा कर, छोटे-छोटे समूहों में बैठकर गाँधी के विचारों को बताया जाए और इन नकली धर्म गुरूओं इनके पीछे की जमातों के चेहरों को नग्न किया जाए तथा राष्ट्रीय एकता को भी बचाया जाए।

Public Relations in Banking Sector

Public Relation (PR) is the most important and essential part of the communication. British Institute of Public Relation defined PR as a planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and mutual understanding between an organization and its public. According to American Institute of PR, Public Relation is a strategic communication process that builds mutually beneficial relationships between organization and their public. On the other way, it is an important method for image building, to maintain goodwill and publicity of an organization to win over an extremely competitive market. A favarable image or good reputaion helps to increase the sale of a particular company and in case of negetive publicity, the company's sale as well as its reputation will be at stake. So, to enhance a company's reputation, several methods are practiced by the practiced by the PR department to communicate with the internal and external public. It is a two-way flow of mutual understanding (Sam Black, Practical Public Relations). It is an extended arm and eyes and eard of modern way of management.

The concept of Public Relation dates back to history. In 49 BC reports about the achievements of Julius Caesar was published in a daily, 'Acta Diurna'. In 1066 the

Norman conques of England was depicted in worls's first info-graphic, the Bayeuk Tapestry. In 17th century the term 'propaganda' was first used by the Catholi Church. In an address to US congress Thomas Jefferson first used the term 'public relation' in 1807. But, the first PR department was established in 1889 by Westinghouse. It was established to fight Thomas electric. This is known as the 'battle of currents'. The term PR was first used in the year-book of railway literature (1897) to communicate between the public and their organization. This is marked as the birth of the Public Relation. The first Public Relations agency, namely 'The Publicity Bureau' was established in 1900.

The first official release was created by Ivy Ledbetter Lee in 1906. It was created on electric train wreck. This was printed in 'The New York Times'. Lee was na American publicity expertand considered as the founder of modern Public Relation and became popular for his work with the Rockefeller family. In 1924 Basil Clark introduces PR in Britain. When wall Street craches in 1929, Public Relatons became a necessity. Edward Louis Barnes was an Austrian-American expert in the field of Public Relatons. He was best known for to encourage female smoking by branding cigarettes with the 'Torches of Freedom'. He was the pioneer in the field of propaganda and worked for leading American corporate companies like 'Procter and Gamble; 'General Electric; In his obituary (10th March, 1995), 'The New York Times referred him as 'The father of Public Relations and leader in opinion making'.

Evolution of PR in India was found in our epics Ramayana and Mahabharata. The Tata's and by India Railways. After independence, the Government set up different media units to handle Public Relations.

Role of PR in banking sector

PR is considered as a very crucial and vital part of banking sector for image building, to maintain goodwill and to gain trust of its customers. In case of banking, for their daily

administration was very much concerned about their public feelings and opinions. India had master of religious communicators like Gautama Buddha, Shankaracharya. King Ashoka sent his daughter Sanghamitra to Sri Lanka to preach Buddhism. She is known as the first female PR executive in History. Ashokan inscriptions were an indeal example of Public Relations. Systematic practice of PR began with the House of transaction customers need interaction with their respective banks. Besides, banks have to inform about their different schemes and facilities to the customers. So, the public relation or customer care department has to play a vital role in entertaining and fulfilling the need of the same. To gain the trust or confidence of its customers, banks need PR support. PR department often do research rgarding customer

satisfaction about different bankking schemes and products.

Different methods or tools are used by banks. The traditional methods are by sending News or Press release to different media, Newsletters to the customers and by appearances at public events, such as, trade show, conventions etc. With the advancement of the modern technology, banking service has now been exposed to our fingertips. PR department can now use internet as a medium of communication. Social media, e-mail, and text messgages are sed to accomplish their goals.

Banking industry is a service orientetd one Community banks know the imprtance of public consent. So, sevral services are offered to satisfy the need of a customer.Besides, debit and credit cards and net banking is becoming more and more popular now. Phone banking has also made the transactions very. People can access their accounts also through banking apps. Nowadays, it is very easy to get a loan for buying a car or house or to vail a loan for education or to start a new venture. PR in banks works for 24x7 to maintain a good relation with its customers. People can have financial transactions or enquire about a particular service through attractive and useful websites.

Brand ambassadors also play na important role to build a positive image about a particular bank; for example, Deepika Padukone is the brand ambassador for Axis Bank from 2014 and Amitabh Bachchan was the brand ambassador for ICICI bank in 2013-14 ICICI bank has also used the bollywood superstar Shahrukh khan to boost their overseas business. Bank of Baroda once used leading Indian cricketer Rahul Dravid in 2005. Dravid symbolizes solidity and trust. IndusInd bank prefereed actors like Farhan Akhtar, Sharman Joshi and Boman Irani rather than stars. Joshi featured in a service called 'My Account, My Number' to get account numbers as per the choice of the customers. In 2016, Boman Irani and Farhan Akhtar advertise for a new service called 'fingerprint Banking' to allow customers to make transactions on its mobile banking app. Captain of India cricket team, Virat Kohli is associated with the Punjab National Bank since he was 16. Canara bank had chosen the India opener Shikhar Dhawan as their brand ambassador in 2014. Among foreign bank, Royal Bank of Scotland roped in master blaster Sachin Tendulkar in 2008 as their brand ambassador. In 2003 Standard Chartered Bank selected ex-India captain kapil Dev as a face for their campaign. In 2006 renowned Cricket Sunil Gavasker joined tennis star Sania Mirza as the brand

ambassador of Deutsche Bank.

PR department not only enhances communication and publicity, but also have a pivotal role in crisis management. Routine jobs of PRO do not need a very innovative mind; in fact it is not a very interesting genre. But, in the crisis situations, it is totally different. It is then and only then that the PRO becomes the judge, crisis situation are an acid test for the PRO. The Public Relation is to deal with anything and everything that they have to face in the crisis situations. Thers is no fixed crisis and therefore there is no particular formula to combat a crisis in a crisis situation. However, there are some basic ways to get going. One must be prepared for the worst and hope for the best. In the crisis situation Public Relations department of an organization has to deal with the major unpredictable event. It is said that when in crises, we must tell the truth and act promptly. The three C's of credibility are to be-compassionate, competent and confident.

For better communication with the public bank have changed a lot. ICICI bank which is the second largest bank of India, Introduced 'Branding' in the Idian banking industry. They first introduced net banking and e-mail marketing. They are the pioneers in retail banking and emphasizes on the data entre availability and data protection solution. For better customer relation 'MILAP' function is conducted on the third Friday of every month to get feedback from the customers. The outdoor activity also increased from time to time. Besides that they also took several measures to keep in constant touch with their internal public. They also

involved themselves in film promotion, as in 'Baghban' (2003)

To launch international credit card, ICICI bank associated them with Amway India. So, customers can purchase Amway products from Amway distributors to redeem their points. Again, ICICI customers can book railway tickets by using mobile banking system. ICICI Bank also tie-up with the Cartoon Network for theif publicity purpose. IDBI and Exim Bank also financed 50% of their budget for film funding. They invested in the films like Aakhen (2002), Qayamt (2003) Main Prerm Ki Deewani Hoon (2003), Veer Zara (2004), Mangal Pandey (2005) Don (2006) etc, at present, IDBI and Exaim bank have temporily decided not to finance in film industry, but Yes Bank have continued to invest in the same for their profit & publicity. On the other hand State Bank of India one of the leading nationalized banks of India prefers to maintain customer relation by using different media channels to promote their different services and to gain credibility among its public. In the age of social media and internet technology, Public Relation of banks has now become a very effective and easier way to communicate with their respective customers.

Ph.D Research Fellow,
Department of Journalism and Mass Communication, University of Calcutta.

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

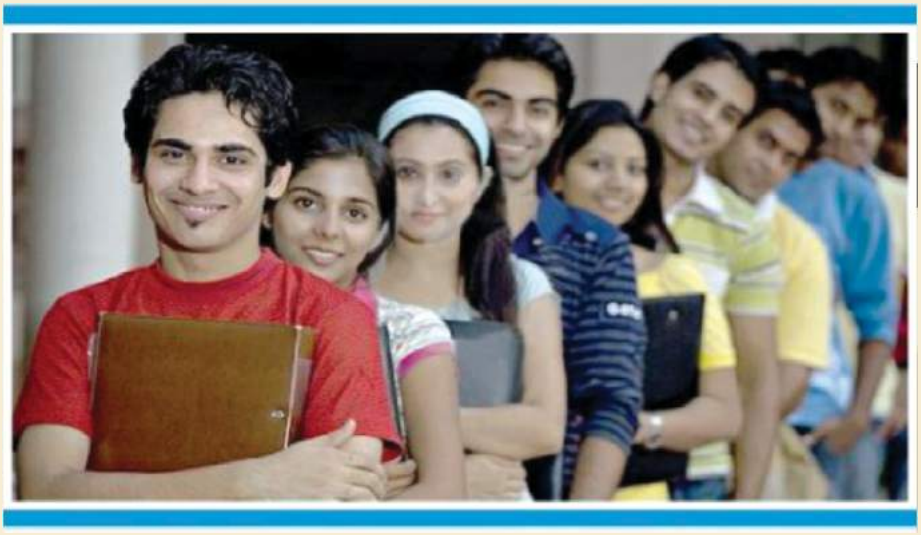

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.

SAWARNA COSMETICS

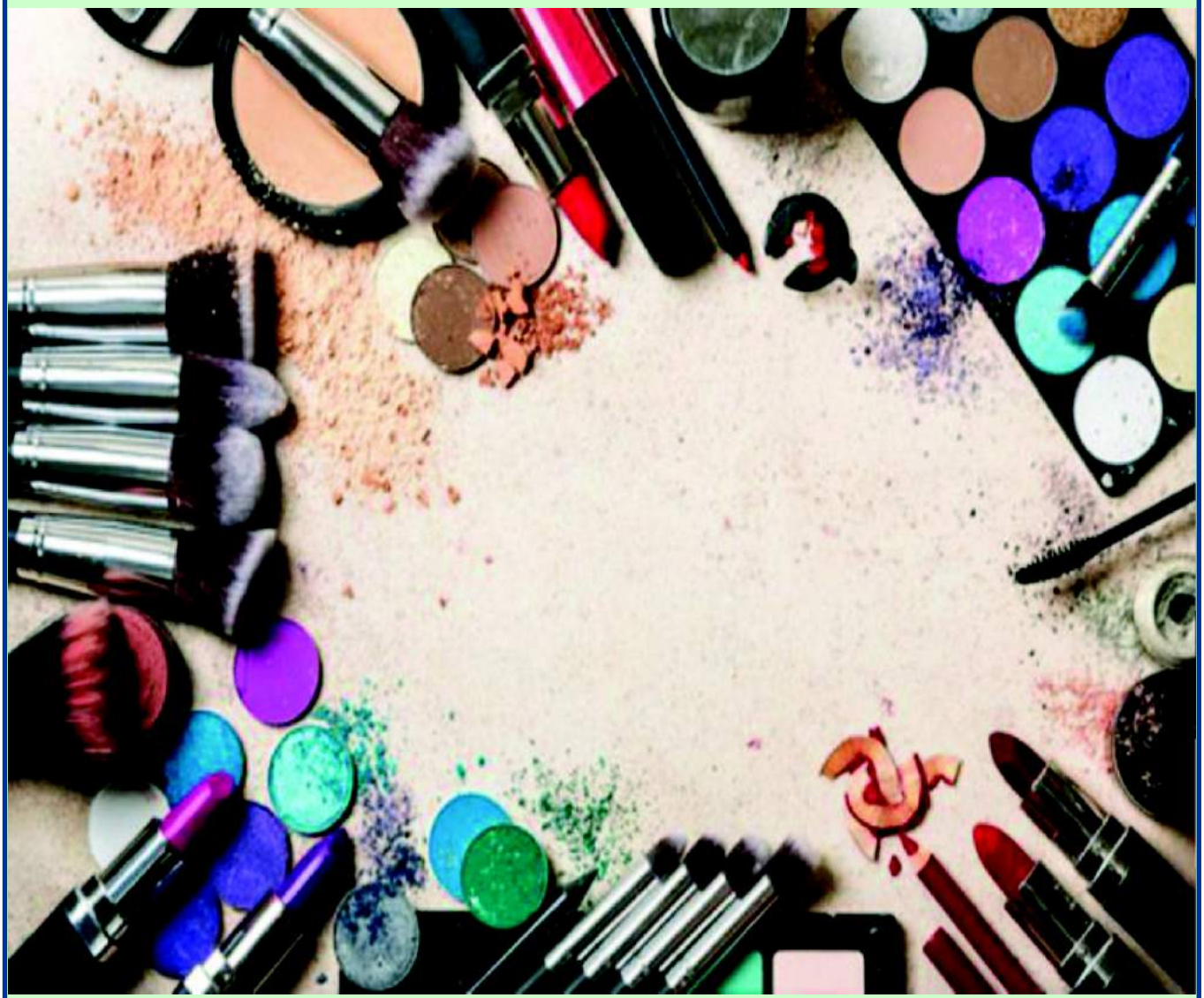

SHOP NO. 101/152, NEW MARKET,
BHOPAL, M.P. 462016

स्वच्छता को हमने 'आदत' बनाया
मध्यप्रदेश का परचम फिर लहराया

प्रदेश के सभी सफाई-मित्रों और जागरूक नागरिकों के प्रति आभार

स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 अवॉर्ड में मध्यप्रदेश ने हर बार की तरह एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पुरस्कार और सम्मान किये अपने नाम।

21 नेशनल अवॉर्ड । 17 वन स्टार रेटिंग । 70 प्रेरक दौर सम्मान

- इंदौर शहर ने 5 स्टार के साथ सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के लिये भी पुरस्कार जीता।
- भोपाल को मिला स्व-संवहनीय राजधानी का खिताब और सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में देश भर में तीसरा स्थान।
- मध्यप्रदेश राज्य को तीसरे सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार।
- मध्यप्रदेश के 27 शहरों को मिली स्टार रेटिंग।
- विभिन्न श्रेणियों में प्रदेश के 07 शहरों को राष्ट्रीय पुरस्कार - इंदौर, भोपाल, उज्जैन, देवास, होशंगाबाद, बड़वाह और पचमढ़ी केंट को उत्कृष्ट अवॉर्ड श्रेणी के लिए सम्मान।
  - 1 से 3 लाख जनसंख्या के शहरों में होशंगाबाद शहर को तेजी से बढ़ते शहर और देवास को नवाचार का सम्मान।
  - उज्जैन शहर को 1-10 लाख जनसंख्या के शहरों में नागरिक प्रतिक्रिया में सर्वश्रेष्ठ सम्मान।
  - छोटे शहरों की श्रेणी में खरगौन जिले के बड़वाह को जोनल रैंकिंग में सबसे तेजी से बढ़ते शहर का सम्मान।
- सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के अंतर्गत इंदौर शहर को 12 करोड़, देवास को 6 करोड़ और भोपाल को 03 करोड़ रुपये का पुरस्कार।
- स्वच्छ सर्वेक्षण में पहली बार प्रेरक दौर का घटक शामिल किया गया। इसमें प्लेटिनम-दिव्य श्रेणी में - 1 शहर, गोल्ड-अनुपम श्रेणी में - 35 शहर, सिल्वर-उज्ज्वल श्रेणी में - 3 शहर, ब्रांज-उदित श्रेणी में - 27 शहर और कॉपर-आरोही श्रेणी में - 4 शहर सहित कुल 70 शहरों को इस घटक में रैंकिंग प्राप्त हुई।

इंदौर को लगातार 5वीं बार मिला भारत के स्वच्छतम् शहर का गौरव

मुझे गर्व और प्रसन्नता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में भी मध्यप्रदेश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों और संकल्प को साकार किया है। इस सफलता के लिये मैं सभी मध्यप्रदेशवासियों और विशेष तौर पर सभी स्वच्छताकर्मियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

- शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश।

सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज

- इंदौर, देवास और भोपाल ने राष्ट्रीय स्तर पर बनाया अपना स्थान। (चैलेंज में सीवर लाइनों और सेप्टिक टैंक की सफाई में मानव हस्तक्षेप को खत्म कर मशीनों द्वारा सफाई मित्रों की सुरक्षा को प्रोत्साहित किया जाता है।)

हम हुए पहले से अधिक बेहतर

- 295 शहर ओडीएफ डबल प्लस (ODF++) और 78 शहर ओडीएफ प्लस (ODF+) प्रमाणित। इंदौर को वॉटर प्लस प्रमाणन।

- देश के 10 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 20 शहरों में मध्यप्रदेश के सभी 4 प्रमुख शहर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर हुए शामिल।
- 1 से 10 लाख आबादी की श्रेणी में देश के 100 शहरों में प्रदेश के 25 शहर।

पश्चिमी क्षेत्र श्रेणी

- 50 हजार से 1 लाख आबादी की श्रेणी में देश के 100 शहरों में प्रदेश के 26 शहर शामिल।
- 25 हजार से 50 हजार आबादी की श्रेणी में देश के 100 शहरों में प्रदेश के 26 शहर शामिल।
- 25 हजार से कम आबादी की श्रेणी में देश के 100 शहरों में प्रदेश के 35 शहर शामिल।

स्वच्छ, स्वस्थ, समर्थ - मध्यप्रदेश